<u>List of Gazette Notifications regarding De-licensing band, issued by WPC Wing, DoT</u>

S. No.	Frequency Band	Gazette Notification No.	Purpose/ Applications	Page Range
1.	9- 50 kHz	GSR 83 (E) dated 11.02.2014	Use of Very Low Power Radio frequency devices including Radio Frequency Identification Devices	4-9
2.	50-200 kHz	GSR 90 (E) dated 10.02.2009	Use of Very Low Power Radio frequency devices including Radio Frequency Identification Devices	10-12
3.	302-351 kHz	GSR 697 (E) dated 16.09.2015	Use of Very Low Power Radio frequency devices or equipment for Inductive Applications	13-17
4.	302-435 kHz; 855-1050 kHz; 1.89-2.30 MHz	GSR 996 (E) dated 5.10.2018	Use of Very Low Power Radio frequency devices or equipment for Inductive Applications	18-21
5.	13.553-13.567 MHz	GSR 884 dated 04.11.2010	Use of Very Low Power Radio frequency devices, for indoor applications	22-32
6.	26.957-27.283 MHz	GSR 35 (E) dated 10.01.2007	Use of low power wireless equipment in the citizen band	33
		GSR 533(E) dated 12.08.2005	Use of Wireless equipment intended to be used while in motion or during halts.	34-35
7.	36-38 MHz	GSR 696(E) dated 16.09.2015	Use of Very Low power Radio frequency devices or equipment for wireless microphones	36-41

8.	 a) 335.7125 MHz b) 335.7375 MHz c) 335.7625 MHz d) 335.7875 MHz 	GSR 34 (E) dated 10.01.2007	Use of low power wireless equipment for remote control of cranes	42-43
	e) 335.8125 MHz f) 335.8375 MHz	GSR 532 (E) dated 12.08.2005	Use of wireless equipment for remote control of cranes	44-46
9.	402-405 MHz	GSR 673(E) dated 23.09.2008	Use of very power remote cardiac monitoring radio frequency wireless medical devices, medical implant communication systems (MICS) or medical implant Telemetry systems (MITS) and other such very low power medical radio frequency wireless devices	47-49
10.	433-434 MHz	GSR 680(E) dated 12.09.2012	Use of low power devices or equipment for indoor applications	50-57
	433-434.79 MHz	GSR 698 (E) dated 16.09.2015	Use of Very Low Power Radio frequency devices or equipment including Radio Frequency Identification Devices	58-62
11.	865-867 MHz	GSR 564 (E) dated 30.07.2008	Use of Very Low Power Radio frequency devices or equipment including Radio Frequency Identification Devices (RFID)	63-64
12.	a.) 6.765-6.795 MHz, b.) 1. 30-37.5 MHz 2. 401-402 MHz 3. 405-406 MHz 4. 2483.5-2500 MHz c.) 87.5-108 MHz d.) 1. 169.4-169.475 MHz 2. 169.4875-169.5875 MHz e.) 446-462.2 MHz f.) 2400-2483.5 MHz g). 2.446-2.454 GHz h.) 24.05-24.5 GHz	GSR 1047 (E) dated 18.10.2018	Use of Low Power and Very Low Power Short Range Radio Frequency Devices such as a) Inductive device b) Active medical Implant device c) High duty cycle or continuous transmission device d) Assistive device e) Personal Mobile Radio 446 MHz f) Radio determination device g) Radio Frequency Identification device	65-84

	i.) 1. 456.9-457.1 kHz 2. 26.957-27.283 MHz 3. 26.990-27 MHz 4. 27.040-27.050 MHz 5. 27.090-27.100 MHz 6. 27.140-25.150 MHz 7. 27.190-27.200 MHz 8. 169.4-169.8125 MHz 9. 2400-2483.5 MHz 11. 5.725-5.875 GHz 12. 24.05-24.5 GHz 13. 61-61.5 GHz		h) Transport and traffic telematics device i) Non-specific short range device	
13.	2.4-2.4835 GHz	GSR 45 (E) dated 28.01.2005	- Low Power equipment i.e. Wireless LAN (W-LAN) Equipment using Bluetooth and IEEE 802.11b Standard	85-88
14.	5.15-5.250 GHz 5.250-5.350 GHz 5.470-5.725 GHz 5.725-5.875 GHz	GSR 1048 (E) dated 18.10.2018	Use of low power wireless access point/fixed point to point access/mobile and portable client devices system including Radio Local Area Network, under indoor and outdoor environment.	89-97
15.	76-77 GHz	GSR 699 (E) dated 16.09.2015	Use of Very Low Power Radio frequency devices or equipment for Short Range Radar System	98-103
16.	Frequency range i.) Between 1.6 GHz to 10.6 GHz and ii.) above 10.6 GHz frequency band	GSR 1046 (E) dated 18.10.2018	Use of Very Low Power Ultra Wide Band Devices such as 1.Gereric ultra-wideband device usage 2. Location tracing system 3.Ultra-wideband device installed in Road and Rail Vehicle 4. Material sensing device using ultra-wideband technology. 5. Building material analysis device.	104-123



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 2014/माघ 22, 1935

No. 60]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2014/MAGHA 22, 1935

संचार एंव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 83 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्निलखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां भी हैं, के उपयोग (अनुज्ञाप्ते की अपेक्षा से छूट) नियम, 2014 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
 - 2. लागू होना ये नियम 09-50 किलो हर्टज़ आवृत्ति बैंड में लागू होंगे ।
 - 3. परिभाषाएं इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-
- (क) प्राधिकारी से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ख) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके आनुक्रमिक रूप से उन अधिनियमों में दिए गए हैं।
- 4. 09 50 किलो हर्टज़ आवृत्ति बैंड में रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां जिसके अंतर्गत अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर भी हैं का उपयोग नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अधिकतम विकिरण शक्ति या सामर्थ्य सीमाओं के साथ, अहस्तक्षेप, असंरक्षित और साझा (गर विशेष) आधार पर, 09 50 किलो हर्टज़ के आवृत्ति बैंड में समेकित, समर्पित या बाह्य एंटेना (बाह्य एंटेना के मामले में केवल पाशचक्रित कुंडली एंटेना लगाया जा सकेगा), रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां जिसके अंतर्गत अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति की युक्तियां या उपस्करों भी हैं के उपयोग के प्रयोजन के लिए किसी बेतार

570 GI/14 (1)

उपस्कर को स्थापित करने, अनुरक्षित करने, कार्य करने, रखने या किसी बेतार उपस्करों से व्यवहार करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात :--

सारणी

निम्नलिखित आवृत्ति बैंड का उपयोग करने के लिए प्रेरणिक अनुप्रयोगों की तकनीकी लक्षण

आवृत्ति बैंड	अधिकतम विकिरण शक्ति या क्षेत्र तीव्रता सीमा
(1)	(2)
09 - 50 किलो हर्टज	72 डिसबिल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर या 123.5
	डिसबिल माइक्रो एम्पियर वोल्ट प्रति 10 मीटर

परंतु यह कि जब कभी केन्द्रीय सरकार से विशिष्ट सेवा अनुज्ञप्ति आवश्यक हो तो इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे । शर्तें - इस नियम के अधीन अनुदत्त छूटें निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी, अर्थात् :--

(1) अवांछित ऊर्जा के किसी प्रभाव या उत्सर्जन के किसी संयोजन, किसी रेडियो संचार प्रणाली में किसी उत्सर्जन विकरण या अभिग्रहण पर उत्प्रेरण के सहयोजन, किसी आकर्षण, अपनिर्वचन या सूचनाओं की हानि से प्रकट ऐसी अवांछित ऊर्जा की अनुपस्थिति में उद्धरण किया जा सकेगा, जहां कोई व्यक्ति, जिसे भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और भारतीय बेतार तार यंत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है, प्राधिकारी को यह सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रणाली को इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियों संचार प्रणाली से हानिकर व्यतिक्रम प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा प्राधिकारी उपस्कर का स्थान परिवर्तन करके, उसकी शक्ति को कम करके, विशेष प्रकार के एंटेना के उपयोग द्वारा व्यतिक्रम से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए ऐसे गैर-अनुज्ञप्ति प्राप्त बेतार उपस्कर के उपयोक्ता को अवसर देगा, जिसमें असफल रहने पर ऐसे प्राधिकारी ऐसे बेतार के उपयोग को रोकने की सिफारिश करेंगे:

परंतु यह कि ऐसे रोके जाने से पूर्व, ऐसे प्राधिकारी द्वारा बेतार उपस्कर के ऐसे गैर-अनुज्ञप्ति प्राप्त उपयोक्ता को परिस्थितियों को स्प्ष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(2) उपस्कर - ये अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर अथवा रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां उपस्कर के किरम के रूप में ऐसी रीति से अनुमोदित और अभिकल्पित तथा संनिर्मित होंगे जो तकनीकी प्राचल नियम 4 में निर्दिष्ट सारणी में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप हों :

परंतु यह कि उपस्कर के किस्म का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को उपाबंध में दिए गए आवेदन के प्ररूप में आवेदन किया जाएगा ।

[सं0 आर -11020/05/2013-पीपी]

एल.एफ. हुमणे, सहायक बेतार सलाहकार,

उपाबंध

उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन

भाग-क- आवेदक

- 1. उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम
- विनिर्माता का डाक पता
- 3. प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले भारतीय अभिकरण का नाम और पता
- 4. उत्पाद का नाम और उत्पाद पहचान (मॉडल सं. आदि)

भाग-ख-पारेषक का वर्णन

- 1. आवृति रेंज
- 2. प्रीसेट स्विचेबल चैनलों की सं.

- 3. वॉयस/डाटा/टीवी चैनलों की सं. (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
- 4. टीएक्स-आरएक्स चैनल पृथक्करण (डुप्लैक्स/मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
- 5. समीपवर्ती चैनल पृथक्करण (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
- 6. आवृति स्थायित्व
- 7. कूट/सन्नादी विकरण
 - i. कैरियर सप्रेशन (कैरियर सप्रैस्ड तत्र की दशा में)
 - ii. आवांछित साइड बैंड सप्रेशन (एसएसबी तंत्र की दशा में)
 - iii. द्वितीय सन्नादी विकरण
 - iv. तृतीय सन्नादी विकरण
- 8. अधिकतम आवृति विचलन
- 9. उत्सर्जन की रीति
- 10. उत्सर्जन की बैंडविड्थ
- 11. परीक्षणटोन टोन विचालन
- 12. आधार बैंड आवृति (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
- 13. अपेक्षित मॉडयूलेशन का प्रकार
- 14. पूर्व जोर
- 15. विद्युत आउटपुट (एंटेना के इनपुट पर)
- कोई अन्य जानकारी
 भाग-ग- प्रापकों के विवरण
- 1. आवृत्ति रेंज
- 2. प्राप्ति की रीति
- 3. प्राप्ति की कूट प्रतिक्रिया
- 4. संवेदनशीलता
- 5. आवृत्ति स्थायित्व
- 6. (क) प्रभावी ध्वनी तापमान
 - (ख) अवसीमा इनपुट स्तर
- 7. मध्यवर्ती आवृत्ति
- 8. जोर मुक्ति
- 9. चयनशीलता
- 10. कोई अन्य विशिष्टियां

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

(टिप्पण: प्रत्येक प्रकार के उपस्कर के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Wireless Planning and Coordination Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2014

- **G.S.R. 83** (**E**). —In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
 - 1. Short title and commencement.—
- (1) These rules may be called the use of very low power Radio Frequency devices or equipments including the Radio Frequency Identification Devices, (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Application. These rules shall be applicable in the 09-50 KHz frequency band.
 - 3. Definitions. In these rules, unless the context otherwise requires, -
- (a) Authority means authority notified by the Central Government under sub-section (2) of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
- (b) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts.
- 4. Use of very low power Radio Frequency devices or equipments including the Radio Frequency Identification Devices, in the 09 to 50 KHz frequency band.—No license shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of very low power Radio Frequency devices, or equipments including the Radio Frequency Identification Devices, in the 09 to 50 KHz frequency band with Integral, Dedicated or External antenna (In case of external antenna, only loop coil antenna may be employed), on non-interference, non-protection and shared (non exclusive) basis, with the maximum Radiated power or Field Strength Limits as specified in the Table below, namely:—

TABLETechnical characteristics of inductive applications using the following frequency band

Frequency Band	Maximum Radiated Power or Field Strength Limits
(1)	(2)
09 to 50 KHz	72dB μA/m or 123.5dB μV/m at 10 metres

Provided that wherever specific service licence is required from the Central Government, the provisions of this rule shall not apply.

Conditions. - The exemptions granted under this rule shall be subject to following conditions, namely:-

(1) The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a license has been issued under the provisions of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and section 4 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) informs the authority that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, then such authority shall call upon the user of such unlicensed wireless equipment to take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power, using special type of antennae failing which such authorities shall recommend discontinuation of such wireless use:

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be given to such unlicensed user of wireless equipment by such authority.

(2) Equipment.—These very low power Radio Frequency wireless devices or equipments or Radio Frequency Identification devices shall be of Equipment type approved and designed and constructed in such a manner so that the technical parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 4:

Provided that the application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in the application format given in Annexure.

[No.R-11020/05/2013-PP]

L.F.HUMNEY, Assistant Wireless Adviser

Annexure

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

Section-A-applicant

14.

Pre-emphasis

1. Name of manufacturing agency applying for equipment type approval 2. Postal address of manufacturing agency 3. Name of product and the product identification (model number etc..) Section-B-Details of Transmitter 1. Frequency range 2. No. of preset switchable channels 3. No. of voice / Data/ TV Channels (In case of multi-channel equipment) 4. Tx-Rx channel separation (In case of Duplex/multi-channel equipment) 5. Adjacent channel separation (In case of multi-channel equipment) Frequency stability 6. 7. Spurious / Harmonic radiations i. Carrier suppression (In case of carrier suppressed systems) ii. Unwanted side band suppression (In case of SSB systems) iii. 2nd Harmonic radiations iv. 3rd Harmonic radiations 8. Max. Frequency Deviation 9. Mode of Emission 10. Bandwidth of Emission 11. **Test Tone Deviation** 12. Base band frequency (In case of multi channel equipment) 13. Type of modulation to be required

15. Power out-put :

(At the input of antenna)

16. Any other information

Section-C- Details of Receivers

1. Frequency range :

2. Mode of reception :

3. Spurious response of receiver :

4. Sensitivity

5. Frequency stability :

6. (a) Effective noise temperature :

(b) Threshold input level :

7. Intermediate frequency :

8. De-emphasis :

9. Selectivity :

10. Any other particulars

Signature of applicant

Place:

Date:

(Note : Separate application should be submitted for each type of equipment)



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] No. 78] नई दिल्ली, मंगलबार, फरवरी 10, 2009/माघ 21, 1930 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2009/MAGHA 21, 1930

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (बेतार योजना और समन्वय खंड) अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 90(अ), केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधि-नियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां भी हैं, के उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. लागू होना.—यह नियम 50—200 किलोहर्ट्ज आवृत्ति वैंड को लागू होंगे ।
- 3. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—
 - (क) ''अधिनियम'' से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारवांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) अभिप्रेत है।
 - (ख) इन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और इन नियमों में पिरमाषित नहीं हैं किन्तु उक्त अधिनियमों में पिरमाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं।

4. अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां भी हैं, 50—200 किलोहर्द्ज बैंड में उपयोग—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समेकित, समर्पित या बाहरी एंटीना (बाहरी एंटीना की दशा में केवल चक्ररित एंटीना भी समझा जाएगा) पर जिसमें बिना हस्तक्षेप, बिना संरक्षण या सम्मिलत (अनन्य रूप से नहीं) आधार पर अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्करों जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियों भी हैं, 50—200 किलोहर्ट्ज बैंड में उपयोग के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को किसी बेतार को स्थापित करने, अनुरक्षण करने में, कार्य करने में, अपने पास रखने में या उसे व्यवहार करने में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट अधिकतम विकिरित शक्तियां या क्षेत्र तीव्रता सीमा के सिवाय, कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी, अर्थात् :—

सारणी

निम्नलिखित आवृत्ति बैंड के उपयोग के लिए प्रेरणिक अनुपयोग के तकनीकी लक्षण

आवृत्ति बैंड	अधिकतम विकिरित शक्ति या क्षेत्रतीव्रता सीमा
(1)	(2)
50—59.750 किलोहर्टज	प्रति 10 मीटर पर 72 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 123.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
59.750- 60.250 किलोहर्टज	प्रति 10 मीटर पर 42 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 93.5 डिसबिल माइक्रो बोल्ट प्रति मीटर

(1)	(2)
60.250-	प्रति 10 मीटर पर
70	69 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 120.5
किलोहर्टज	डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
70-	प्रति 10 मीटर पर
119	42 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 93.5
किलोहर्टज	डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
119-	प्रति 10 मीटर पर
135	66 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 117.5
किलोहर्टज	डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
135	प्रति 10 मीटर पर
140	42 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 93.5
किलोहर्टज	डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
140-	प्रति 10 मीटर पर
148.5	37.7 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 89.2
किलोहर्टज	डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
148.5-	प्रति 10 मीटर पर
200	30.0 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 81.5
किलोहर्टज	डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर

5. व्यतिकरण.—अर्वाछित ऊर्जा के किसी प्रभाव या उत्सर्जन के किसी संयोजन, किसी रेडियो संचार प्रणाली में किसी उत्सर्जन, विकरण या अभिग्रहण पर उत्प्रेरण के सहयोजन, किसी अवकर्षण, अपनिर्वचन, या सूचनाओं की हानि जो ऐसी अनवांछित ऊर्जा की अनुपस्थित के निष्कर्ष में हो सकेगा, जहां अधिनियम की धारा 4 के अधीन किसी व्यक्ति को कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है सूचित करेगा कि उसके अनुज्ञप्ति प्रणाली में किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से जो इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त है, से हानिकारक व्यतिक्रम हो रहा है, ऐसी बिना अननुज्ञप्तधारी बेतार उपस्करों के उपयोग को जो उपस्करों के पुनर्स्थापन द्वारा व्यतिक्रम को दूर करने के लिए ऐसे आवश्यक उपाय, शक्ति को कम करके, एंटीना के विशेष प्रकारों का उपयोग करके जिसके अंतर्गत ऐसे बेतार के उपयोग को रोकना भी है, यदि अपेक्षित हों, करने होंगे।

परन्तु ऐसे रोकने से पहले ऐसे बेतार उपस्करों के अननुज्ञप्तिधारी उपयोक्ता को परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए युक्ति युक्त अवसर दिया जाएगा।

- 6. उपस्कर.—(1) जहां अति निम्न शिक्त रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर या रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियों के प्रकार अनुमोदित होंगे, उपर्युक्त नियम 4 में निर्दिष्ट सारणी में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप उत्सर्जन बैंड की चौड़ाई और अन्य पैरामीटर्स होंगे और ऐसी रीति में अनुमोदित या डिजाइन और संनिर्माण किए जाएंगे।
- (2) केन्द्रीय सरकार ऐसे अनुप्रयोग प्रारूप बनाएगी जो उपस्करों के प्रकार के अनुमोदन के अनुरूप के लिए लागू होंगे जो वैबसाइट www.wpc.dot.gov.in पर उपलब्ध होंगे।

7. शर्ते.—ये नियम,—

- इस आवृत्ति बैंड में किसी प्रकार से अनुज्ञप्ति अधिकारों या विद्यमान प्रक्रियाओं और योजनाबद्ध बेतार प्रचालन को प्रभावित नहीं करेंगे;
- (ii) जहां केन्द्रीय सरकार से विशिष्ट सेवा अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, लागु नहीं होंगे।

[सं. आर-11020/07/2008-पीपी]

आर. के. सक्सेना, उप बेतार सलाहकार

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Wireless Planning and Coordination Wing) NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2009

G.S.R. 90(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Use of very low power Radio Frequency devices or equipments including the Radio Frequency Identification Devices, (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall be applicable in the 50-200 KHz frequency band.
- **3. Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—
- (a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 1885(13 of 1885), and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933);
- (b) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Acts shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts.
- 4. Use of very low power Radio Frequency devices or equipments including Radio Frequency Identification Devices, in the 50-200 KHz frequency band.—

Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no licence shall be required by any person to establish, maintain, work possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of very low power Radio Frequency devices, or equipments including Radio Frequency Identification Devices, in the 50-200 KHz frequency band, with Integral, Dedicated or External antenna (In case of external antenna, only loop coil antenna

may be employed) on non-interference, non-protection and shared (non-exclusive) basis, with the maximum Radiated Power or Field Strength Limits as specified in the Table below, namely:—

TABLE
Technical characteristics of inductive applications using the following frequency bands

Frequency Band	Maximum Radiated Power or Field Strength Limits
50-59.750kHz	72 dBμA/m or 123.5 dBμV/m at 10 metres
59.750-60.250 kHz	$42 dB\mu A/m$ or $93.5 dB\mu V/m$ at $10 metres$
60.250-70 kHz	$69dB\mu A/m$ or $120.5dB\mu V/m$ at $10metres$
70-119 kHz	$42dB\mu A/m$ or $93.5dB\mu V/m$ at $10metres$
119-135kHz	$66 dB\mu A/m$ or $117.5 dB\mu V/m$ at $10 metres$
135-140 kHz	$42 dB\mu A/m$ or $93.5 dB\mu V/m$ at $10 metres$
140-148,5 kHz	37.7 dBμA/m or 89.2 dBμV/m at 10 metres
148.5-200 kHz	$30.0dB\mu A/m$ or $81.5dB\mu V/m$ at $10metres$

^{5.} Interference.—The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be

extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a licence has been issued under Section 4 of the Act, informs that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, the user of such unlicensed wireless equipment shall take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power, using special type of antennae including discontinuation of such wireless use, if required:

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be offered to such unlicensed user of wireless equipment.

6. Equipments.—

- (1) These very low power Radio Frequency wireless devices or equipments or Radio Frequency Identification devices shall be type approved and designed and constructed in such a manner so that the bandwidth of emission and other parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 4 above.
- (2) The application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in such application format which shall be available on website; www.wpc.dot.gov.in.

7. Conditions.—These rules,—

- do not in any way, affects the licensing rights or procedures of existing and planned wireless operations, in this frequency band;
- (ii) are not applicable, wherever specific service licence is required from the Central Government.

[No. R-11020/07/2008-PP]

R. K. SAXENA, Dy. Wireless Adviser

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितंबर, 2015

सा.का.नि. 697(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रेरणिक उपयोजनों के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2015 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **लागू होना**.—ये नियम 302 से 351 किलोहर्टज आवृत्ति बैंड में लागू होंगे।
- 3. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, -
- (क) "प्राधिकारी" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;
 - (ख) "प्रभावी विकिरण शक्ति" के अंतर्गत एंटिना का गेन, यदि कोई हो, है;
- (ग) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके आनुक्रमिक रूप से उन अधिनियमों में दिए गए हैं।
- 4. स्नूट.—नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अधिकतम प्रभावी विकिरण शक्ति के साथ, अहस्तक्षेप, असंरक्षित और साझा (गैर विशेष) आधार पर, 302 से 351 किलोहर्टज के आवृत्ति बैंड में प्रेरणिक उपयोजनों के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति की युक्तियों या उपस्करों के उपयोग के प्रयोजन के लिए किसी बेतार उपस्कर को स्थापित करने, अनुरक्षित करने, कार्य करने, रखने या किसी बेतार उपस्करों से व्यवहार करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात् :--

सारणी तकनीकी लक्षण

आवृत्ति बैंड	अधिकतम क्षेत्र तीव्रता सीमाएं
(1)	(2)
302 से 351 किलोहर्टज	-15 डिसबिल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर (एच-क्षेत्र तीव्रता)10 मीटरों पर

परंतु यह कि जब कभी केन्द्रीय सरकार से विशिष्ट सेवा अनुज्ञप्ति आवश्यक हो तो इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे।

परंतु यह और कि जहां विमानवाहित युक्तिओं या अनुप्रयोगों के लिए इस बैंड का उपयोग अपेक्षित है, वहां ये नियम लागू नहीं होंगे ।

- 5. शर्ते.—इस नियम के अधीन अनुदत्त छूटें निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी, अर्थात् :—
- (क) अवांछित ऊर्जा के किसी प्रभाव या उत्सर्जन के किसी संयोजन, किसी रेडियो संचार प्रणाली में किसी उत्सर्जन विकरण या अभिग्रहण पर उत्प्रेरण के सहयोजन, किसी आकर्षण, अपनिर्वचन या सूचनाओं की हानि से प्रकट ऐसी अवांछित ऊर्जा की अनुपस्थित में उद्धरण किया जा सकेगा, जहां कोई व्यक्ति, जिसे भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और भारतीय बेतार तार यंत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है, प्राधिकारी को यह सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रणाली को इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियों संचार प्रणाली से हानिकर व्यतिक्रम प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा प्राधिकारी उपस्कर का स्थान परिवर्तन करके, उसकी शक्ति को

कम करके, विशेष कार के एंटेना के उपयोग ारा व्यति म से बचने के लिए आव यक कदम उठाने के लिए ऐसे गैर-अनुज्ञि ा बेतार उप कर के उपयो ा को अवसर देगा, जिसम असफल रहने पर ऐसे ाधिकारी ऐसे बेतार के उपयोग को रोकने क सिफा रश करगे :

परंतु यह क ऐसे रोके जाने से पूब, ऐसे ाधिकारी ारा बेतार उप कर के ऐसे गैर-अनुज्ञि ा उपयो ा को प रिथितिय को प करने का युियु अवसर दान कया जाएगा।

(ख) रिणिक उपयोजन के लिए ये अति निम्न शि रेडियो आवृि युियां या उप कर, उप कर के क म के रूप म ऐसी रीति से अनुमो दत और अभिकि पत तथा संनिर्मित ह गे जो तकनीक ाचल नियम 4 म नि द सारणी म विनि द सीमाओं के अनुरूप ह:

परंतु यह क उप कर के क म का अनुमोदन । करने के लिए के ीय सरकार को इन नियम के उपाबंध म दए गए आवेदन के रूप म आवेदन कया जाएगा।

[सं. आर – 11014/17/2014-एनटी]

वीरेश गोयल, उप बेतार सलाहकार

उपाबंध

उपस्कर कार अनुमोदन के लिए आवेदन

<u>भाग-क-आवे</u>दक

उप कर कार अनुमोदन के लिए आवेदन : 1. करने वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम विनिमाता का डाक पता 2. उ पाद का नाम और उ पाद पहचान (मॉडल : 3. सं आ द) भाग-ख-पारेषक का वर्णन

आवृि रज 1. ीसेट विचेबल चैनल क सं. 2. वॉयस/डाटा/टीवी चैनल क सं. 3. (म टीचैनल उप कर क दशा म) टीए स-आरए स चैनल पृथककरण 4. (इप्लैक्स/ म टीचैनल उप कर क दशा म)

समीपवर्ती चैनल पृथककरण 5. (म टीचैनल उप कर क दशा म)

आवृ थायि व 6.

कूट/सन्नादी विकरण 7.

i. कैरयर स[े]शन

(कैरयर सैस्ड तंत्र क दशाम)

ii. आवांछित साइड बैंड स[ै]शन

(एसएसबी तंत्र क दशा म)

iii. ितीय सन्नादी विकरण

iv. तृतीय सन्नादी विकरण

अधिकतम आवृि विचलन 8. उसज करीति 9. उसज क ब सिवड्थ ड 10. परी ण टोन विचलन 11. आधारब आवृिड 12. (म टीचैनल उप कर क दशा म) अपेित मॉडय़ुलेशन का कार 13. पूव जोर 14. विद्युत आउटपुट 15. (एंटेना के इनपुट पर) कोई अय जानकारी 16. भाग-ग- ।पकों के विवरण आवृि रज 1. ा कि रीति 2. ा कि कूट ति या 3. संवेदनशीलता 4. आवृि थायिव& 5. (क) भावी ध्वनी तापमान 6. (ख) अवसीमा इनपुट तर मध्यवर्ती आवृि 7. जोर मृि 8. चयनशीलता 9. कोई अय विशि यां 10. आवेदक के हता र थान :

तारीख :

(टिप्पण: प्रत्येक प्रकार के उपस्कर के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2015

G.S.R. 697(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Inductive Applications (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Application.**—These rules shall be applicable in the 302 to 351 kHz frequency band.
- 3. **Definition.**—In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Authority" means the authority notified by the Central Government under sub-section (2) of Section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

- (b) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts.
- 4. **Exemption.-** No licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of very low power Radio Frequency devices or equipments for inductive applications in the 302 to 351 kHz frequency band on non-interference, non-protection and shared (non exclusive) basis, with the maximum Field Strength Limits as specified in the Table below, namely:—

TABLETechnical Characteristics

Frequency band	Maximum Field Strength Limits
(1)	(2)
302 to 351 kHz	-15 dBμA/m (H-Field strength) at 10 meters

Provided that wherever specific service license is required from the Central Government, the provisions of these rules shall not apply.

Provided further that wherever the use of this band for airborne devices or applications is required, the provisions of these rules shall not apply.

- **5. Conditions.**—The exemptions granted under rule 4 shall be subject to the following conditions, namely:—
- (a) the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a license has been issued under the provisions of Section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and Section 4 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) informs the authority that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, then such authority shall call upon the user of such unlicensed wireless equipment to take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power and using special type of antennae; failing which such authority shall recommend discontinuation of such wireless use:

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be given to such unlicensed user of wireless equipment by such authority.

(b) these very low power Radio Frequency devices or equipments for inductive applications shall be of Equipment type approved and designed and constructed in such a manner so that the technical parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 4:

Provided that the application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in the application format given in Annexure to these rules.

[No. R-11014/17/2014-NT]

VIRESH GOEL, Dy. Wireless Adviser

Annexure

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

Section-A- Applicant

1. Name of manufacturing agency applying :

for equipment type approval

2. Postal Address of manufacturing Agency :

3. Name of Product and the product :

Identification (model number etc.)

Section- B- Details of Transmitter

1.	Frequency range	:
2.	No. of preset switchable channels	:
3.	No. of voice /Data/ TV Channels	:
	(In case of multi- channel equipment)	
4.	Tx-Rx channel separation	:
	(In case of Duplex/multi-channel equipment)	
5.	Adjacent channel separation	:
	(In case of multi-channel equipment)	
6.	Frequency stability	:
7.	Spurious/ Harmonic radiations	:
	(i) Carrier suppression	:
	(In case of carrier suppressed systems)	
	(ii) Unwanted side band suppression	:
	(In case of SSB systems)	
	(iii) 2 nd Harmonic radiations	:
	(iv) 3 rd Harmonic radiations	:
8.	Max. Frequency Deviation	:
9.	Mode of Emission	:
10.	Bandwidth of Emission	:
11.	Test Tone Deviation	:
12.	Base band frequency	:
	(In case of multi channel equipment)	
13.	Type of modulation to be required	:
14.	Pre-emphasis	:
15.	Power output	:
	(At the input of antenna)	
16.	Any other information	:
Secti	on-C- Details of Receivers	
1.	Frequency range	:
2.	Mode of reception	:
3.	Spurious response of receiver	:
4.	Sensitivity	:
5.	Frequency stability	:
6.	(a) Effective noise temperature	:
	(b) Threshold input level	:
7.	Intermediate frequency	:
8.	De-emphasis	:
9.	Selectivity	:



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708] No. 708] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 5, 2018/आश्विन 13, 1940 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 5, 2018/ASVINA 13, 1940

संचार मंत्रालय

(बेतार योजना एंव समन्वय स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2018

सा.का.िन. 996(अ). — केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, प्रेरणिक उपयोजनों के लिए अति निम्न शिक्त रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञिप्त की अपेक्षा से छूट) नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रेरणिक उपयोजनों के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) संशोधन नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. प्रेरणिक उपयोजनों के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा,अर्थात्:-
- **"2**. **लागू होना**.—ये नियम 302 से 435 किलोहर्ट्ज, 855 से 1050 किलोहर्ट्ज और 1.89 से 2.31 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में लागू होंगे"।
 - 3. उक्त नियम में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

5877 GI/2018 (1)

- "3. परिभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
- (क) "अधिनियम" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकारी" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ग) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके आनुक्रमिक रूप से उन अधिनियमों में दिए गए हैं।
- (घ) "क्षेत्र तीव्रता" से रेडियो संकेत की विद्युत क्षेत्र तीव्रता (डेसीबल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर) या चुम्बकीय तीव्रता (डेसीबल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर) अभिप्रेत है**"।**
 - 4. उक्त नियमों में नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-
- "4. छूट.—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अधिकतम प्रभावी विकिरण शक्ति के साथ, अहस्तक्षेप, असंरक्षित और साझा (गैर विशेष) आधार पर 302 से 435 किलोहर्ट्ज, 855 से 1050 किलोहर्ट्ज और 1.89 से 2.31 मेगाहर्ट्ज के आवृत्ति बैंड में प्रेरणिक उपयोजनों के लिए (बेतार चार्जिंग आदि), अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति की युक्तियों या उपस्करों के उपयोग के प्रयोजन के लिए किसी बेतार उपस्कर को स्थापित करने, अनुरक्षित करने, कार्य करने, रखने या किसी बेतार उपस्करों से व्यवहार करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात्:-

सारणी तकनीकी लक्षण

क्र.सं.	आवृत्ति रेंज	अधिकतम क्षेत्र तीव्रता सीमाएं
1	302 से 435 किलोहर्ट्ज	-15 डेसीबल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर (एच-
		क्षेत्र तीव्रता) 10 मीटरों पर
2	855 से 1050 किलोहर्ट्ज	-15 डेसीबल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर (एच-
		क्षेत्र तीव्रता) 10 मीटरों पर
3	1.89 से 2.3 मेगाहर्ज	-15 डेसीबल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर (एच-
		क्षेत्र तीव्रता) 10 मीटरों पर

परंतु यह कि जब कभी केन्द्रीय सरकार से विशिष्ट सेवा अनुज्ञप्ति आवश्यक हो तो इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे:

परंतु यह और कि जहां विमानवाहित युक्तियों या अनुप्रयोगों के लिए इस बैंड का उपयोग अपेक्षित है, वहां ये नियम लागू नहीं होंगे"।

[फा. सं. आर-11019/01/2018-पीपी]

मकरंद पाठक, सहायक बेतार सलाहकार

टिप्पण.— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 697(अ), तारीख 16 सितंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNITACTIONS

(Wireless Planning and CoordinationWing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2018

- **G.S.R. 996(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Inductive Applications (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2015, namely:
- **1. Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Inductive Applications (Exemption from Licensing Requirement) Amendment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Inductive Applications (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted namely: -
- **"2. Application.—** These rules shall be applicable in the 302 to 435 KHz, 855 to 1050 KHz and 1.89 to 2.31 MHz frequency bands.".
 - 3. In the said rules, for rule 3, the following rule shall be substituted namely: -
 - "3. **Definition.** In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
- (b) "Authority" means the authority notified by the Central Government under sub-section (2) of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
- (c) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), shall have the same meanings respectively as assigned to them in those Acts.
- (d) "Field Strength" means Electric field strength (dB μ v/m) or Magnetic strength (dB μ A/m) of the radio signal.".
 - 4. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted namely: -

"4. Exemption.—

Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Inductive Applications (wireless charging etc.) in the 302 to 435 KHz, 855 to 1050 KHz and 1.89 to 2.31 MHz frequency bands on non-interference, non-protection and shared (non-exclusive) basis, with the maximum Field Strength Limits as specified in the Table below, namely:-

TABLE
Technical Characteristics

S.No.	Frequency Range	Maximum Field Strength Limits
1	302 to 435 KHz	-15 dBµA/m (H-Field Strength) at 10 metres
2	855 to 1050 KHz	-15 dBµA/m (H-Field Strength) at 10 metres
3	1.89 to 2.3 MHz	-15 dBμA/m (H-Field Strength) at 10 metres

Provided that wherever specific service license is required from the Central Government, the provisions of these rules shall not apply:

Provided further that wherever the use of this band for airborne devices or applications is required, the provisions of these rules shall not apply.".

[No. R-11019/01/2018-PP]

MAKRAND PATHAK, Assistant Wireless Adviser

Note. — The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, v Notification number G.S.R. 697(E), dated the 16th September, 2015.



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614] No. 614] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 4, 2010/कार्तिक 13, 1932

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 4, 2010/KARTIKA 13, 1932

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार योजना और समन्वय खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 884(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13)की धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17)की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां का (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2010 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. परिमाषाएं इन नियमों में जब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, इन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में हैं।
- 3. 13.553 13.567 मेगा हर्टज आवृत्ति रेंज में अतरंग अनुप्रयोग के लिए में अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां का उपयोग किसी व्यक्ति को 13.553 13.567 मेगा हर्टज आवृत्ति रेंज में अतरंग अनुप्रयोग के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्करों जिसके अंतर्गत

कार्य करने, रखने

आवृत्ति

सारणी

पर नीचे दी गई सारणी में विनिदिष्ट अधिकतम अन्तर्निमित ऐन्टेना के साथ और क्षेत्र तीव्रता सीमा

तथाअन्य तकनीकी प्राबतों के सिवाय, कोई अनुज्ञाप्ते अपेक्षित नहीं होगी, अर्थात् :-

तकनीकी लक्षण

आवृत्ति बैंड	10 मीटर की दूरी पर अधिकतम विद्युत /चुम्बकीय कीय क्षेत्रतीव्रता सीमा	ऐन्टेना
(1)	(2)	(3)
13.553 - 13.567 मेगा हर्टज	42 माइक्रो ए / मी 10 मीटर पर या	अन्तर्निर्मित ऐन्टेना
	93.5 माइक्रो वी / 10 मीटर पर	

परंतु इस आवृति बैंड में किसी भी प्रकार से विद्यमान अनुज्ञप्ति अधिकार या प्रक्रियों और योजनावद्ध वेतार प्रचालनों पर प्रभाव नहीं पडेगा।

छूट प्राप्त है, से हानिकारक व्यतिक्रम हो रहा है, ऐसी बिना अननुज्ञप्तधारी बेतार उपस्करों के शक्ति को कम करके, एंटीना के विशेष प्रकारों का उपयोग करके जिसके अंतर्गत ऐसे बेतार के जहाँ अधिनियम की धारा 4 के अधीन किसी व्यक्ति को कोई अनुज्ञाप्ते जारी की गई है सूचित करेगा कि उसके अनुज्ञापि प्रणाली में किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से जो इन नियमों के अधीन 4. व्यतिकरण — अवांष्टित ऊर्जा के किसी प्रमाव या उत्सर्जन के किसी संयोजन, किसी रेडियो अपनिर्वचन, या सूचनाओं की हानि जो ऐसी अनवांष्टित ऊर्जा की अनुपस्थिति के निष्कर्ष में हो सकेगा, संचार प्रणाली में किसी उत्सर्जन, विकरण या अभिग्रहण पर उत्प्रेरण के सहयोजन, किसी अवकर्षण, उपयोग को जो उपस्करों के पुनस्थीपन द्वारा व्यतिक्रम को दूर करने के लिए ऐसे आवश्यक उपाय, करने होंगे। उपयोग को रोकना भी है, यदि अपेक्षित हों,

अननुद्धाप्तिघारी उपयोक्ता को परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए युक्ति युक्त अवसर दिया जाएगा । परंतु ऐसे रोकने से पहले ऐसे बेतार उपस्करों के

उपर्युक्त नियम 3 में निर्दिष्ट सारणी में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप उत्सर्जन बैंड की चौड़ाई और अन्य (1) जहां अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां के प्रकार उपस्कर के अनुमोदित होंगे, पैरामीटर्स होंगे और ऐसी रीति में अनुमोदित या डिजाइन और संनिर्माण किए जाएंगे।

- (2) उपस्करों के प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन केन्द्रीय सरकार को उपाबंध 1 में दिए गये आवेदन प्ररूप करना होगा ।
- (3) उपरोक्त उपस्करों के आयात करने के लिए "आयात अनुज्ञप्ति" प्राप्त करने के लिए आवेदन केन्द्रीय सरकार को उपाबंध 2 में दिए गये आवेदन प्ररूप में करना होगा ।

[सं. आर-11020/04/2009-पीपी] आर. के. निरंजन, सहायक बेतार सलाहकार

उपाबंध 1

उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन

भाग-क-आवेदक

- उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन : करने वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम
- 2. विनिर्माता का डाक पता
- प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले भारतीय अभिकरण का नाम और पता
- उत्पाद का नाम और उत्पाद पहचान : (मॉडल सं0 आदि)

भाग-ख-पारेषक का वर्णन

- 1. आवृत्ति रेंज
- 2. प्रीसेट स्विचेबल चैनलों की सं0
- वॉयस/डाटा/टीवी चैनलों की सं0 (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
- टीएक्स-आरएक्स चैनल पृथककरण (डुप्लैक्स/ मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
- समीपवर्ती चैनल पृथककरण (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)

6.	आवृत्ति स्थायित्व	:	
7.	कूट/सन्नादी विकरण		
	i. कैरियर सप्रेशन	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	(कैरियर सप्रैस्ड तंत्र की दशा में)		
	ii. आवांछित साइड बैंड सप्रैशन	:	
	(एसएसबी तंत्र की दशा में)		
	iii. द्वितीय सन्नादी विकरण	:	
	iv. तृतीय सन्नादी विकरण	:	
8.	अधिकतम आवृत्ति विचलन	:	
9.	उत्सर्जन की रीति	:	
10.	उत्सर्जन की बैंडविड्थ	:	
11.	परीक्षण टोन विचलन	;	
12.	आधार बैंड आवृत्ति	•	
	(मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)		
13.	अपेक्षित मॉड्यूलेशन का प्रकार	:	
14.	पूर्व जोर	:	
15.	विद्युत आउटपुट	•	
	(एंटेना के इनपुट पर)		
16.	कोई अन्य जानकारी	:	
भाग-य	ग-प्रापकों के विवरण		
1.	आवृत्ति रेंज	: :	
2.	प्राप्ति की रीति	:	
3.	प्राप्ति की कूट प्रतिक्रिया	:	
4.	संवेदनशीलता	:	
5.	आवृत्ति स्थायित्व	:	
6.	(क) प्रभावी ध्वनी तापमान	:	
	(ख) अवसीमा इनपुट स्तर		
7.	मध्यवर्ती आवृत्ति	:	
8.	जोर मुक्ति	:	
9.	चयनशीलता		
10.	कोई अन्य विशिष्टियां	: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	-	आवेदक के हस्ताक्ष	14
स्थान			
	ख : 		
(टिप्प	णः प्रत्येक प्रकार के उपुस्कर के लिए पृथक आ	वदन प्रस्तुत किए जान चाहिए)	

उपाबंध-2

भारत में बेतार पारेषण और/या ट्रांसरिसीविंग उपस्कर के आयात के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

2. भारत में स्थायी पता

 पत्तन जिस पर उपस्कर का आयात अपेक्षित है

4. आयात की संभावित तारीख

 सीसीआई आयात अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो, का संदर्भ (वाणिज्य मंत्रालय)

6. क) संचार मंत्रालय के करार पत्र का संदर्भ

> ख) क्या प्रथम अनुज्ञप्ति अभी चाहिए या उपाबंध

7. प्रयोजन जिसके लिए अपेक्षित है

(हस्ताक्षर)

मद	विनिर्माता	क्या पारेषक	मॉडल या	मात्रा	प्रचालन की	अनुमानित
सं0	का नाम	/ट्रांसरिसीवर है या	प्रकार सं0		आवृत्ति और	सी.आई.एफ
		उसका अवयव है			आरएफ विद्युत	मूल्य, यदि
			·		आउटपुट	ज्ञात हो ।
1	2	3	4	5	6	7

संलग्न किया जाने वाला तकनीकी साहित्य

स्थानः

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (WIRELESS PLANNING AND COORDINATION WING) NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2010

G.S.R. 884(E).— In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely: –

- 1. Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Use of very low power Radio Frequency devices , for indoor applications in the 13.553-13.567 MHz frequency range (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions. In these rules, unless the context otherwise requires, words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) shall have the same meanings respectively assigned to them in those the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933).
- 3. Use of very low power Radio Frequency devices, for indoor applications in the 13.55313.567 MHz frequency range.— No person shall require license to establish, maintain, work,
 possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of very low power Radio
 Frequency devices, or equipments including Short Range Devices or Radio Frequency
 Identification

Devices, for indoor applications in the 13.553-13.567 MHz frequency range, on non-interference, Non-protection and shared (non exclusive) basis, with built-in antenna and maximum Field Strength Limits and other Technical parameters as specified in the Table below, namely: –

TABLE
Technical characteristics

Frequency Band	Maximum Electric or Magnetic Field strength limit at ten meter distance	Antenna	
(1)	(2)	(3)	
13.553-13.567 MHz	42 dBμA/m at 10 meter	Built-in	
	OR		
	93.5dB μV /m at 10 meter		

Provided that it does not in any way, affects the licensing rights or procedures of existing and planned wireless operations, in this frequency band;

4. Interference .- The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a license has been issued under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) informs that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, the user of such unlicensed wireless equipment shall take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power, using special type of antennae including discontinuation of such wireless use, if required:

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be offered to such unlicensed user of wireless equipment by the issuing authority.

- 5. Equipment. (1) The very low power Radio Frequency wireless devices shall be of Equipment type approved designed and constructed in such a manner so that the bandwidth of emission and other parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 3.
- (2) The application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in such application format in Annexure I.
- (3) For the import of the above equipments, the application for obtaining "Import License" shall have to be made to the Central Government in Annexure II

[No. R-11020/04/2009-PP]
R. K. NIRANJAN, Asstt. Wireless Adviser

Annexure-I

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

Section-A- Applicant

- Name of manufacturing agency applying for equipment type approval
- 2. Postal Address of manufacturing Agency
- 3. Name and address of Indian agency applying for the type approval.
- 4. Name of product and the product Identification (model number etc.,)

Section- B- Dtetails of Transmitter

- 1. Frequency range
- 2. No. of preset switchable channels
- 3. No. of voice /Data/ TV Channels
 (In case of multi- channel equipment)

- 4. Tx-Rx channel separation
 (In case of Duplex/multi-channel equipment)
- 5. Adjacent channel separation (In case of multi-channel equipment)
- 6. Frequency stability
- 7. Spurious/ Harmonic radiations
 - i. Carrier suppression(In case of carrier suppressed systems)ii. Unwanted side band suppression
 - ii. Unwanted side band suppression (In case of SSB systems)
 - iii. 2nd Harmonic radations
- iv. 3rd Harmonic radiations
 8. Max. Frequency Deviation
- 9. Mode of emission
- 10 Bandwidth of emission
- 11. Test Tone deviation
- 12. Base band frequency
 (In case of multi channel equipment)
- 13. Type of modulation to be required
- 14. Pre-emphasis
 - 15. Power output
 (At the input of antenna)
 - 16. Any other information

Section-C- Details of Receivers

- Frequency range
- 2. Mode of reception
- Spurious response of receiver
- 4. Sensitivity
- 5. Frequency stability

4296 GI/10-3

) 		THE GAZ	ETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(i)
6.	(a)	Effective noise temper	rature :	•
	(b)	Threshold input level		
' .	Intern	nediate frequency		
8	De-e	mphasis		
9.	Selec	tivity	:	
.0.	Any	other particulars		
Place	:		Signature of the	e applicant
Date Note	: : Sepa	rate application should be sul	bmitted for each type of equipment.)	
			1	Annexure-I
				-
NTC	IND	<u>IA</u>		
	Name	e of Applicant	•	
•		BLOCK CAPITAL)		
	Perm	anent Address	:	
	in In			
3.				
	Port		:	
	desir	dia at which it is ed to import	: :	
	desir	dia at which it is	•	
4.	desir appa Prob	dia at which it is ed to import ratus able date of	:	
4.	desir appa Prob	dia at which it is ed to import ratus	: :	
	desir appa Prob impo	dia at which it is ed to import ratus able date of		
4 . 5 .	Prob impo	dia at which it is ed to import ratus able date of ortation		

- 6. a) Reference of Ministry of Communications
 Agreement Letter
 - b) Whether first licence wanted now or annexure
- 7. Purpose for which required

(Signature)

Item No	Manufacturer's Name	Whether Transmitter/	Model or	Quantity	Frequency of	Approx. C.I.F
		Transreceiver Or	Type No.		Operation &	Value, if known
		components There of	,		RF power Output	
1	2	3	4	5	6	7

TECHNICAL LITERATURE TO BE ENCLOSED.

d'	
Place	•
ı ıavv	

Date:

Signature of

Applicant:

- 1. (1) These rules may be called the Use of low power wireless equipment in 335 MHz for remote control of cranes (Exemption from Licensing Requirement) Amendment Rules, 2006.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—
- "4. Interference.—The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a licence has been issued under Section 4 of the Act, informs that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, the user of such unlicensed wireless equipment shall take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power, using special type of antennae including discontinuation of such wireless use, if required:

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be offered to such unlicensed user of wireless equipment."

[No. R-11014/31/2004-LR1

P. CHANDRASEKHARAN, Asstt. Wireless Advisor

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated 12th August, 2005, vide Notification No. 532(E), dated the 12th August, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 35(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और 7, और भारतीय बेतार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और 10 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, ''26.957 मेगाहर्ट्ज से 27.283 मेगाहर्ट्ज तक के सिटीजन बैंड में अल्पशिक्त बेतार उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005'' का संशोधन करने के लिए, निम्नुलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः—

- (1) इन नियमों का सिंक्षप्त नाम 26.957 मेगाहर्ट्ज से 27.283 मेगाहर्ट्ज तक के सिटीजन बैंड में बेतार अल्पशक्ति उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) संशोधन नियम, 2006 है।
 - (2) यें राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :
 - ''4. **व्यतिकरण** किसी रेडियो संचार प्रणाली में अभिग्रहण

पर उत्सर्जनों, विकिरणों या आगमन में से किसी एक या उनके किसी मिश्रण के कारण अवांक्षित ऊर्जा का प्रभाव, जो किसी निष्पादन निम्नीकरण, अपनिर्वचन या जानकारी की कमी से प्रकट हुआ हो, जो ऐसी अवांछित ऊर्जा के अभाव में निष्कर्षित किया जा सके, जहां कोई व्यक्ति, जिसको अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञपित जारी की गई है, सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञपित युक्त प्रणाली इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से हानिप्रद विघ्न प्राप्त हो रहा है तो ऐसे अनुज्ञपित विहीन बेतार उपस्कर का अंतरंग उपयोक्ता, उपस्कर को पुन:अवस्थित करके, शक्ति कम करके, विशेष प्रकार के एंटिने का उपयोग करके, जिसमें, यदि आवश्यक हो तो ऐसे बेतार का उपयोग वंद करना सम्मिलित है, विघ्न का परिवर्जन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा :

परन्तु ऐसे उपयोग को बंद करने से पूर्व परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए एक युक्तियुक्त अवसर, बेतार उपस्कर के ऐसे अनुज्ञप्ति विहीन उपयोक्त को, प्रस्थापित किया जाएगा ।''

[सं. आर-11014/31/2004-एलआर]

पी. चन्द्रशेखरन, सहायक बेतार सलाहकार

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 12 अगस्त, 2005 में, अधिसूचना सं. 533(अ), तारीख 12 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2007

- G.S.R. 35(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules to amend the use of low power wireless equipment in the citizen band 26.957—27.283 MHz (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2005, namely:—
 - (1) These rules may be called the Use of low power wireless equipment in the citizen band 26.957—27.283 MHz (Exemption from Licensing Requirement) Amendment Rules, 2006.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—
- "4. Interference.—The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a licence has been issued under Section 4 of the Act, informs that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system

4. Interference.- (1) Interference is the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy. (2) In case where any person to whom a licence has been issued under section 4 of the Act, informs that his licensed system is getting interference from any other radio communication system exempted under these rules, the user of such unlicensed Wireless equipment shall discontinue its use forthwith.

[No. R-11014/04/2005-LR]

ASHOK KUMAR, Jt. Wireless Advisor

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 533(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेडियो आवृत्ति अभिज्ञान यंत्र (आरएफआईडी) के लिए 26.957 से 27.283 मेगाहर्ट्ज तक के सिटीजन बैंड में अल्पशक्ति उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. परिभाषाएं.-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,.-
 - (क) ''अधिनियम'' से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;
 - (ख) ''प्रभावी विकिरित क्षमता'' में एंटिना की प्राप्यता, यदि कोई हो, सम्मिलित है:
 - (ग) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं।
- 3. 26.957 मेगाहर्ट्ज से 27.283 मेगाहर्ट्ज तक के बैंड में बेतार उपस्कर का उपयोग.—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी. किसी भी व्यक्ति में अव्यक्तिकरण, असंरक्षित और हिस्सेदारी (गैर विशिष्ट) आधार पर 26.957 से 27.283 मेगाहर्ट्ज तक के आवृत्ति बैंड में 5 वाट की प्रभावी विकिरित शक्ति और अंत:निर्मित एंटिना गति के समय या विराम के दौरान उपयोग किए जाने के लिए आशयित किसी बेतार उपस्कर की स्थापना करने, अनुरक्षण करने, कार्य करने, कब्जे में रखने या व्यवहार करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति अपेखित नहीं होगी।
- 4. व्यतिकरण.—(1) व्यतिकरण वह है जो किसी रेडियो संचार प्रणाली में अभिग्रहण पर उत्सर्जनों, विकिरिणों या आगमन में से किसी एक या उनके किसी मिश्रण के कारण अवांछित ऊर्जा का प्रभाव, जो किसी निष्पादन निम्नीकरण, अपनिर्वचन या जानकारी की कमी से प्रकट हुआ हो, जो ऐसी अवांछित ऊर्जा के अभाव में निष्कर्षित किया जा सके। (2) उस दशा में जहां कोई व्यक्ति, जिसको अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञित जारी की गई है. सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञित युक्त प्रणाली इन-नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से व्यतिकरण हो रहा है तो ऐसे अनुज्ञितिवहीन बेतार उपस्कर का उपभोक्ता उसका उपयोग तुरन्त बंद कर देगा।

[मं. आर-11014/04/2005-एल आर] अशोक कुमार, संयुक्त बेतार सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2005

G.S.R. 533(E).— In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Use of low power equipment in the Citizen band 26.957 – 27.283 MHz (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2005.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definition.-** In these rules, unless the context otherwise requires, -
- (a)"Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
- (b) "Effective Radiated Power" includes the gain of the antenna, if any;
- (c) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), shall have the same meanings respectively as are assigned to them in those Acts.
- 3. Use of wireless equipment in the band 26.957 27.283 MHz. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment intended to be used while in motion or during halts, on non-interference, non-protection and shared (non-exclusive) basis, in the frequency band 26.957 27.283 MHz with 5 Watt Effective Radiated flower and built-in antenna
- 4. Interference.- (1) Interference is the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy. (2) In case where any person to whom a licence has been issued under section 4 of the Act, informs that his licensed system is getting interference from any other radio communication system exempted under these rules, the user of such unlicensed Wireless equipment shall discontinue its use forthwith.

[No. R-11014/04/2005-LR]
ASHOK KUMAR, Jt. Wireless Advisor



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.562]नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2015/भाद्र 25, 1937No.562]NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2015/BHADRA 25, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार योजना और समन्वय खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 696(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बेतार माइक्रोफोन के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2015 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- लागू होना.—ये नियम 36 से 38 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में लागू होंगे ।
- परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, —
- (क) **"**प्राधिकारी" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसृचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ख) "प्रभावी विकिरण शक्ति" के अंतर्गत एंटिना का गेन, यदि कोई हो, है;
- (ग) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके आनुक्रमिक रूप से उन अधिनियमों में दिए गए हैं।
- 4. **छूट**.—नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अधिकतम प्रभावी विकिरण शक्ति के साथ, अहस्तक्षेप, असंरक्षित और साझा (गैर विशेष) आधार पर, 36 से 38 मेगाहर्ट्ज के आवृत्ति बैंड में बेतार माइक्रोफोन के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति की 3918 GI/2015

युिय या उपस्कर के उपयोग के योजन के लिए कसी बेतार उपस्कर को स्थापित करने, अनुरक्षित करने, काय करने, रखने या कसी बेतार उपस्कर से व्यवहार करने के लिए कसी व्यि को अनुज्ञिक आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात् :--

सारणी तकनीक ल ण

आवृति बैंड	अधिकतम भावी वि करण शि सीमाएं
(1)	(2)
36 से 38 मेगाहट्ज	50 मिलीवाट 200 कलोहट्ज क अधिकतम आडियो चैनल बैंड विड्थ

परंतु यह कजब कभी के ीय सरकार से विशि सेवा अनुज्ञि आवश्यक हो तो इस नियम के उपबंध लागू नहीं ह गे । परंतु यह और कजहां विमानवाहित युितओं या अनुप्रयोग के लिए इस बैंड का उपयोग अपेक्षित है, वहां ये नियम लागू नहीं ह गे ।

- 5. **शर्ते** इस नियम के अधीन अनुद छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन ह गी, अर्थात् :--
 - (क) अवांछित ऊजा के कसी भाव या उ सर्जन के कसी संयोजन, कसी रेडियो संचार णाली म कसी उ सर्जन विकिरण या अभिग्रहण पर उेरण के सहयोजन, कसी आकषण, अपनिर्वचन या सूचनाओं क हानि से कट ऐसी अवांछित ऊजा क अनुपस्थिति म उद्धरण कया जा सकेगा, जहां कोई व्यि, जिसे भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) क धारा 4 और भारतीय बेतार तार यंि क अधिनियम, 1933 (1933 का 17) क धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञि जारी क गई है, ाधिकारी को यह सूचित करता है क उसक अनुि णाली को इन नियम के अधीन छूट किसी अय रेडियो संचार णाली से हानिकर व्यतिक्रम हो रहा है, तो ऐसा ाधिकारी उपस्कर का स्थान प रवतन करके, उसक शिकों कम करके, विशेष कार के एंटेना के उपयोग का व्यतिक्रम से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए ऐसे गैर-अनुि विशेष कार उपस्कर के उपयो को अवसर देगा, जिसम असफल रहने पर ऐसे ाधिकारी ऐसे बेतार के उपयोग को रोकने क सिफा रश करगे:

परंतु यह क ऐसे रोके जाने से पूव, ऐसे ाधिकारी ारा बेतार उपस्कर के ऐसे गैर-अनुज्ञि ा उपयो ा को प रस्थितिय को स्प करने का युियु अवसर दान कया जाएगा।

(ख) बेतार माइक्रोफोन के लिए ये अति निम्न शि रेडियो आवृित युियां या उपस्कर, उपस्कर के कस्म के रूप म ऐसी रीति से अनुमो दत और अभिकि पत तथा संनिर्मित ह गे जो तकनीक ाचल नियम 4 म नि द सारणी म विनि द सीमाओं के अनुरूप ह :

परंतु यह क उपस्कर के कस्म का अनुमोदन ा करने के लिए के ीय सरकार को इन नियम के उपाबंध म दए गए आवेदन के रूप म आवेदन कया जाएगा ।

[सं. आर – 11014/17/2014-एनटी]

वीरेश गोयल, उप बेतार सलाहकार

उपाबंध

उपस्कर कार अनुमोदन के लिए आवेदन

भाग-क-आवेदक

- उपस्कर कार अनुमोदन के लिए आवेदन करने : वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम
- 2. विनिमाता का डाक पता
- उ पाद का नाम और उ पाद पहचान (मॉडल सं. :

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

आ द)

भाग-ख-पारेषक का वर्णन

1.	ગાવૃા રળ	:
2.	ीसेट स्विचेबल चैनल क सं.	:
3.	वॉयस/डाटा/टीवी चैनल क सं.	:
	(म टीचैनल उपस्कर क दशा म)	
4.	टीए स-आरए स चैनल पृथक्करण	:
	(डुप्लैक्स/ म टीचैनल उपस्कर क दशा म)	
5.	समीपवर्ती चैनल पृथक्करण	:
	(म टीचैनल उपस्कर क दशा म)	
6.	आवृि स्थायि व	:
7.	कूट/सन्नादी विकिरण	
	i. कै रयर स [े] शन	:
	(कै रयर स [ै] स्ड तं क दशा म)	
	ii. अवांछित साइड बैंड स [*] शन	:
	(एसएसबी तंत्र क दशा म)	
	iii. ितीय सन्नादी विकिरण	:
	iv. तृतीय सन्नादी विकिरण	:
8.	अधिकतम आवृि विचलन	:
9.	उ सर्जन क रीति	:
10.	उ सर्जन क बैंडविड्थ	:
11.	परीक्षण टोन विचलन	:
12.	आधार बैंड आवृि	•
	(म टीचैनल उपस्कर क दशा म)	
13.	अपेक्षित मॉडयूलेशन का कार	:
14.	पूव जोर	:
15.	विद्युत आउटपुट	:
	(एंटेना के इनपुट पर)	
16.	कोई अ य जानकारी	:
भाग-ग	- ापकों के विवरण	
1.	आवृि रज	:
2.	िक रीति	:
3.	ािक कूट तिक्रया	:

4. संवेदनशीलता :

आवृ स्थायि व :

6. (क) भावी ध्वनी तापमान - :

(ख) अवसीमा इनपुट स्तर

7. मध्यवर्ती आवृ

8 जोर मुि :

9. चयनशीलता

10. कोई अय विशि यां

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :-तारीख

,

(टप्पण: येक कार के उपस्कर के लिए पृथक आवेदन स्तुत कए जाने चाहिए)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (Wireless Planning and Coordination Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2015

G.S.R. 696(E).—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- **1. Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Wireless Microphones (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** Application.— These rules shall be applicable in the 36 to 38 MHz frequency band.
- 3. Definition.— In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Authority" means the authority notified by the Central Government under sub-section (2) of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
 - (b) "Effective Radiated Power" includes the gain of the antenna, if any;
 - (c) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts.
- **Exemption.**—No licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of very low power Radio Frequency devices or equipments for wireless microphones in the 36 to 38 MHz frequency band on non-interference, non-protection and shared (non exclusive) basis, with the maximum Effective Radiated Power Limits as specified in the Table below, namely:—

TABLE Technical characteristics

Frequency band Maximum Effective Radiated Power Limits	
(1)	(2)
36 to 38 MHz	50 mW; maximum audio channel bandwidth of 200 kHz

Provided that wherever specific service license is required from the Central Government, the provisions of these rules shall not apply.

Provided further that wherever the use of this band for airborne devices or applications is required, the provisions of these rules shall not apply.

- **5. Conditions.**—The exemptions granted under rule 4 shall be subject to the following conditions, namely:
 - the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a license has been issued under the provisions of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and section 4 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) informs the authority that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, then such authority shall call upon the user of such unlicensed wireless equipment to take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power and using special type of antennae; failing which such authority shall recommend discontinuation of such wireless use:

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be given to such unlicensed user of wireless equipment by such authority.

(b) these very low power Radio Frequency devices or equipments for wireless microphones shall be of Equipment type approved and designed and constructed in such a manner so that the technical parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 4:

Provided that the application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in the application format given in Annexure to these rules.

[No. R-11014/17/2014-NT]

VIRESH GOEL, Dy. Wireless Adviser

Annexure

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

Section-A- Applicant

6.

1.	Name of manufacturing agency applying	:
	for equipment type approval	
2.	Postal Address of manufacturing Agency	:
3.	Name of Product and the product	:
	Identification (model number etc.)	
	Section- B- Detail	ls of Transmitter
1.	Frequency range	:
2.	No. of preset switchable channels	:
3.	No. of voice /Data/ TV Channels	:
	(In case of multi- channel equipment)	
4.	Tx-Rx channel separation	:
	(In case of Duplex/multi-channel equipment)	
5.	Adjacent channel separation	:

(In case of multi-channel equipment)

Frequency stability

7.	Spurious/ Harmonic radiations	:
	(i) Carrier suppression	:
	(In case of carrier suppressed systems)	
	(ii) Unwanted side band suppression	:
	(In case of SSB systems)	
	(iii) 2 nd Harmonic radiations	:
	(iv) 3 rd Harmonic radiations	:
8.	Max. Frequency Deviation	:
9.	Mode of Emission	:
10.	Bandwidth of Emission	:
11.	Test Tone Deviation	:
12.	Base band frequency	:
	(In case of multi channel equipment)	
13.	Type of modulation to be required	:
14.	Pre-emphasis	:
15.	Power output	:
	(At the input of antenna)	
16.	Any other information	:
	Section-C- D	etails of Receivers
1.	Frequency range	:
2.	Mode of reception	:
3.	Spurious response of receiver	:
4.	Sensitivity	:
5.	Frequency stability	:
6.	(a) Effective noise temperature	:
	(b) Threshold input level	:
7.	Intermediate frequency	:
8.	De-emphasis	:
9.	Selectivity	:
10.	Any other particulars	:
		Signature of the applicant
Place	:	
Date	:	
(Note	: Separate application should be submitted	for each type of equipment.)

MRA Sazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

ti. 27] No. 27] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 2007/माघ 2, 1928

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 2007/MAGHA 2, 1928

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध)

अधिसूचना .

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 34(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7, और भारतीय बेतार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''क्रेनों के दूरस्थ नियंत्रण के लिए 335 मेगाहर्ट्ज में अल्पशक्ति बेतार उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005'' का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्रेनों के दूरस्थ नियंत्रण के लिए 335 मेगाहर्ट्ज में अल्पशक्ति बेतार उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) संशोधन नियम, 2006 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"4. व्यतिकरण-किसी रेडियो संचार प्रणाली में अभिग्रहण पर उत्सर्जनों, विकिरणों या आगमन में से किसी एक या उनके किसी मिश्रण के कारण अवांछित ऊर्जा का प्रभाव, जो किसी निष्पादन, निम्नीकरण, अपनिर्वचन या जानकारी की कमी से प्रकट हुआ हो, जो ऐसी अवांछित ऊर्जा के अभाव में निष्कर्षित किया जा सके, जहां कोई व्यक्ति, जिसको अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है, सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञप्ति युक्त प्रणाली इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से हानिप्रद विघन प्राप्त हो रहा है तो ऐसे अनुज्ञप्ति विहीन बेतार उपस्कर

का अंतरंग उपयोक्ता, उपस्कर को पुन:अवस्थित करके, शक्ति कम करके, विशेष प्रकार के एंटिने का उपयोग करके, जिसमें, यदि आवश्यक हो तो ऐसे बेतार का उपयोग बंद करना सम्मिलित है, विष्न का परिवर्जन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा:

परन्तु ऐसे उपयोग को बंद करने से पूर्व परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए एक युक्तियुक्त अवसर, बेतार उपस्कर के ऐसे अनुज्ञप्ति विहीन उपयोक्ता को, प्रस्थापित किया जाएगा।''

[सं. आर-11014/31/2004-एलआर]

पी. चन्द्रशेखरन, सहायक बेतार सलाहकार

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 12 अगस्त, 2005 में, अधिसूचना सं. 532(अ), तारीख 12 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(WIRELESS PLANNING AND COORDINATION WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2007

G.S.R. 34(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules to amend the "Use of low power wireless equipment in 335 MHz for remote control of cranes (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2005," namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Use of low power wireless equipment in 335 MHz for remote control of cranes (Exemption from Licensing Requirement) Amendment Rules, 2006.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—
- "4. Interference.—The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a licence has been issued under Section 4 of the Act, informs that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, the user of such unlicensed wireless equipment shall take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power, using special type of antennae including discontinuation of such wireless use, if required:

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be offered to such unlicensed user of wireless equipment."

[No. R-11014/31/2004-LR]

P. CHANDRASEKHARAN, Asstt. Wireless Advisor

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated 12th August, 2005, vide Notification No. 532(E), dated the 12th August, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 35(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और 7, और भारतीय बेतार यात्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और 10 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, ''26.957 मेगाहर्ट्ज से 27.283 मेगाहर्ट्ज तक के सिटीजन बैंड में अल्पशिक्त बेतार उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005'' का संशोधन करने के लिए, निम्नुलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः—

- (1) इन नियमों का सिंक्षप्त नाम 26.957 मेगाहर्ट्ज से 27.283 मेगाहर्ट्ज तक के सिटीजन बैंड में बेतार अल्पशक्ति उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) संशोधन नियम, 2006 है।
 - (2) यें राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. उक्त नियमों के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :
 - ''4. **व्यतिकरण** किसी रेडियो संचार प्रणाली में अभिग्रहण

पर उत्सर्जनों, विकिरणों या आगमन में से किसी एक या उनके किसी मिश्रण के कारण अवांक्षित ऊर्जा का प्रभाव, जो किसी निष्पादन निम्नीकरण, अपनिर्वचन या जनकारी की कमी से प्रकट हुआ हो, जो ऐसी अवांछित ऊर्जा के अभाव में निष्कर्षित किया जा सके, जहां कोई व्यक्ति, जिसको अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञपित जारी की गई है, सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञपित युक्त प्रणाली इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से हानिप्रद विघ्न प्राप्त हो रहा है तो ऐसे अनुज्ञपित विहीन बेतार उपस्कर का अंतरंग उपयोक्ता, उपस्कर को पुन:अवस्थित करके, शक्ति कम करके, विशेष प्रकार के एंटिने का उपयोग करके, जिसमें, यदि आवश्यक हो तो ऐसे बेतार का उपयोग वंद करना सम्मिलित है, विघ्न का परिवर्जन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा:

परन्तु ऐसे उपयोग को बंद करने से पूर्व परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए एक युक्तियुक्त अवसर, बेतार उपस्कर के ऐसे अनुज्ञप्ति विहीन उपयोक्त को, प्रस्थापित किया जाएगा ।''

[सं. आर-11014/31/2004-एलआर]

पी. चन्द्रशेखरन, सहायक बेतार सलाहकार

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 12 अगस्त, 2005 में, अधिसूचना सं. 533(अ), तारीख 12 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2007

- G.S.R. 35(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules to amend the use of low power wireless equipment in the citizen band 26.957—27.283 MHz (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2005, namely:—
 - (1) These rules may be called the Use of low power wireless equipment in the citizen band 26.957—27.283 MHz (Exemption from Licensing Requirement) Amendment Rules, 2006.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—
- "4. Interference.—The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a licence has been issued under Section 4 of the Act, informs that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350] No. 350] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 2005/श्रावण 21, 1927 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 2005/SRAVANA 21, 1927

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 532(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्र<u>द</u>त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्रेनों के दूरस्थ नियंत्रण के लिए 335 मेगाहर्ट्ज बैंड में अल्पशक्ति उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. परिभाषाएं.-इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) ''अधिनियम'' से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;
- (ख) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं।
- 3. **335 मेगाहर्ट्ज बैंड में बेतार उपस्कर का उपयोग.**—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति से नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट आवृत्तियों, उत्सर्जन, एंटिना और संचारी शिक्त में, अव्यतिकरण, असंरक्षित और हिस्सेदारी (अनन्य रहित) के आधार पर क्रेनों के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किसी बेतार उपस्कर की स्थापना करने, अनुरक्षण करने, कार्य करने, कब्जे में रखने या व्यवहार करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी, अर्थात् :—

सारणी .

आवृत्तियां (मेगाहट्जी)	उत्सर्जन	संचारी शक्ति	ऍटिना
(1)	(2)	(3)	(4)
335,7125	10 के 0 एफ 1डी	1 मिली वाट	अंत:निर्मित एंटिना
335,7375			
335.7625			
335.7875		•	
335.8125			
335.8375			•

2415 GI/2005

4. व्यक्तिकरण.—(1) व्यक्तिकरण वह है जो किसी रेडियो संचार प्रणाली में अभिग्रहण पर उत्सर्जनों, विकिरिणों या आगमन में से किसी एक या उनके किसी मिश्रण के कारण अवांछित ऊर्जा का प्रभाव, जो किसी निप्पादन निम्नीकरण, अपनिर्वचन या जानकारी की कमी से प्रकट हुआ हो, जो ऐसी अविछित ऊर्जा के अभाव में निष्कर्षित किया जा सके। (2) जस दशा में जहां कोई व्यक्ति, जिसको अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई, सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञप्ति युक्त प्रणाली इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से व्यक्तिकरण हो रहा है तो ऐसे अनुज्ञप्तिविहीन बेतार उपस्कर का उपयोक्ता उसका उपयोग तुरन्त बंद कर देगा।

[सं. आर-11014/04/2005-एल आर] अशोक कुमार, संयुक्त बेतार सलाहकार

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (Wireless Planning and Coordination Wing) NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2005

GS.R. 532(E).— In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Use of low power equipment in the 335 MHz band for remote control of cranes (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definition.-** In these rules, unless the context otherwise requires, -
- (a)"Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
- (b) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), shall have the same meanings respectively as are assigned to them in those Acts.
- 3. Use of wireless equipment in the 335 MHz band. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the remote control of cranes, on non-interference, non-protection and shared (non-exclusive) basis, in the frequencies, Emission, antenna and Transmit Power as specified in the Table below, namely:

Table

Frequencies (MHz)	Emission	Transmit Power	Antenna
(1)	(2)	(3)	(4)
335.7125 335.7375 335.7625 335.7875 335.8125	10K0F1D	1 m W	Inbuilt Antenna
335.8375			

4. Interference.- (1) Interference is the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy. (2) In case where any person to whom a licence has been issued under section 4 of the Act, informs that his licensed system is getting interference from any other radio communication system exempted under these rules, the user of such unlicensed Wireless equipment shall discontinue its use forthwith.

[No. R-11014/04/2005-LR]

ASHOK KUMAR, Jt. Wireless Advisor

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 533(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेडियो आवृत्ति अभिज्ञान यंत्र (आरएफआईडी) के लिए 26.957 से 27.283 मेगाहर्ट्ज तक के सिटीजन बैंड में अल्पशक्ति उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. परिभाषाएं.-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,.-
 - (क) ''अधिनियम'' से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;
 - (ख) ''प्रभावी विकिरित क्षमता'' में एंटिना की प्राप्यता, यदि कोई हो, सम्मिलित है:
 - (ग) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं।
- 3. 26.957 मेगाहर्द्ज से 27.283 मेगाहर्द्ज तक के बैंड में बेतार उपस्कर का उपयोग.—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी. किसी भी व्यक्ति में अव्यक्तिकरण, असंरक्षित और हिस्सेदारी (गैर विशिष्ट) आधार पर 26.957 से 27.283 मेगाहर्ट्ज तक के आवृत्ति बैंड में 5 वाट की प्रभावी विकिरित शक्ति और अंत:निर्मित एंटिना गति के समय या विराम के दौरान उपयोग किए जाने के लिए आशयित किसी बेतार उपस्कर की स्थापना करने, अनुरक्षण करने, कार्य करने, कब्जे में रखने या व्यवहार करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति अपेखित नहीं होगी।
- 4. व्यतिकरण.—(1) व्यतिकरण वह है जो किसी रेडियो संचार प्रणाली में अभिग्रहण पर उत्सर्जनों, विकिरिणों या आगमन में से किसी एक या उनके किसी मिश्रण के कारण अवांछित ऊर्जा का प्रभाव, जो किसी निष्पादन निम्नीकरण, अपनिर्वचन या जानकारी की कमी से प्रकट हुआ हो, जो ऐसी अवांछित ऊर्जा के अभाव में निष्कर्षित किया जा सके। (2) उस दशा में जहां कोई व्यक्ति, जिसको अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञित जारी की गई है. सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञित युक्त प्रणाली इन-नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से व्यतिकरण हो रहा है तो ऐसे अनुज्ञितिवहीन बेतार उपस्कर का उपभोक्ता उसका उपयोग तुरन्त बंद कर देगा।

[मं. आर-11014/04/2005-एल आर] अशोक कुमार, संयुक्त बेतार सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2005

G.S.R. 533(E).— In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Use of low power equipment in the Citizen band 26.957 – 27.283 MHz (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2005.

Heam Inusia The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ੱ. 514] No. 514] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2008/आश्विन 1, 1930 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2008/ASVINA 1, 1930

संचार एवं सुचना प्रौद्योपिकी पंत्रालय

(बेतार योजना और समन्दर चण्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2008

सा.का.चि. 673(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और घारा 7 तथा भारतीय बेतार तारयोंत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंप.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अत्यन्त अल्प क्षमता सुदूर हद पानीटरी रेडियो आवृत्ति बेतार विकित्सा युक्तियां, चिकित्सा रोपित संसूचना प्रणाली (एम आई सी एस) या चिकित्सा रोपित दूरिमिति प्रणाली (एम आई टी एस) और ऐसी अन्य अत्यन्त अल्प क्षमता चिकित्सा रेडियो आवृत्ति बेतार युक्तियां या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षाओं से छूट) नियम, 2008 है.।
 - (2) ये नियम 402-405 मेगाहर्ट्य आवृत्ति बैंड पर लागू होंगे ।
 - (3) ये राजपत्र में प्रकाशन को तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
 - 2. **परिभाषा.** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) '' अधिनियम'' से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिष्रेत है;
 - (ख) ''प्रभावी विकिरित शक्ति'' में ऐन्टेना की लब्धि, यदि कोई है, सम्मिलित है;
 - (ग) उन शब्दों और पदों के जो इन निवमों में प्रयुक्त हैं और परिच्छिक्त नहीं है किन्तु अधिनियम में और मारतीय बेतार चारव्यंत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियम, में हैं ।
- 3. अत्यन्त अल्प क्षमता सुदूर इद मानीटरी रेडियो आवृत्ति बेतार चिकित्सा युवितयां, चिकित्सा रोपित संसूचना प्रणाली (एम आई सी एस) या चिकित्सा रोपित दूरिमित प्रणाली (एम आई टी एस) और ऐसी अन्य अत्यन्त अल्प क्षमता चिकित्सा रेडियो अत्वृत्ति बेतार युवितयां या 402-405 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बेंड में उपस्करों का उपयोग, –िकसी विधि में तत्समय प्रवृत्त किसी बात के होते हुए भी, बिना इस्तक्षेप, बिना संरक्षण और भागीदारी (गैर-अनन्य) के आधार पर निम्नालिखित सारणी में यक्षविनिर्दिष्ट अधिकतम प्रभावो

3689 GI/2008

समर्रेशिक विकिरित भगता और अन्य तकनीको प्राचलों सहित अत्यन्त अल्प क्षमता सुदूर हद मानीटरी रेडियो आवृत्ति बेतार चिकित्सा युक्तियां, चिकित्सा रोपित संसूचना प्रणाली (एम आई सी एस) या चिकित्सा रोपित दूरमिति प्रणाली (एम आई टी एस) और ऐसे अन्य अत्यन्त अल्प क्षमता चिकित्सा रेडियो आवृत्ति बेतार युक्तियां या 402-405 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बेंड में उपस्करों के उपयोग के प्रयोजन के लिए किसी बेतार उपस्कर की किसी ब्यक्ति द्वारा स्थापना करने, उसका अनुरक्षण करने, उससे कार्य, प्रक्रिया या व्यवहार करने के लिए कोई अनुज्ञन्ति अपेक्षित नहीं होगी, अर्थात् :—

सारणी

आवृत्ति बैंड	अधिकतम प्रभावी विकिरित क्षमता (ईआरपी) और उत्सर्जन बैंडविड्थ	ऐन्टेना का प्रकार
(1)	(2)	(3)
402-405 मेगाहर्ट्ज	300 किलोइट्ज के भीतर चैनल उत्सर्जन बैंडिकिड्थ सहित 25 माइक्रोवाट या उससे कम की अधिकतम प्रभावी विकिरित क्षमता (अधिकतम ईआरपी)	अन्सर्निर्मित एन्ट्रेन।

4. हस्तक्षेप.—िकसी रेडियो संसूचना प्रणाली में अभिग्रहण पर किसी एक उत्सर्जन या उत्सर्जनों के संयोजनों, विकिश्ण या प्रेरण के कारण अविकिश कर्जा का प्रमाद किसी ऐसे निप्पादन के निर्माकरण, अपनिर्वचन या सूचना की हर्तन के रूप में जो ऐसी अविकिश कर्जा की अनुपरिश्वित में प्राप्त की जा सकती है, वहां प्रकट होता है जहां कोई व्यक्ति, जिसको अधिनियम की धाए 4 के अधीन कोई अनुज्ञांप जारी की गई है यह सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञप प्रणाली को इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो संसूचना प्रणाली से हानिकारक हस्तक्षेप प्राप्त हो रहा है तो ऐसे अनुज्ञप्त बेतार उपयोगकर्ता, उपस्कर को पुन:अवस्थित करतो, अमता को कम करको, विशेष प्रकार के ऐन्टेना के उपयोग हास जिसमें यदि अपेक्षित हो तो ऐसे बेतार के उपयोग को रीका जाना भी सिम्मिलत है, हम्बक्षेप का निवारण करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा :

परन्तु ऐसे गंके जाने से पूर्व बंतार उपस्कर के अवनुजान उपयोगकर्ता की परिस्थितियां स्पष्ट करने का एक युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

- 5, उपस्कर, = (1) चिकित्सा वेतार युक्ति या उपस्कर अनुमोदित प्रकार का होगा और ऐसी सेर्ति से दिशाइन किया गया तथा सन्तिर्मित होगा जो उत्सर्जन के वैंडविड्थ और अन्य प्राचल उक्त नियमों में निर्दिष्ट सारणी में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार हैं।
- (2) अनुमोदित प्रकार के उपस्कर को अधिप्राप्त करने के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में जो क्षेत्रमाईट www.wpc.dot.gov.in. पर उपलब्ध होगा, केन्द्रीय सरकार को किया जाएगा ।
 - 6. **शर्ते** ये नियम,-
 - इस आवर्ती बैंड में विद्यमान और योजनायद्ध बेतार प्रचालनों के अनुज्ञप्त अधिकारों या प्रक्रिया को किसी प्रकार प्रभावित महीं करते हैं:
 - (ii) जहां कहीं भी केन्द्रीय सरकार से विनिर्दिष्ट सेवा अनुज्ञप्त अपेक्षित हैं, लागू नहीं होते हैं ।

[स, आर-11020/03/2008-पीपी]

भहा सिंह, सहायक बेतार सलाहकार

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Wireless Planning and Coordination Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2008

- G.S.R. 673(E). —In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the use of very low power remote cardiac monitoring radio frequency wireless medical devices, medical implant communication systems (MICS) or medical implant telemetry systems (MICS), and other such very low power medical radio frequency wireless devices or equipments (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2008.
 - (2) These rules shall be applicable in the 402-405MHz frequency band.
 - (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- Definition.—In those rules, unless the context otherwise requires.—
 - (a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
 - (b) "Effective Radiated Power" includes the gain of the antenna, if any;
 - (c) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), shall have the same meanings respectively as assigned to them in those Acts.
- 3. Use of very low power remote cardiac monitoring radio frequency wireless medical devices, modical implant communication systems (MICS) or medical implant telemetry systems (MITS), and other such very low power medical radio frequency wireless devices or equipments in the 402-405MHz frequency band. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of very low power remote cardiac monitoring radio frequency wireless medical devices, medical implant communication systems (MICS) or medical implant telemetry systems (MITS), and other such very low power medical radio frequency wireless devices or equipments in the 402-405MHz frequency band, on non-interference, non-protection and shared (non-exclusive) basis, with the Maximum Effective isotropic Radiated Power and other technical parameters as specified in the Table below, namely:—

TABLE

Frequency Band	Maximum Effective Radiated Power (ERP) and Emission Bandwidth	Type of Antenna
(1)	(2)	(3)
402-405MHz	Maximum Effective Radiated Power (Maximum ERP) of 25 micro Watt or less, with channel emission bandwidth within 300KHz.	Built-in Antenna

4. Interference.—The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a licence has been issued under Section 4 of the Act, informs that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, the user of such unlicensed wireless equipment shall take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power, using special type of antenna including discontinuation of such wireless use, if required:

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstaces shall be offered to such unlicensed user of wireless equipment.

- 5. Equipment.—(1) The medical wireless device or equipment shall be type approved and designed and constructed in such a manner that the bandwidth of emission and other parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in above rules.
- (2) The application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in such application format which shall be available on website; www.wpc.dot.gov.in.
 - Conditions.—These rules.—
 - do not in any way, affects the licensing rights or procedures of existing and planned wireless operation, in this frequency band;
 - (ii) are not applicable, wherever specific service license is required from the Central Government,

[No. R-11020/03/2008-PP]

MAHA SINGH, Assistant Wireless Adviser



जलाजारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4491

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 2012/भाद्र 21, 1934

No. 449]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 2012/BHADRA 21, 1934

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार योजना और समन्वय खंड विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 680(अ). केंद्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 433 से 434 मेगाहर्टज आवृति रेंज में इनडोर अनुप्रयोगों के लिए निम्न शक्ति युक्तियों या उपस्करों का (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) उपयोग नियम, 2012 है।
- (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. परिभाषाएं इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, इन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में हैं।
- 3. 433 से 434 मेगाहर्टज आवृति रेंज में इनडोर अनुप्रयोगों के लिए निम्न शक्ति युक्तियों या उपरकरों का उपयोग किसी व्यक्ति को 433 से 434 मेगाहर्टज आवृति रेंज में इनडोर अनुप्रयोगों के लिए निम्न शक्ति युक्तियों या उपस्करों के उपयोग के लिए उन्हें स्थापित करने, अनुरक्षण करने, कार्य करने, रखने या व्यौहार करने में जिसमें बिनाहरूतक्षेप, बिनासंरक्षण या सम्मिलित आधार पर (अनन्य रूप से नहीं) नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट अंतर्निर्मित ऐन्टेना और तकनीकी पैरामीटरों के साथ किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी, अर्थात् :-

सारणी तकनीकी लक्षण

आवृति बैंड	अधिकतम प्रभावी विकीर्ण शक्ति (ईआरपी) और उत्सर्जन, तरंगद्धैर्य	ऐन्टेना
(1)	(2)	(3)
433 से 434 मेगाहर्टज	10 किलोहर्टज के भीतर चैनल तरंगद्धैर्य के साथ 10 मिलीवाट	केवल अंतर्निर्मित

परंतु इस आवृत्ति बैंड में किसी भी प्रकार से विद्यमान अनुज्ञप्ति अधिकार या प्रक्रियों और योजनाबद्ध बेतार क्रियालनों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

4. व्यतिकरण - अवांछित ऊर्जा के किसी प्रभाव या उत्सर्जन के किसी संयोजन, किसी रेडियो संचार प्रणाली में किसी उत्सर्जन, विकरण या अभिग्रहण पर उत्प्रेरण के सहयोजन, किसी अवकर्षण, अपनिर्वचन, या सूचनाओं की हानि जो ऐसी अनवांछित ऊर्जा की अनुपस्थिति के निष्कर्ष में हो सकेगा, जहां भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 के अधीन और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 के अधीन किसी व्यक्ति को कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है सूचित करेगा कि उसके अनुज्ञप्ति प्रणाली में किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से जो इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त है, से हानिकारक व्यतिक्रम हो रहा है, ऐसी बिना अननुज्ञप्तिधारी बेतार उपस्करों के उपयोग को जो उपस्करों के पुनर्स्थापन द्वारा व्यतिक्रम को दूर करने के लिए ऐसे आवश्यक उपाय, शक्ति को कम करके, एंटीना के विशेष प्रकारों का उपयोग करके जिसके अंतर्गत ऐसे बेतार के उपयोग को रोकना भी है, यदि अपेक्षित हों, करने होंगे।

परंतु यह कि ऐसे रोकने से पहले ग्रेसे बेतार उपस्करों के अननुज्ञप्तिधारी उपयोक्ता को परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

- 5. उपस्कर (1) निम्न शक्ति युक्तियां या उपस्कर अनुमोदित उपस्कर प्रकार और डिजाइन के होंगे तथा उनका संनिर्माण ऐसी रीति में किया जाएगा ताकि तकनीकी मैरामीटर नियम 3 में निर्दिष्ट सारणी में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप हों।
- (2) उपस्करों के प्रकार का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन केन्द्रीय सरकार को उपाबंध में दिए गए आवेदन प्ररूप में किया जाएगा ।

[सं. आर-11020/10/2010-पीपी] एल. एफ. हुमणे, सहायक बेतार सलाहकार उपाबंध

उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन

भाग - क - आवेदक

- उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम
- 2. विनिर्माता का डाक पता
- प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले भारतीय अभिकरण का नाम और पता
- 4. उत्पाद का नाम और उत्पाद पहचान (मॉडल सं. आदि)

भाग - ख - पारेषक का वर्णन

- 1. आवृत्ति रंज
- 2. प्रीसेट स्विचेबल चैनलों की सं.
- वॉयस/डाटा/टीवी चैनलों की सं.
 (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
- 4. टीएक्स-आरएक्स चैनल पृथक्करण (डुप्लैक्स/मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
- 5. समीपवर्ती चैनल पृथक्करण (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
- 6. आवृत्ति स्थायित्व
- 7. कूट/सन्नादी विकरण
 - i. कैरियर सप्रेशन

(कैरियर सप्रैस्ड तंत्र की दशा में)

ii. आवांछित साइड बैंड सप्रैशन

(एसएसबी तंत्र की दशा में)

- iii. द्वितीय सन्नादी विकरण
- iv. तृतीय सन्नादी विकरण
- 8. अधिकतम आवृत्ति विचलन 🌿
- 9. उत्सर्जन की रीति
- 10. उत्सर्जन की बैंडविड्थ
- 11. परीक्षण टोन विचलन
- आधार बैंड आवृत्ति
 (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
- 13. अपेक्षित मॉड्यूलेशन का प्रकार
- 14. पूर्व जोर
- विद्युत आउटपुट
 (एंटेना के इनपुट पर)
- 16. कोई अन्य जानकारी

भाग - ग- प्रापकों के विवरण

- 1. आवृत्ति रेंज
- 2. प्राप्ति की रीति
- 3. प्राप्ति की कूट प्रतिक्रिया
- 4. संवेदनशीलता
- 5. आवृत्ति स्थायित्व
- 6. (क) प्रभावी ध्वनी तापमान
 - (ख) अवसीमा इनपुट स्तर

- 7. मध्यवर्ती आवृत्ति
- .8. जोर मुक्ति
- 9. चयनशीलता
- 10. कोई अन्य विशिष्टियां

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

(टिप्पण : प्रत्येक प्रकार के उपस्कर के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (Wireless Planning and Coordination Wing) NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2012

G.S.R. 680(E).— In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely: –

- 1. Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Use of low power devices or equipments for indoor applications in the 433 to 434 MHz frequency range (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions. In these rules, unless the context otherwise requires, words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) shall have the same meanings respectively assigned to them in those the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933).
- 3. Use of low power devices or equipments, for indoor applications in the 433 to 434 MHz frequency range .- No person shall require license to establish,

maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of low power devices, or equipments for indoor applications in the 433 to 434 MHz frequency range, on non-interference, Non-protection and shared (non exclusive) basis, with built-in antenna and Technical parameters as specified in the Table below, namely: -

TABLE Technical characteristics

Frequency Band	Maximum Effective Radiated Power(Antenna
	ERP),	
	and Emission, Bandwidth	
(1)	(2)	(3)
433 to 434 MHz	10 milliwatts	Built-in only
	With a channel bandwidth within 10 KHz	

· Provided that it does not in any way, affects the licensing rights or procedures of existing and planned wireless operations, in this frequency band.

Interference .- The effect of unwanted energy due to one or a combination 4. of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a license has been issued under the provisions of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and section 4 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) informs that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, the user of such unlicensed wireless equipment shall take necessary

3450 GI/12-2

steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power, using special type of antennae including discontinuation of such wireless use, if required:

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be given to such unlicensed user of wireless equipment by the issuing authority.

- 5. Equipment. (1) The low power devices or equipments shall be of Equipment Type Approved designed and constructed in such a manner so that the technical parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 3.
- (2) The application for obtaining the Equipment Type Approval shall be made to the Central Government in the application format given in Annexure.

[No. R-11020/10/2010-PP]
L. F. HUMNEY, Assistant Wireless Adviser

Annexure

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

Section-A-applicant

- Name of manufacturing agency applying
 For equipment type approval
- 2. Postal address of manufacturing agency
- 3. Name of product and the product identification (model number etc..)

Section-B-Details of Transmitter

1. Frequency range

2.	No. of preset switchable channels	:
3.	No. of voice / Data/ TV Channels (In case of multi- channel equipment)	:
4.	Tx-Rx channel separation (In case of Duplex/multi-channel equipm	: nent)
5.	Adjacent channel separation (In case of multi-channel equipment)	ŗ
6.	Frequency stability	:
7.	Spurious / Harmonic radiations	:
	i. Carrier suppression(In case of carrier suppressed systems)ii. Unwanted side band suppression(In case of SSB systems)	; :
	iii. 2nd Harmonic radiations	. 1
8.	iv. 3 rd harmonic radiations Max. Frequency Deviation	- :
9.	Mode of Emission	
10.	Bandwidth of Emission	
11.	Test Tone Deviation	:
12.	Base band frequency	
	(In case of multi channel equipment)	
13.	Type of modulation to be required	:
14.	Pre-emphasis	:
15.	Power out-put	:
	(At the input of antenna)	
16.	Any other information	

Section-C- Details of Receivers

1.	Frequency range	
2.	Mode of reception	
3.	Spurious response of receiver	
4.	Sensitivity	
5.	Frequency stability	
6.	(a) Effective noise temperature	
	(b) Threshold input level	
7.	Intermediate frequency	
8.	De-emphasis	
9.	Selectivity	
10.	Any other particulars	Signature of applicant

Place:

Date:

(Note: Separate application should be submitted for each type of equipment)

10. Any other particulars

Signature of the applicant

Place:

Date

(**Note** : Separate application should be submitted for each type of equipment.)

अधिसूचना

नई दिल्ली 16 सितंबर, 2015

सा.का.नि. 698(अ),—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां भी हैं, के उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2015 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना.—ये नियम 433 से 434.79 मेगाहर्टज आवृत्ति बैंड में लागू होंगे।
- 3. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, -
- (क) "प्राधिकारी" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ख) "प्रभावी विकिरण शक्ति" के अंतर्गत एंटिना का गेन, यदि कोई हो, है;
- (ग) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके आनुक्रमिक रूप से उन अधिनियमों में दिए गए हैं।
- 4. **सूट**.—नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अधिकतम प्रभावी विकिरण शक्ति के साथ, अहस्तक्षेप, असंरक्षित और साझा (गैर विशेष) आधार पर, 433 से 434.79 मेगाहर्टज के आवृत्ति बैंड में लघु रेंज रडार प्रणाली के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति की युक्तियों या उपस्करों जिनके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां हैं के उपयोग के प्रयोजन के लिए किसी बेतार उपस्कर को स्थापित करने, अनुरक्षित करने, कार्य करने, रखने या किसी बेतार उपस्करों से व्यवहार करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात :—

सारणी

तकनीकी लक्षण

आवृत्ति बैंड	अधिकतम प्रभावी विकिरण शक्ति सीमाएं
(1)	(2)
433 से 434.79 मेगाहर्टज	10 मिलीवाट (ईआरपी) 10 किलोहर्टज की अधिकतम चैनल बेंडविडथ सहित
	(ड्यूटी साइकिल सीमा 10 %)

परंतु यह कि जब कभी केन्द्रीय सरकार से विशिष्ट सेवा अनुज्ञप्ति आवश्यक हो तो इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे । परंतु यह और कि जहां विमानवाहित युक्तिओं या अनुप्रयोगों के लिए इस बैंड का उपयोग अपेक्षित है, वहां ये नियम लागू नहीं होंगे ।

5. **शर्ते.**—इस नियम के अधीन अनुद छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन ह गी, अर्थात् :--

(क) अवांछित ऊजा के कसी भाव या उ सजन के कसी संयोजन, कसी रेडियो संचार णाली म कसी उ सर्जन विकरण या अभिग्रहण पर उ रण के सहयोजन, कसी आकर्षण, अपनिवचन या सूचना क हानि से कट ऐसी अवांछित ऊजा क अनुपि थित म उद्धरण कया जा सकेगा, जहां कोई व्यि , जिसे भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) क धारा 4 और भारतीय बेतार तार यंकि अधिनियम, 1933 (1933 का 17) क धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञि जारी क गई है, ाधिकारी को यह सूचित करता है क उसक अनुज्ञि । णाली को इन नियम के अधीन छूट । कसी अय रेडिय संचार णाली से हानिकर व्यतिक्रम । हो रहा है, तो ऐसा ।धिकारी उप कर का थान प रवतन करके, उसक शि को कम करके, विशेष कार के एंटेना के उपयोग ।रा व्यतिक्रम से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए ऐसे गैर-अनुज्ञि । बेतार उप कर के उपयो । को अवसर देगा, जिसम असफल रहने पर ऐसे ।धिकारी ऐसे बेतार के उपयोग को रोकने क सिफा रश करगे :

परंतु यह क ऐसे रोके जाने से पूव, ऐसे ाधिकारी ारा बेतार उप कर के ऐसे गैर-अनुज्ञि ा उपयो ा को प रिथितिय को प्ष्ट करने का युियु अवसर दान कया जाएगा ।

(ख) ये अति निम्न शि रेडियो आवृति युियां या उप कर, जिसके अंतर्गत रेडियो आवृति पहचान युितयां ह, उप कर के कम के रूप मऐसी रीति से अनुमो दत और अभिकल्पित तथा संनिर्मित हगे जो तकनीक ाचल नियम 4 म नि दष्ट सारणी म विनि दष्ट सीमा के अनुरूप ह:

परंतु यह क उप कर के कम का अनुमोदन । करने के लिए के ीय सरकार को इन नियम के उपाबंध म दए गए आवेदन के रूप मुआवेदन कया जाएगा।

[सं. आर – 11014/17/2014-एनटी]

वीरेश गोयल, उप बेतार सलाहकार

उपाबंध

उपस्कर कार अनुमोदन के लिए आवेदन

भाग-क-आवेदक

 उप कर कार अनुमोदन के लिए आवेदन : करने वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम

2. विनिमाता का डाक पता

 उ पाद का नाम और उ पाद पहचान (मॉडल : सं. आ द)

भाग-ख-पारेषक का वणन

1. आवृिरज

2. सिट विचेबल चैनल क सं. :

वॉयस/डाटा/टीवी चैनल क सं.
 (मल्टीचैनल उप कर क दशा म)

टीए स-आरए स चैनल पृथककरण
 (इप्लैक्स/ मल्टीचैनल उप कर क दशा म)

समीपवर्ती चैनल पृथककरण
 (मल्टीचैनल उप कर क दशा म)

6. आवृि थायि व

7.	कूट/सन्नादी विकरण						
	i. कै रयर स [े] शन	:					
	(कैरयर स ैड तं क दशा म)						
	ii. आवांछित साइड ब स [*] शनड	:					
	(एसएसबी तं क दशा म)						
	iii. ितीय सन्नादी विकरण	:					
	iv. तृतीय सन्नादी विकरण	:					
8.	⁻ अधिकतम आवृि विचलन	:					
9.	उ सजन क रीति	:					
10.	उ सजन क ब विड्थ ड	:					
11.	परी ण टोन विचलन	:					
12.	आधार ब आवृिड	;					
	(मल्टीचैनल उप कर क दशा म)						
13.	अपेित मॉडय़ूलेशन का कार	:					
14.	पूव जोर	:					
15.	विद्युत आउटपुट	:					
	(एंटेना के इनपुट पर)						
16.	कोई अ य जानकारी	:					
भाग-ग	- ापकों के विवरण						
1.	आवृि रज	:					
2.	िक रीति	;					
3.	ािक कूट तिक्रया	;					
4.	संवेदनशीलता	:					
5.	आवृि थायि व	:					
6.	(क) भावी ध्वनी तापमान	;					
	(ख) अवसीमा इनपुट तर						
7.	मध्यवर्ती आवृि	:					
8.	जोर मुि	:					
9.	चयनशीलता	:					
10.	कोई अ य विशिष्टियां	:					
			अ	विदक के ह ता र			
थान							
तारीख		_	_				
(टप्पण	ाः येक कार के उप कर के लिए पृथ्	=					
	NOTIFICATION						

New Delhi, the 16th September, 2015

G.S.R. 698(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments including the Radio Frequency Identification Devices (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.**—These rules shall be applicable in the 433 to 434.79 MHz frequency band.
- **3. Definition.**—In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (c) "Authority" means the authority notified by the Central Government under sub-section (2) of Section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
 - (d) "Effective Radiated Power" includes the gain of the antenna, if any;
 - (e) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts.
- 4. *Exemption.* No licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of very low power Radio Frequency devices or equipments including the Radio Frequency Identification Devices in the 433 to 434.79 MHz frequency band on non-interference, non-protection and shared (non exclusive) basis, with the maximum Effective Radiated Power Limits as specified in the Table below, namely:—

TABLE
Technical characteristics

Frequency band	Maximum Effective Radiated Power Limits
(1)	(2)
433 to 434.79 MHz	10 mW (e.r.p) with maximum channel bandwidth of 10kHz (Duty cycle limit 10%)

Provided that wherever specific service license is required from the Central Government, the provisions of these rules shall not apply.

Provided further that wherever the use of this band for airborne devices or applications is required, the provisions of these rules shall not apply.

- **5. Conditions.**—The exemptions granted under rule 4 shall be subject to the following conditions, namely:—
- (a) the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a license has been issued under the provisions of Section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and Section 4 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) informs the authority that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, then such authority shall call upon the user of such unlicensed wireless equipment to take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power and using special type of antennae; failing which such authority shall recommend discontinuation of such wireless use:

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be given to such unlicensed user of wireless equipment by such authority.

(b) these very low power Radio Frequency devices or equipments including the Radio Frequency Identification Devices shall be of Equipment type approved and designed and constructed in such a manner so that the technical parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 4:

Provided that the application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in the application format given in Annexure to these rules.

4.

Sensitivity

Annexure

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

Section-A- Applicant 1. Name of manufacturing agency applying for equipment type approval 2. Postal Address of manufacturing Agency 3. Name of Product and the product Identification (model number etc.) **Section- B- Details of Transmitter** 1. Frequency range 2. No. of preset switchable channels 3. No. of voice /Data/ TV Channels (In case of multi-channel equipment) 4. Tx-Rx channel separation (In case of Duplex/multi-channel equipment) 5. Adjacent channel separation (In case of multi-channel equipment) 6. Frequency stability 7. Spurious/Harmonic radiations (i) Carrier suppression (In case of carrier suppressed systems) (ii) Unwanted side band suppression (In case of SSB systems) (iii) 2nd Harmonic radiations (iv) 3rd Harmonic radiations 8. Max. Frequency Deviation 9. Mode of Emission 10. Bandwidth of Emission 11. **Test Tone Deviation** 12. Base band frequency (In case of multi channel equipment) 13. Type of modulation to be required 14. Pre-emphasis 15. Power output (At the input of antenna) 16. Any other information **Section-C- Details of Receivers** 1. Frequency range 2. Mode of reception 3. Spurious response of receiver

Hरत की राजपत्र The Gazette of India

SHIERTUI EXTRAORDINARY

भाग []—खण्ड 3—उपं-खण्ड (i) PART IJ—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

Rt. 422] No. 422] नई दिल्ली, मुखवार, जुलाई ३०, २००८/श्रायण ८, १९३०

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2008/SRAVANA 8, 1930

संचार और सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार आयोजना और समन्वध स्कंध)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2008

सा.का.नि. 564(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेलार योजिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेडियो आवृति अभिज्ञान वंत्र (आर एफ आई डी) के लिए 865 से 867 मेगाहर्ड्ज तक के आवृत्ति बैंड में अल्पशक्ति उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

- (1) इन निवमों का संक्षिप्त नाम रेडियो आजृत्ति अधिज्ञान यंत्र (आर एफ अण्डं डी) के लिए 865 से 867 मेगाइट्र्ज तक के आवृत्ति बैंड में अल्पशक्ति उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से इट) संशोधन निवम, 2008 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. रेडियो आकृषि अभिक्षान यंत्र (आर एफ आई ही) के लिए 865 से 867 मेगाहर्ड तक के आवृत्ति बैंड में अल्पशिक्त उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005 में नियम 3 के स्थान पर निय्नसिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. 865 से 867 मेगाहर्ज़ तक के बैंड में बेतार उपस्कर का उपयोग.—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्किंग्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति से अव्यक्तिकरण पर कोई अन्य अल्पशक्ति बेतार यंत्र असंरक्षित और सम्मिलत (गैर-विशिष्ट) आधार पर 865 से 867 मेगाहर्ज़ तक के

आवृत्ति बैंड में अधिकतम । बाट ट्रांसमीटर शक्ति, 4 बाट की प्रभावी विकरित शक्ति और 200 किलो हर्ट्ज की संवाहक बैंडविद्ध युक्त रेडियो आवृत्ति अधिकान यंत्र (आर एफ् आई डी) की स्थापना करने, अनुरक्षण करने, कार्य करने, कब्जे में रखने या व्यवहार करने के लिए कोई अनुवृत्ति अपेक्षित नहीं होगी।"

् [सं आर.-11014/23/2004-एल आर] आर. के. सक्सेना, उप बेतार सलाहकार

दिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 168(अ), तारीख 11 मार्च, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37(अ), तारीख 22 जनवरी, 2007 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFOR-MATION TECHNOLOGY

(Wireless Planning and Coordination Wing) NOTEFICATION

New Delhi, the 30th July, 2008

G.S.R. 564(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Use of low Power Equipment in the Frequency Band 865-867 MHz for (RFID) Radio Frequency Identification Devices (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2005, namely:—

 (1) These rules may be called the Use of low power Equipment in the frequency band 865-867 MHz for (RFID) Radio Frequency Identification Devices (Exemption from Licensing Requirement) Amendment Rules, 2008.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Use of low power Equipment in the frequency band 865-867 MHz for (RFID) Radio Frequency Identification Devices (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2005, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—
 - "3. Use of wireless equipment in the band 865-867 MHz.—Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no licence shall be required by any person to establish, maintain, work possess or deal in Radio Frequency Identification

Devices (RFID) or any other low power wireless devices or equipments, on non-interference, non-protection and shared (non-exclusive) basis, in the frequency band 865-867 MHz with maximum 1 Watt transmitter power, 4 Watts Effective Radiated Power and 200 KHz carrier bandwidth."

[No. R-11014/23/2004-LR]

R. K., SAXENA, Dy. Wireless Advisor

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 168(E), dated the 11th March, 2005 and subsequently were amended vide notification number G.S.R. 37(E), dated the 22nd January, 2007.



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 753] No. 753] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 18, 2018/आश्विन 26, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 2018/ASVINA 26, 1940

संचार मंत्रालय (बेतार योजना एवं समन्वय स्कंध) अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2018

सा.का.िन.1047(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निम्न शक्ति और अति निम्न शक्ति शोर्ट रेंज रेडियो आवृति युक्तियों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अपेक्षित न हो, --
- (क) "अधिनियम" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकारी" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ग) "प्रभावी विकिरण शक्ति (दी गई दिशा में) " अथवा ई.आर.पी से अभिप्रेत है; दी गई दिशा में एंटीना को भेजी गई शक्ति और "हाफ-वेब ध्रुव ऐन्टेना " के सापेक्ष इसके सिग्नल में बढोत्तरी का गुणांक।
- (घ) "समतुल्य समस्थानिक विकिरण शक्ति" से अभिप्रेत है, ऐन्टेना के सबसे मजबूत किरणपुंज की दिशा में वास्तविक स्रोत के रूप में वही सिगनल सामर्थ्य देने की कुल शक्ति जिसे एक कल्पित समस्थानिक ऐन्टेना द्वारा विकिरणित किया जाना है;

6153 GI/2018 (1)

- (ड.) "शक्ति सघनता" से अभिप्रेत है, स्पंद या स्पंदों के अनुक्रम से प्रति इकाई बैंड विद्थ निर्गम की कुल ऊर्जा, जिसके लिए संप्रेषित शक्ति अपने अधिकतम स्तर पर है, स्पंदों की कुल अविध से विभाजित है;
- (च) "ड्यूटी चक्र" से एक संप्रेक्षक अंतराल Tobs के भीतर संप्रेक्षण Ton_cum की संचयी अवधि के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त अनुपात अभिप्रेत है;

ड्यूटी चक्र DC =(Ton cum) संप्रेक्षण बैंड विद्थ Fobs पर;

Tobs

- (छ) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु भारतीय बेतार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।
- 3. **छूट.** किसी व्यक्ति को कम शक्ति और बहुत कम शक्ति की शोर्ट रेंज रेडियो आवर्ती युक्तियों या बेतार उपस्कर का आवर्ती बैंड में, गैर-हस्तक्षेप, गैर-संरक्षण और शेयर्ड और गैर-विशिष्ट

आधार पर समतुल्य आइसोट्रोपिक रेडियेटेड शक्ति या प्रभावी रेडियेटेड शक्ति, जो सारणी 1 से 9 में अंतर्विष्ट तकनीकी विशिष्टि का अनुपालन करती है, के प्रयोजन के लिए किसी बेतार उपस्कर की स्थापना करने, अनुरक्षण करने, कार्य करने, कब्जे में लेने या उससे व्यवहार करने के लिए किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी, अर्थात् :--

सारणी – 1

प्रेरक युक्तियां

क्रम सं.	किलो हर्टज में आवर्ती रेंज	पारेषण शक्ति सीमा/फील्ड शक्ति सीमा/शक्ति घनत्व सीमा	अतिरिक्त मानक (चैनलीकरण और/या चैनल पहुंच तथा अधिभोग नियम)	अन्य उपयोग निर्बंधन	* ईएन नंबर
(1)	(2) 6765-6795	(3) 42 डेसीबल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर 10 मीटरों पर	(4)	(5)	(6) ईएन 300 330

*ईएन : एक संख्या और संक्षेपाक्षर है, जिसका उपयोग सामंजस्यकृत यूरोपियन मानक के लिए किया जाता है, जिसका निर्माण यूरोपियन दूर संचार मानक संस्थान (ईटीएसआई) द्वारा किया गया है ।

टिप्पण: इस सारणी के प्रयोजन के लिए प्रेरक युक्ति से रेडियो युक्तियां अभिप्रेत है, जो चुम्बकीय क्षेत्र का प्रेरक लूप प्रणाली के साथ नजदीकी क्षेत्र के संचार में उपयोग करती हैं और इसके विशिष्ट उपयोग में कार को जड़वत करने, पशुओं की पहचान, अलार्म प्रणालियों, केबल का पता लगाने, अपशिष्ट प्रबंधन, वैयक्तिक पहचान, बेतार, ध्विन संपर्क, पहुंच नियंत्रण, संनिकट संवेदक, चोरी रोधी प्रणालियों में किया जाता है, जिसके अंतर्गत रेडियो आवर्ती, चोरी रोधी प्रेरक प्रणालियां, हस्त धारित युक्तियों में डाटा अंतरण, स्वचालित चीज पहचान, बेतार नियंत्रण प्रणालियां और स्वचालित सड़क पथकर सम्मिलित है।

सारणी – 2 सक्रिय चिकित्सा रोपण युक्ति

क्रम सं.	मेगा हर्टस में आवर्ती रेंज	पारेषण शक्ति सीमा /फील्ड शक्ति सीमा /शक्ति धनत्व सीमा	अतिरिक्त मानक (चैनलीकरण और/या चैनल पहुंच तथा अधिभोग नियम)	अन्य उपयोग निर्बंधन	* ईएन नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	30-30.7	1 मिली वाट ईआरपी	ड्यूटी चक्र सीमा : 10%	उपयोक्ता शर्तों का यह सेट सक्रिय रोपण योग्य चिकित्सा युक्तियों के लिए निदेश 90/385/ईईसी की परिभाषा में केवल रक्त दाब माप के लिए परानिम्न शक्ति के चिकित्सा झिल्ली रोपण के लिए उपलब्ध है	ईएन 302 510
2.	401-402	25 माइक्रो वाट ईआरपी	चैनल दूरी : 25 किलो हर्टज के व्यष्टिक ट्रांसमीटर 100 किलो हर्टज को बंडवीड्थ को बढ़ाने के लिए संलग्न चैनलों को संयोजित कर सकेंगे । वैकल्पिक रूप से 0.1% की डयूटी चक्र सीमा का भी उपयोग किया जा सकेगा।	उपयोक्ता शर्तों का यह सेट सिक्रय रोपणीय चिकित्सा युक्तियों और/या शरीर पर पहनी जा सकने वाली युक्तियों और अन्य युक्तियों, जो मानव शरीर पर बाह्य रूप से गैर-ध्विन डिजीटल संचार के प्रयोजन के लिए डिजाइन की गई हैं और जिनका उपयोग किसी व्यष्टिक रोगी से संबंधित मनोवैज्ञानिक सूचना का अंतरण करने के लिए उपयोग किया	ईएन 302 537
3.	405-406	25 माइक्रो वाट ईआरपी	चैनल दूरी : 25 किलो हर्टज के व्यष्टिक ट्रांसमीटर 100 किलो हर्टज तक बैंडवीड्थ को बढ़ाने के लिए संलग्न	रोपणीय चिकित्सा युक्तियों और/या शरीर पर पहनी जा सकने वाली युक्तियों और अन्य युक्तियों, जो मानव शरीर पर बाह्य रूप से गैर-ध्विन डिजीटल संचार के प्रयोजन के लिए डिजाइन की गई हैं और जिनका उपयोग किसी व्यष्टिक रोगी से संबंधित मनोवैज्ञानिक सूचना का अंतरण करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें समय महत्वपूर्ण नहीं	ईएन 302 537
4.	2483.5- 2500	10 मिली वाट ईआईआरपी			ईएन 301 559

उपयोग सक्रिय रूप स	
एकल चैनल के रूप में भी किया जा	
स सीमा: 10%	

^{*}ईएन : एक संख्या और संक्षेपाक्षर है, जिसका उपयोग सामंजस्यकृत यूरोपियन मानक के लिए किया जाता है, जिसका निर्माण यूरोपियन दूर संचार मानक संस्थान (ईटीएसआई) द्वारा किया गया है ।

टिप्पण : इस सारणी के प्रयोजन के लिए सक्रिय चिकित्सा रोपण युक्तियों में सक्रिय रोपण योग्य चिकित्सा युक्तियों के रेडियो भाग आते हैं, जो मानव शरीर में किसी पशु के शरीर में संपूर्ण रूप से या भागत: शल्य क्रिया द्वारा या औषधीय रूप से लाए जाने के लिए आशयित हैं और जहां लागू हों उनके उप साधन भी हैं।

	सारणी 3 हाई ड्यूटी साइकिल अथवा निरंतर पारेषण युक्ति						
क्र0सं0	मेगाहर्टज में आवृत्ति रेंज	पारेषण शक्ति सीमा/क्षेत्र तीव्रता सीमा/शक्ति सघनता सीमा	अतिरिक्त पैरामीटर (चैनल अभिगम और अभिगम नियम और /अथवा उसकी चैनलिंग)	प्रतिबंधित अन्य प्रयोग	*इ.एन. सं0		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	87.5- 108	50 नैनो वाट ईआरपी			इएन 301 357		

^{*}ईएन : एक संख्या और संक्षेपाक्षर है, जिसका उपयोग सामंजस्यकृत यूरोपियन मानक के लिए किया जाता है, जिसका निर्माण यूरोपियन दूर संचार मानक संस्थान (ईटीएसआई) द्वारा किया गया है ।

टिप्पण: इस सारणी के उद्देश्य के लिए हाई ड्यूटी साइकिल अथवा निरंतर पारेषण युक्ति से रेडियो युक्ति अभिप्रेत है जिसका अर्थ निम्न अव्यक्तता और हाई ड्यूटी साइकिल पारेषण पर निर्भर रहना और व्यक्तिगत रूप से वायरलेस आडियो का प्रयोग करना और संयुक्त आडियो या वीडियो पारेषण के लिए मल्टीमीडिया प्रवाही प्रणाली का प्रयोग करना और आडियो अथवा वीडियो सिंक सिगलन, मोबाइल फोन, मोटर वाहन अथवा घरेलू मंनोरंजन प्रणाली, वायरलेस माइक्रोफोन, कार्डलेस लाउडस्पीकर, कार्डलेस हेडफोन, किसी व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही रेडियो युक्तियां, सहायक सुनने वाली युक्तियां, इन-ईयर मानीटिरंग, संगीत समारोह अथवा अन्य स्टेज अभिगम क्रमों पर प्रयोग के लिए बेतार माइक्रोफोन और निम्न शक्ति इनलाग का एफएम पारेषण (बैंड 36) है।

	सारणी 4						
		स	हायक सुनने वाली युक्ति				
क्र0सं0	मेगाहर्टज में	पारेषण शक्ति	अतिरिक्त पैरामीटर (चैनल	प्रतिबंधित अन्य	* इ.एन. सं0		
	आवृत्ति रेंज	सीमा/क्षेत्र तीव्रता	अभिगम और अधिभोग	प्रयोग			
	_	सीमा/शक्ति	नियम और /अथवा उसकी				
		सघनता सीमा	चैनलिंग)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	169.4-	500 मिली वाट	चैनल अंतरण : ≤50		इएन 300 422		
	169.475	ईआरपी	किलोहर्टज				

2	169.4875-	500 मिली वाट	चैनल अंतरण : अधिकतम	इएन 300 422
	169.5875	ईआरपी	50 किलोहर्टज	

*ईएन : एक संख्या और संक्षेपाक्षर है, जिसका उपयोग सामंजस्यकृत यूरोपियन मानक के लिए किया जाता है, जिसका निर्माण यूरोपियन दूर संचार मानक संस्थान (ईटीएसआई) द्वारा किया गया है ।

टिप्पण: इस सारणी के उद्देश्य के लिए सहायक सुनने वाली युक्ति में रेडियो संसूचना प्रणाली आती है, जो श्रवण नि:शक्तता से पीड़ित व्यक्तियों को उनकी सुनने की क्षमता में वृद्धि करने को अनुज्ञात करती है। प्रारूपिक प्रणाली अधिष्ठापन में एक या अधिक रेडियो पारेषण और एक या अधिक रेडियो यक्तियां सम्मिलित है।

- 114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
	सारणी 5							
	व्यक्तिगत मोबाइल रेडियो 446 मेगाहर्टज युक्ति							
क्र0सं0	मेगाहर्टज में	पारेषण शक्ति	अतिरिक्त पैरामीटर	प्रतिबंधित	*इ.एन. सं0			
	आवृत्ति रेंज	सीमा/क्षेत्र तीव्रता	(चैनल अभिगम और	अन्य प्रयोग				
		सीमा/शक्ति सघनता	अधिभोग नियम					
		सीमा	और/अथवा उसकी					
			चैनलिंग)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	446.0-446.2	500 मिली वाट	चैनल अंतरण : 6.25		इएन 300 113-2,			
		ईआरपी	किलोहर्टज और 12.5		इएन 301 166-2,			
			किलोहर्टज					
					इएन 300 296-2,			

^{*}ईएन : एक संख्या और संक्षेपाक्षर है, जिसका उपयोग सामंजस्यकृत यूरोपियन मानक के लिए किया जाता है, जिसका निर्माण यूरोपियन दूर संचार मानक संस्थान (ईटीएसआई) द्वारा किया गया है ।

टिप्पण: इस सारणी के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत मोबाइल रेडियो 446 मेगाहर्टज युक्ति से बिना बेस के स्टेशन अथवा पुन: प्रयोग होने वाले के साथ हाथ में लेकर चलने वाला रेडियो और अधिकतम शेयिरा और न्यूनतम हस्तक्षेप करने के क्रम में केवल एंटिना के अनिवार्य प्रयोग के लिए है और जिसे संक्षिप्त रेंज के पीयर टू पियर मोड में प्रचालित किया जाता है और न तो इसका प्रयोग अवसंरचना नेटवर्क के भाग के रूप में, न ही पुन: प्रयोग करने के रूप में किया जाएगा।

		, ,						
	सारणी 6							
		रेडियो निर्धा	रिण युक्ति					
क्र0सं0	मेगाहर्टज में	पारेषण शक्ति	अतिरिक्त	प्रतिबंधित अन्य	*इ.एन. सं0			
	आवृत्ति रेंज	सीमा/क्षेत्र तीव्रता	पैरामीटर (चैनल	प्रयोग	,			
		सीमा/शक्ति	अभिगम और					
		सघनता सीमा	अधिभोग नियम					
			और /अथवा					
			उसकी चैनलिंग)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	2400 – 2483.5	25 मिली वाट			इएन 300 440			
		ईआईआरपी						

^{*}ईएन : एक संख्या और संक्षेपाक्षर है, जिसका उपयोग सामंजस्यकृत यूरोपियन मानक के लिए किया जाता है, जिसका निर्माण यूरोपियन दूर संचार मानक संस्थान (ईटीएसआई) द्वारा किया गया है ।

टिप्पण: इस सारणी के उद्देश्य के लिए रेडियो निर्धारण युक्ति से रेडियो युक्ति अभिप्रेत है जो इन पैरामीटरों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी वस्तु के अन्य संलक्षण अथवा वेग, स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए है। रेडियो निर्धारण उपस्कर ऐसे संलक्षणों को प्राप्त करने के लिए प्रारूपिक व्यवहार मापन करता है। किसी भी प्रकार के बिन्दु से बिन्दु अथवा बिन्दु से बहुबिन्दु संसूचना इस परिभाषा से बाहर है।

सारणी 7 रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति					
क्र0सं0	मेगाहर्टज में आवृत्ति रेंज	पारेषण शक्ति सीमा/क्षेत्र तीव्रता सीमा/शक्ति सघनता सीमा	अतिरिक्त पैरामीटर (चैनल अभिगम और अधिभोग नियम और /अथवा उसकी चैनलिंग)	प्रतिबंधित अन्य प्रयोग	*इ.एन. सं0
(1)	(2) 2446 – 2454	(3) 500 मिली वाट ईआईआरपी	(4)	(5)	(6) इएन 300 440

^{*}ईएन : एक संख्या और संक्षेपाक्षर है, जिसका उपयोग सामंजस्यकृत यूरोपियन मानक के लिए किया जाता है, जिसका निर्माण यूरोपियन दूर संचार मानक संस्थान (ईटीएसआई) द्वारा किया गया है ।

टिप्पण: इस सारणी के उद्देश्य के लिए रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति से चालित अथवा बिना चालित मदों से जुड़ी हुई (टैग) से बनने वाली रेडियो संसूचना प्रणाली पर आधारित टैग या पृच्छक है जो टैग को संचालित करता है और डाटा बैक को प्राप्त करता है जिसका प्रयोग ऐसे मदों की पहचान करने और खोज करने के लिए होता है जैसे इलेक्ट्रानिक वस्तु की परिधि (इएएस) और ऐसी मदों के लिए जिसे टैग के साथ संबद्ध किया जाता है, से संबंधित डाटा एकत्र करने और उसका पारेषण करने के लिए है जो या तो बिना बैटरी के, या सहायक बैटरी या शक्ति बैटरी हो सकती है।

सारणी 8					
परिवहन और यातायात टेलीमैटिक युक्ति					
क्र0सं0	गीगाहर्ट्ज में आवृत्ति रेंज	पारेषण शक्ति सीमा/क्षेत्र तीव्रता सीमा/शक्ति सघनता सीमा	अतिरिक्त पैरामीटर (चैनल अभिगम और अधिभोग नियम और /अथवा उसकी चैनलिंग)	प्रतिबंधित अन्य प्रयोग	*इ.एन. सं0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	24.05- 24.075	100 मिली वाट ईआईआरपी			इएन 302 858
2	24.075- 24.15	100 मिली वाट ईआईआरपी		इस सेट का प्रयोग केवल भूमि आधारित वाहन राडार के लिए उपलब्ध है।	इएन 302 858- 1 वी 1.2.1.
3	24.075- 24.15	0.1 मिली वाट ईआईआरपी			इएन 302 858
4	24.15-24.25	100 मिली वाट ईआईआरपी			इएन 302 858
5	24.25- 24.495	-11डीबीएम ईआईआरपी	इएन 302 858- 1 वी 1.3.1. में यथाविनिर्दिष्ट रूप में अभिगम साइकिल सीमा और आवृत्ति माड्यूल रेंज के रूप में लागू	इस सेट का प्रयोग केवल भूमि आधारित वाहन राडार के लिए उपलब्ध है।	इएन 302 858
6	24.25-24.5	20 डीबीएम ईआईआरपी (अग्र-	इएन 302 858- 1 वी 1.3.1 में यथाविनिर्दिष्ट		इएन 302 858

		राडार के सामने), 16 डीबीएम ईआईआरपी (पश्च- राडार के सामने)	रूप में अभिगम साइकिल सीमा और आवृत्ति माड्यूल रेंज के रूप में लागू	
7	24.495-24.5	– 8 डीबीएम	इएन 302 858- 1 वी	इएन 302 858
		ईआईआरपी.	1.3.1 में यथाविनिर्दिष्ट	
			रूप में अभिगम साइकिल सीमा और आवृत्ति	
			सामा जार जापृत्ता माड्यूल रेंज के रूप में लागू	

^{*}ईएन : एक संख्या और संक्षेपाक्षर है, जिसका उपयोग सामंजस्यकृत यूरोपियन मानक के लिए किया जाता है, जिसका निर्माण यूरोपियन दूर संचार मानक संस्थान (ईटीएसआई) द्वारा किया गया है ।

टिप्पण : इस सारणी के उद्देश्य के लिए परिवहन और यातायात टेलिमैटिक्स युक्ति से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है, जो परिहवन के विभिन्न प्रकारों के बीच अंतरापृष्ठ, यानों के बीच संचार, नियत अवस्थानों और यानों और उपयोक्ताओं से और को के बीच संचार के लिए परिवहन, यातायात प्रबंध, नौपरिवहन, गतिशीलता प्रबंध के क्षेत्र में और बौद्धिक परिवहन प्रणाली में प्रयोग होती है।

सारणी **–IX** गैर-विनिर्दिष्ट लघु रेंज युक्ति

新 .	आवृत्ति रेंज	पारेषण शक्ति सीमा/	अतिरिक्त पैरामीटर	अन्य प्रथा/उपयोग	ई.एन. सं
सं.		क्षेत्र तीव्रतासीमा	(चैनलिंग और/या चैनल अभिगाम और अधिभोग नियम	निर्बन्धन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	456.9- 457.1 किलोहर्ट्ज	7 डेसीबल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर 10 मीटरों पर		उपयोग की इन शर्तों का संवर्ग केवल दबे हुए पीड़ितों की आपात खोज और मूल्यवान वस्तुओं की पहचान के लिए है।	ई एन. 300 718
2	26957- 27283 किलोहर्ट्ज	10 मिली वाट ईआरपी प्रभावी विकिरण शक्ति			ई.एन 300 220
3	26990- 27000 किलोहर्ट्ज	100 मिली वाट ईआरपी प्रभावी विकिरण शक्ति	डयूटी साइकिल सीमा: 0.1 %.@ माडल नियंत्रण युक्तियां बिना डयूटी साइकिल निर्बन्धनों के संचालितहो सकेगीं।		ई.एन 300 220
4	27040- 27050 किलोहर्ट्ज	100 मिली वाट ईआरपी प्रभावी विकिरण शक्ति	डयूटी साइकिल सीमा: 0.1 %. @ माडल नियंत्रण युक्तियां		ई.एन 300 220

		1		
			बिना डयूटी साइकिल	
			निर्बन्धनों के संचालितहो	
			सकेगीं।	
5	27090-	100 मिली वाट	डयूटी साइकिल सीमा:	ई.एन 300 220
	27100	ईआरपी प्रभावी	0.1 %. @	
	किलोहर्ट्ज	विकिरण शक्ति	माडल नियंत्रण युक्तियां	
	11111053		बिना डयूटी साइकिल	
			निर्बन्धनों के संचालितहो	
			सकेगीं ।	
6	27140-	100 मिली वाट	डयूटी साइकिल सीमा:	ई.एन 300 220
	27150	ईआरपी प्रभावी	0.1 %. @	
	किलोहर्ट्ज	विकिरण शक्ति	माडल नियंत्रण युक्तियां	
	- (बिना डयूटी साइकिल	
			निर्बन्धनों के संचालितहो	
	07400	100 0-0	सकेगीं।	200 000 - 2
7	27190-	100 मिली वाट ईआरपी प्रभावी	डयूटी साइकिल सीमा:	ई.एन 300 220
	27200	इआरपा प्रभावा विकिरण शक्ति	0.1 %.@	
	किलोहर्ट्ज	विकास विकास	माडल नियंत्रण युक्तियां	
			बिना डयूटी साइकिल निर्बन्धनों के संचालितहो	
			सकेगीं।	
8	169.4-	500 मिली वाट	चैनल स्पेसिंग:	ई.एन 300 220
	169.475	ईआरपी प्रभावी	अधिकतम 50	
	मेगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज	विकिरण शक्ति	किलोहर्टज. डयूटी	
			साइकिल सीमा:1.0%	
			# मीटरिंग युक्तियों के	
			<u> </u>	
			लिए डयूटी साइकिल	
			सीमा 10.0 % है।	
9	169.4-	10 मिली वाट	डयूटी साइकिल सीमा	ई.एन 300 220
٦		। चित्रमला वाट । ईआरपी प्रभावी	0.1 %.	२.५५। ३०० ४४०
	169.4875	इआरपा प्रमावा विकिरण शक्ति	0.1 70.	
	मेगाहर्ट्ज	1414/4 311(1)		
10	169.4875-	10 मिली वाट	डयूटी साइकिल सीमा	ई.एन 300 220
	169.5875	ईआरपी प्रभावी	0.001 %.	
	मेगाहर्ट्ज	विकिरण शक्ति		
11	169.5875-	10 मिली वाट	डयूटी साइकिल सीमा:	ई.एन 300 220
	169.8125	ईआरपी प्रभावी	0.1 %.	
	मेगाहर्टज	विकिरण शक्ति		

12	2400-	10 मिली वाट	ई.एन 300 440
	2483.5	ईआईआरपी समतुल्य	
	मेगाहर्ट्ज	समस्थानिक विकिरण	
		शक्ति (स. स.वि.श.)	
13	5725-	25 मिली वाट	ई.एन 300 440
	5875	ईआईआरपी समतुल्य	
	मेगाहर्ट्ज	समस्थानिक विकिरण	
		शक्ति (स. स.वि.श.)	
14	24.15-	100 मिली वाट	ई.एन 300 440
	24.25	ईआईआरपी समतुल्य	
	मेगाहर्ट्ज	समस्थानिक विकिरण	
		शक्ति (स. स.वि.श.)	
15	61-61.5	100 मिली वाट	ई.एन 305 550
	गीगाहर्ट्ज	ईआईआरपी समतुल्य	
		समस्थानिक विकिरण	
		शक्ति (स. स.वि.श.)	

*ईएन : एक संख्या और संक्षेपाक्षर है, जिसका उपयोग सामंजस्यकृत यूरोपियन मानक के लिए किया जाता है, जिसका निर्माण यूरोपियन दूर संचार मानक संस्थान (ईटीएसआई) द्वारा किया गया है ।

टिप्पण 1 : इस सारणी के उद्देश्य के लिए गैर विनिर्दिष्ट लघु रेंज युक्ति से उद्देश्य या उपयोजन से असम्बंधित ऐसी रेडियो युक्ति अभिप्रेत है जो दी गई आवृत्ति बैंड के लिए यथाविनिर्दष्ट तकनीकी शर्तों को पूरा करती हो और टैलीमेट्री, टेलिकमांड, अलार्म साधारण और अन्य उपयोजनों में आंकड़ा पारेषण के लिए प्रयोग होता हो ।

टिप्पण 2 : इस सारणी के उद्देश्य के लिए @"माडल नियंत्रण युक्तियों" से विनिर्दिष्ट प्रकार का टैलीकमांड और टेलीमेट्री रेडियो उपस्कर अभिप्रेत है जो माडल (मुख्यतः यानों का लघुरुप प्रतिनिधान) की गति विधि को हवा में, भूमि पर या पानी की सतह के ऊपर या नीचे दरस्थतः नियंत्रित करे।

टिप्पण 3 : इस सारणी के उद्देश्य के लिए # मीटरिंग युक्ति से द्विदिश रेडियो संचार प्रणाली का भाग ऐसी रेडियो युक्ति अभिप्रेत है जो तीव्र गिड अवसंरचानाओं जैसे विद्युत, गैस और पानी में आंकड़ो का मापन और पारेषण दूरस्थ परीनिक्षण की अनुमति दे।

- 4. व्यतिकरण.— (1) अवांछित ऊर्जा के किसी प्रभाव या उत्सर्जन के किसी संयोजन, किसी रेडियो संचार प्रणाली में किसी उत्सर्जन विकरण या अभिग्रहण पर उत्प्रेरण के सहयोजन, किसी आकर्षण, उपनिर्वचन या सूचनाओं की हानि से प्रकट ऐसी अवांछित ऊर्जा की अनुपस्थिति में उद्धरण किया जा सकेगा, जहां कोई व्यक्ति, जिसे अधिनियम, की धारा 4 और भारतीय बेतारतार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है, प्राधिकारी को यह सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रणाली को इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियों संचार प्रणाली से हानिकर व्यतिक्रम प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा प्राधिकारी उपस्कर का स्थान परिवर्तन करके, उसकी शक्ति को कम करके, विशेष प्रकार के एंटेना के उपयोग द्वारा व्यतिक्रम से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए ऐसे गैर-अनुज्ञप्ति प्राप्त बेतार उपस्कर के उपयोक्ता को अवसर देगा, जिसमें असफल रहने परऐसै प्राधिकारी ऐसे बेतार के उपयोग को रोकने की सिफारिश करेंगे।
- (2) उपनियम (1) के अधीन बेतार प्रयोग के रोके जाने की सिफारिश करने के पूर्व प्राधिकारी बेतार उपस्कर के उपयोक्ता को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा ।
- 5. उपस्कर.—(1) उपस्कर को स्पेक्ट्रम के प्रभावी उपयोग के लिए और हानिकर व्यतिक्रमसे बचने के लिए अपने पने ई एन संख्या का अनुपालन करना होगा ।

- (2) बेतार उपस्कर का टाइप अनुमोदित होगा और ऐसी रीति में डिजाइन और निर्मित होगा जिससे कि उत्सर्जन की बैंड चौड़ाई तथा अन्य पैरामीटर नियम 3 में निदिर्ष्ट सीमाओं के अनुरूप हो और उपस्कर टाइप अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन केन्द्रीय सरकार को उपाबद्ध प्रारूप में हो।
- (3) अपने अपने युक्तियों और आवृत्ति बैंड के लिए सुरक्षा से संबंधित अपेक्षाएं अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानकों के जैसे आई टी यू/ ई टी एस आई /ए एन एस आई /बी आई एस/ आई सी एन आई आर पी के अनुसार होंगी।

[सं. आर-11017**/**04**/**2018-पीपी]

मकरंद पाठक, सहायक बेतार सलाहकार

उपाबंध

उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन (नियम 5 का उपनियम (2) का संदर्भ)

भाग-क-आवेदक

- उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम
- 2. विनिर्माता का डाक पता
- 3. प्रकार अनुमोदन के लिएआवेदन करने वाले भारतीय अभिकरण का नाम और पता
- 4. उत्पाद का नाम और उत्पाद पहचान (माडल सं. आदि)

<u>भाग-ख-पारेषक का वर्णन</u>

- 1. आवृत्ति रेंज :
- 2 प्रीसेट स्विचेबल चैनलों की सं
- वायस/डाटा/टीवी चैनलों की सं. : (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
- टीएक्स-आरएक्स चैनल पृथ्क्करण : (ड्प्लैक्स/मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
- समीपवर्ती चैनल पृथ्क्करण : (मल्टीचैनर उपस्कर की दशा में)
- 6. अवृति स्थायित्व :

7. कूट/सन्नादी विकिरण	
् i. कैरियर सप्रेशन	
(कैरियर सप्रैस्ड तंत्र की दशा में)	
ii. अवांछित साइड बैंड सप्रैशन :	
(एसएसबी तंत्र की दशा में)	
iii. द्वितीय सन्नादी विकिरण	•
iv तृतीय सन्नादी विकिरण	:
8. अधिकतम आवृत्ति विचलन	:
9. उत्सर्जन की रीति	:
10. उत्सर्जन की वैंडविड्थ	:
11. परीक्षण टोन विचलन	:
12. आधार बैंड आवृत्ति	•
(मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)	
13. अपेक्षित माडयूलेशन का प्रकार	:
14. पूर्व जोर	:
15. विद्युत आउटपुट	:
(एंटेना के इनपुट पर)	
16. कोई अन्य जानकारी भाग-ग-प्रापकों के विवरण	:
नाग-ग-प्रापका काववरण	
1. आवृत्ति रेंज	:
2. प्राप्ति की रीति	:
3. प्राप्ति की कूट प्रतिक्रिया	:
15. 6	:
4. संवेदनशीलता	:
4. सर्वेदनशीलता 5. आवृत्ति स्थायित्व	
5. आवृत्ति स्थायित्व	:
 आवृत्ति स्थायित्व (क) प्रभावी ध्वनि तापमान 	:
 आवृत्ति स्थायित्व (क) प्रभावी ध्विन तापमान (ख) अवसीमा इनपुट स्तर 	:
5. आवृत्ति स्थायित्व6. (क) प्रभावी ध्विन तापमान(ख) अवसीमा इनपुट स्तर7. मध्यवर्ती आवृत्ति	:
 5. आवृत्ति स्थायित्व 6. (क) प्रभावी ध्विन तापमान (ख) अवसीमा इनपुट स्तर 7. मध्यवर्ती आवृत्ति 8. जोर मुक्ति 	:
 5. आवृत्ति स्थायित्व 6. (क) प्रभावी ध्विन तापमान (ख) अवसीमा इनपुट स्तर 7. मध्यवर्ती आवृत्ति 8. जोर मुक्ति 9. चयनशीलता 	:
 5. आवृत्ति स्थायित्व 6. (क) प्रभावी ध्विन तापमान (ख) अवसीमा इनपुट स्तर 7. मध्यवर्ती आवृत्ति 8. जोर मुक्ति 9. चयनशीलता 10. कोई अन्य विशिष्टियां 	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

2.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

$(Wireless\ Planning\ and\ Coordination\ Wing)$

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October 2018

- **G.S.R. 1047(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Use of Low Power and Very Low Power Short Range Radio Frequency Devices (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - **Definitions.** In these rules, unless the context otherwise requires, -
- (a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
- (b) "Authority" means the authority notified by the Central Government under sub-section
 - (2) of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
- (c) "effective radiated power (in a given direction)" or e.r.p. means the product of the power supplied to the antenna and its *gain relative to a half-wave dipole* in a given direction;
- (d) "equivalent isotropic radiated power" or e.i.r.p. means the total power that would have to be radiated by a hypothetical <u>isotropic antenna</u> to give the same signal strength as the actual source in the direction of the antennas strongest beam;
- (e) "power density" means the total energy output per unit bandwidth from a pulse or sequence of pulses for which transmit power is at its maximum level, divided by the total duration of the pulses;
- (f) "duty cycle" means ratio expressed as a percentage of the cumulative duration of transmission T_{on_cum} within an observation interval T_{obs} ;

duty cycle
$$DC = \left(\frac{T_{on \ cum}}{T_{obs}}\right)_{F_{obs}}$$
 on an observation bandwidth F_{obs} ;

(g) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), shall have the same meanings

respectively as assigned to them in those Acts.

3. Exemption.— No licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of low power and very low power short range radio frequency devices or wireless equipment in the frequency band, on non-interference, non-protection and shared and nonexclusive basis, with the equivalent isotropic radiated power or effective radiated power, complying with the technical specification contained in the Tables-I to IX, namely: —

Table-I Inductive device

S.No.	Frequency	Transmit power limit/field	Additional parameters	Other usage	*EN No.
	range in kHz	strength limit/power	(channeling and/ or	restrictions	
		density limit	channel access and		
			occupation rules)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	6765-6795	42 dBuA/m at 10 metres			EN 300 330
1	0703-0773	42 dBμA/m at 10 metres			LIV 300 330

*EN: is a number and acronym used for Harmonized European Standard as produced by European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Note: For the purpose of this Table, inductive device mean radio devices that use magnetic fields with inductive loop systems for near field communications and typical uses include devices for car immobilisation, animal identification, alarm systems, cable detection, waste management, personal identification, wireless voice links, access control, proximity sensors, anti-theft systems, including radio frequency anti-theft induction systems, data transfer to hand-held devices, automatic article identification, wireless control systems and automatic road tolling.

Table –II
Active medical implant device

Active medical impant device						
S.No.	Frequency range in MHz	Transmit power limit/field strength limit/power density limit	Additional parameters (channeling and/or channel access and occupation rules)	Other usage restrictions	*EN No.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	30-37.5	1 mW e.r.p.	duty cycle limit: 10 %	This set of usage conditions is only available to ultra-low power medical membrane implants for blood pressure measurements within the definition of active implantable medical devices in Directive 90/385/EEC.	EN 302 510	
2	401-402	25 μW e.r.p.	Channel spacing: 25 kHz. Individual transmitters may combine adjacent channels for increased bandwidth up to 100 kHz. Alternatively, a duty cycle limit of 0.1 % may also be used.	This set of usage conditions is only available for systems specifically designed for the purpose of providing non-voice digital communications between active implantable medical devices and/or body-worn devices and other devices external to the human body used for transferring non-time-critical individual patient-related physiological information.	EN 302 537	
3	405-406	25 μW e.r.p.	Channel spacing: 25 kHz Individual transmitters may combine adjacent channels for increased bandwidth up to 100 kHz. Alternatively, a duty cycle limit of 0.1 % may also be used.	This set of usage conditions is only available for systems specifically designed for the purpose of providing non-voice digital communications between active implantable medical devices and/or body-worn devices and other devices external to the human body used for transferring non-time-critical individual patient-related physiological information.	EN 302 537	
4	2483.5-2500	10 mW e.i.r.p.	Channel spacing 1 MHz The whole frequency band may also be used dynamically as a single channel for high-speed data transmissions. Duty cycle limit:10%		EN 301 559	

Note: For the purpose of this Table, active medical implant device covers the radio part of active implantable medical devices that are intended to be totally or partially introduced, surgically or medically, into the human body or that of an animal, and where applicable their peripherals.

Table -III	
High duty cycle or Continuous transmission d	evice

S.No.	Frequency Range in MHz	Transmit power limit/field strength limit/power density limit	Additional parameters (channeling and/or channel access and occupation rules)	Other usage restrictions	*EN No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	87.5-108	50 nW e.r.p.			EN 301 357

Note: For the purpose of this Table, high duty cycle or continuous transmission device mean radio device that rely on low latency and high duty cycle transmissions and used for personal wireless audio and multimedia streaming systems used for combined audio or video transmissions and audio or video sync signals, mobile phones, automotive or home entertainment system, wireless microphones, cordless loudspeakers, cordless headphones, radio devices carried on a person, assistive listening devices, in-ear monitoring, wireless microphones for use at concerts or other stage productions, and low power analogue FM transmitters (band 36).

Table -IV
Assistive listening device

S.No.	Frequency range in MHz	Transmit power limit/field strength limit/power density limit	Additional parameters (channeling and/or channel access and occupation rules)	Other usage restrictions	*EN No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	169.4-169.475	500 mW e.r.p.	Channel spacing: ≤ 50 kHz		EN 300 422
2	169.4875- 169.5875	500 mW e.r.p.	Channel spacing: max 50 kHz		EN 300 422

*EN: is a number and acronym used for Harmonized European Standard as produced by European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Note: For the purpose of this Table, assistive listening device covers radio communications systems that allow persons suffering from hearing disability to increase their listening capability. Typical system installations include one or more radio transmitters and one or more radio receivers.

Table -V Personal Mobile Radio 446 MHz device

S.No.	Frequency range in MHz	Transmit power limit/field strength limit/power density limit	Additional parameters (channeling and/or channel access and occupation rules)	Other usage restrictions	*EN No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	446.0-446.2	500 mW e.r.p.	Channel spacing: 6.25 kHz and 12.5 kHz		EN 300 113- 2, EN 301 166-2, EN 300 296-2

*EN: is a number and acronym used for Harmonized European Standard as produced by European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Note: For the purpose of this Table, personal mobile radio 446 MHz device means hand portable radio with no base station or repeater use and uses integral antennas only in order to maximise sharing and minimise interference, and which operates in short range peer-to-peer mode and shall be used neither as a part of infrastructure network nor as a repeater;

Table -VI Radio determination device

S.No.	Frequency	Transmit power limit/field	Additional parameters	Other usage	*EN No.
	range in MHz	strength limit/power density	(channeling and/or	restrictions	
		limit	channel access and		
			occupation rules)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2400-2483.5	25 mW e.i.r.p.			EN 300 440

Note: For the purpose of this Table, radio determination device means radio device that are used for determining the position, velocity and/or other characteristics of an object, or for obtaining information relating to these parameters. Radio determination equipment typically conducts measurements to obtain such characteristics. Any kind of point-to-point or point-to-multipoint radio communications is outside of this definition.

Table -VII
Radio frequency identification device

S.N	o. Frequency range in MHz	Transmit power limit/field strength limit/power density limit		Other usage restrictions	*EN No.
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2446-2454	500 mW e.i.r.p.			EN 300 440

*EN: is a number and acronym used for Harmonized European Standard as produced by European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Note: For the purpose of this Table, radio frequency identification device means tag or interrogator based radio communications systems, consisting of radio devices (tags) attached to animate or inanimate items and of transmitter or receiver units (interrogators) which activate the tags and receive data back that are used for tracking and identification of items, such as for electronic article surveillance (EAS), and collecting and transmitting data relating to the items to which tags are attached, which may be either battery-less, battery assisted or battery powered.

Table -VIII
Transport and traffic telematics device

S.No.	Frequency range in GHz	Transmit power limit/field strength limit/power density limit	Additional parameters (channeling and/or channel access and occupation rules)	Other usage restrictions	*EN No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	24.05-24.075	100 mW e.i.r.p.			EN 302 858
2	24.075-24.15	100 mW e.i.r.p.		This set of usage conditions is only available to ground-based vehicle radars.	EN 302 858-1 V 1.2.1
3	24.075-24.15	0.1 mW e.i.r.p.			EN 302 858
4	24.15-24.25	100 mW e.i.r.p.			EN 302 858
5	24.25-24.495	– 11 dBm e.i.r.p.	Duty cycle limits and frequency modulation ranges apply as	This set of usage conditions is only available to ground-	EN 302 858

			specified in EN 302 858- 1 v1.3.1.	based vehicle radars.	
6	24.25-24.5	20 dBm e.i.r.p. (forward-facing radars), 16 dBm e.i.r.p. (rear-facing radars)	Duty cycle limits and frequency modulation ranges apply as specified in EN 302 858- 1 v1.3.1.		EN 302 858
7	24.495-24.5	– 8 dBm e.i.r.p.	Duty cycle limits and frequency modulation ranges apply as specified in EN 302 858- 1 v1.3.1.		EN 302 858

^{*}EN: is a number and acronym used for Harmonized European Standard as produced by European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Note: For the purpose of this Table, transport and traffic telematics device means the device that are used in the field of transport, traffic management, navigation, mobility management and in intelligent transport systems for interfaces between different modes of transport, communication between vehicles, between vehicles and fixed locations as well as communication from and to users.

Table –IX
Non-Specific Short Range Device

S.No.	Frequency range	Transmit power limit/field strength limit/power density limit	Additional parameters (channeling and/or channel access and occupation rules)	Other usage restrictions	*EN No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	456.9-457.1 kHz	7 dBμA/m at 10 m		This set of usage conditions is only available for emergency detections of buried victims and valuable items devices.	EN 300 718
2	26957-27283 kHz	10 mW effective radiated power (e.r.p.)			EN 300 220
3	26990-27000 kHz	100 mW e.r.p.	Duty cycle limit: 0.1 %. @ Model control devices may operate without duty cycle restrictions.		EN 300 220
4	27040-27050 kHz	100 mW e.r.p.	Duty cycle limit: 0.1 %. @Model control devices may operate without duty cycle restrictions.		EN 300 220
5	27090-27100 kHz	100 mW e.r.p.	Duty cycle limit: 0.1 %. @Model control devices may operate without duty cycle restrictions.		EN 300 220
6	27140-27150 kHz	100 mW e.r.p.	Duty cycle limit: 0.1 %. @Model control devices may operate without duty cycle restrictions.		EN 300 220

7	27190-27200	100 mW e.r.p.	Duty cycle limit: 0.1 %.	EN 300 220
	kHz		@Model control devices may operate without duty cycle restrictions.	
8	169.4- 169.475 MHz	500 mW e.r.p.	Channel spacing: max 50 kHz. Duty cycle limit: 1.0 %.	EN 300 220
			#For metering devices, the duty cycle limit is 10.0 %	
9	169.4- 169.4875 MHz	10 mW e.r.p.	Duty cycle limit is 0.1 %.	EN 300 220
10	169.4875- 169.5875 MHz	10 mW e.r.p.	Duty cycle limit: 0.001 %.	EN 300 220
11	169.5875- 169.8125 MHz	10 mW e.r.p.	Duty cycle limit: 0.1 %.	EN 300 220
12	2400-2483.5 MHz	10 mW equivalent isotropic radiated power (e.i.r.p.)		EN 300 440
13	5725-5875 MHz	25 mW e.i.r.p.		EN 300 440
14	24.15-24.25 GHz	100 mW e.i.r.p.		EN 300 440
15	61-61.5 GHz	100 mW e.i.r.p.		EN 305 550

Note 1: For the purpose of this Table, non-specific short range device means radio device, regardless of the application or the purpose, which fulfil the technical conditions as specified for a given frequency band and used for telemetry, telecommand, alarms, data transmissions in general and other applications.

Note 2: For the purpose of this Table, @"Model control devices" means a specific kind of telecommand and telemetry radio equipment that is used to remotely control the movement of models (principally miniature representations of vehicles) in the air, on land or over or under the water surface.

- **Note 3:** For the purpose of this Table, #metering device means radio device that are part of bidirectional radio communications systems which allow remote monitoring, measuring and transmission of data in smart grid infrastructures, such as electricity, gas and water.
- 4. Interference.—(1) The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a license has been issued under the provisions of section 4 of the Act; and section 4 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 informs the Authority that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, then such authority shall call upon the user of such unlicensed wireless equipment to take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power and using special type of antennae, failing which such Authority shall recommend discontinuation of such wireless use.
- (2) The Authority shall give a reasonable opportunity to the user of wireless equipment before making recommendation of discontinuation of wireless use under sub-rule (1)
- **5. Equipment.—**(1) The equipment shall comply with the respective EN number for effective use of spectrum and to avoid harmful interference.

- (2) The wireless equipment shall be type approved and designed and constructed in such a manner that the bandwidth of emission and other parameters shall conform to the limits specified in rule 3 and the application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in the format given in Annexure.
- (3) The safety related requirements shall be as per the International or National standards such as ITU/ETSI/ANSI/BIS/ICNIRP for the respective devices and frequency bands.

[No. R-11017/04/2018-PP]

MAKRAND PATHAk, Assistant Wireless Adviser

ANNEXURE

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

(Refer sub-rule (2) of rule 5)

Section-A- Applicant

1.	Name of manufacturing agency ap for equipment type approval	plying :
2.	Postal Address of manufacturing A	Agency :
3.	Name and address of Indian agenc applying for the type approval.	у
4.	Name of product and the product Identification (model number etc.,) :
		Section- B- Dtetails of Transmitter
1.	Frequency range	·
2.	No. of preset switchable channels	÷
3.	No of sector /Data / TN/ Channella	
	No. of voice /Data/ TV Channels (In case of multi- channel equipme	ent)
4.		:

(In case of multi-channel equipment)

6.	Frequency stability		:
7.	Spurious/ Harmonic radiations	:	
	i. Carrier suppression (In case of carrier suppressed systems)ii. Unwanted side band suppression: (In case of SSB systems)	:	
	iii. 2 nd Harmonic radiations	:	
	iv. 3 rd Harmonic radiations :		
8.	Max. Frequency Deviation :		
9.	Mode of emission	:	
10.	Bandwidth of emission :		
11.	Test Tone deviation		:
12.	Base band frequency (In case of multi-channel equipment)		:
13.	Type of modulation to be required	:	
14.	Pre-emphasis		:
15.	Power output (At the input of antenna)		:
16.	Any other information		:
	Section	ı-C- Deta	ils of Receivers
1.	Frequency range	:	
2.	Mode of reception		:
3.	Spurious response of receiver		:
4.	Sensitivity		:
5.	Frequency stability		:

0.	(a)	Effective hoise temperature		•		
	(b)	Threshold input level		:		
7.	Interme	diate frequency	:			

8. De-emphasis :

9. Selectivity :

10. Any other particulars :

Signature of the applicant

Place :

Date :

He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] No. 36] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 2005/माघ 8, 1926

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 2005/MAGHA 8,1926

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार आयोजना तथा समन्वय स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 45(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 2.4 गीगा हर्ट्ज से 2.4835 गीगा हर्ट्ज तक के आवृत्ति बैंड में अल्पशक्ति उपस्कर का अंतरंग उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोग किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 2.4 गीगा हर्ट्ज से 2.4835 गीगा हर्ट्ज तक के आवृत्ति बैंड में अल्पशक्ति उपस्कर का अंतरंग उपयोग (अनुझापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005 हैं।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- परिभाषाएं इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "अधिनियम" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है ;
- (ख) "प्रभावी विकिरित क्षमता" में एंटिना की प्राप्यता, यदि कोई हों, सिम्मिलित है ;

302 GI/2005

- (ग) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में है ।
- 3. 2.4 गीगा हर्ज से 2.4835 गीगा हर्ज तक के बैंड में बेतार उपस्कर का उपयोग तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति से नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट संचारी शक्ति, प्रभावी विकिरित क्षमता, एंटिना की ऊंचाई, अव्यतिकरण, असंरक्षित हिस्सेदारी के (अनन्य रहित) आधार पर 2.4 गीगा हर्ज से 2.4835 गीगा हर्ज तक के आवृत्ति बैंड में किसी बेतार उपस्कर की स्थापना करने, अनुरक्षण करने, कार्य करने, कब्जे में रखने या व्यवहार करने के लिए कोई अनुझप्ति अपेक्षित नहीं होगी, अर्थात् :-

सारणी

संचारी की अधिकतम देय	अधिकतम प्रभावी विकिरित क्षमता	एंटिना की ऊंचाई
शक्ति		
(1)	(2)	(3)
10 मेगाहर्ट्ज या इससे	4 वाट (36 डी.बी.एम.)	विद्यमान प्राधिकृत भवन के
अधिक के प्रसार में 1		रूफटोप से ऊपर 5 मीटर के
वाट (30 डीबीएम)		भीतर

- 4. आवृत्ति आबंटन निकासी संबंधी स्थायी सलाहकार समिति यदि एंटिना का टोप विद्यमान रूफटोप से परे पांच मीटर से अधिक हो तो एंटिना को यथा लागू आवृत्ति आबंटन निकासी संबंधी स्थायी सलाहकार समिति को बाह्य उपयोजनो के लिए एंटिना के लिए अभिप्राप्त करने की आवश्यकता है।
- 5. अंतर्क्षेप व्यतिकरण किसी रेडियो संचार प्रणाली में अभिग्रहण पर उत्सर्जनों, विकिरणों या आगमन में से किसी एक या उनके किसी मिश्रण के कारण अवांछित ऊर्जा का प्रभाव, जो किसी निष्पादन निम्नीकीरण, अपनिर्वचन या जानकारी की कमी से प्रकट हुआ हो, जो ऐसी अवांछित ऊर्जा के अभाव में निष्कर्षित किया जा सके, उस दशा में जहां कोई व्यक्ति, जिसको अधिनियम, की धारा 4 के अधीन कोई अनुझप्ति जारी की गई, सूचित करता है कि उसकी अनुझप्ति प्रणाली इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से हानिग्रद हस्तक्षेप हो रहा है तो ऐसे अनुझप्तिविहीन बेतार उपस्कर का अंतः प्रयोग बंद कर दिया जाएगा ।

- 6. उपस्कर (1) बेतार उपस्कर अनुमोदित और अभिकल्पित टाइप का होगा और ऐसी रीति में संनिर्मित होगा जिससे कि उत्सर्जन की बैंड चौड़ाई तथा अन्य पेरामीटर नियम 3 में निर्दिष्ट सारणी में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप हो ।
- (2) उपस्कर टाइप अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन केन्द्रीय सरकार के ऐसे प्रारूप में किया जाएगा जो उस सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ।

[सं. आर-11014/17/2004-एल आर (Pt.)] अशोक कुमार, संयुक्त बेतार सलाहकार

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (Wireless Planning and Coordination Wing) NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2005

G.S.R. 45(E).— In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) and in supersession of the Indoor Use of low power Equipment in the frequency band 2.4 GHz to 2.4835 GHz (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Use of low power Equipment in the frequency band 2.4 GHz to 2.4835 GHz (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definition.-** In these rules, unless the context otherwise requires, -
- (a)"Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
- (b) "Effective Radiated Power" includes the gain of the antenna, if any;
- (c) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), shall have the same meanings respectively as assigned to them in those Acts.
- 3. Use of wireless equipment in the band 2.4 GHz to 2.4835 GHz.- Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment, on non-interference, non-protection and shared (non-exclusive) basis, in the frequency band 2.4 GHz to 2.4835 GHz with the transmitter power, Effective Radiated Power and height of antenna as specified in the Table below, namely:-

1	'Δ	R	I	\mathbf{F}
	\sim		_	

Maximum out power of transmitter	Maximum Effective Radiated Power	Height of Antenna
(1)	(2)	(3)
1 W (30 dBm) in Spread of 10 MHz or higher	4 W (36 dBm)	Within 5 metres above the roof top of existing authorized building

- 4. Standing Advisory Committee on Frequency Allocations clearance.- In case the top of Antenna is more than 5 metres beyond the existing roof top, then Standing Advisory Committee on Frequency Allocations clearance as applicable to antenna needs to be obtained for the antenna for outdoor applications.
- 5. Interference.- The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy. In case where any person to whom a licence has been issued under section 4 of the Act, informs that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, the use of such unlicensed Wireless equipment shall be discontinued forthwith.
- 6. Equipment.- (1) The wireless equipment shall be type approved and designed and constructed in such a manner that the bandwidth of emission and other parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 3.
- (2) The application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in such form as may be specified by that Government in this behalf.

[No. R-11014/17/2004-LR (Pt.)] ASHOK KUMAR, Jt. Wireless Advisor

अधिसूचना नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 46(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 5 गीगा हर्ट्ज के आवृत्ति बैंड में अल्पशक्ति बेतार उपस्कर का अंतरंग उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005 हैं ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे I
- परिभाषाएं इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 754] No. 754] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 22, 2018/आश्विन 30, 1940 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 22, 2018/ASVINA 30, 1940

संचार मंत्रालय

(बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि.1048(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 एवं भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. सा. का. नि. 46 (अ), तारीख 28 जनवरी, 2005, अधिसूचना सं. सा. का. नि. 36 (अ), तारीख 10 जनवरी, 2007, और अधिसूचना सं. सा. का. नि. 38 (अ), तारीख 19 जनवरी, 2007 के अधिक्रमण में निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात: -

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 5 गीगाहर्ट्ज बैंड में रेडियो लोकल एरिया नेटवर्क सहित बेतार अभिगम प्रणाली का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- 1. **परिभाषाएं**.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;--
- (क) "अधिनियम" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकारी" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसुचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ग) "अभिगम बिन्दु" से ऐसा ट्रांसीवर अभिप्रेत है जो या तो पीयर-टू-पीयर संयोजन में एक पुल के रुप में या नेटवर्क के तार और बेतार खंड के बीच एक संयोजक के रुप में संचालित होता है;
- (घ) "गतिशील आवृत्ति चयन" से ऐसा तंत्र अभिप्रेत है जो अन्य प्रणाली से संकेतों को गतिशील रूप से खोज निकालता है तथा इन प्रणालियों, विशेषकर रडार प्रणाली के साथ सह-चैनल प्रचालन से बचाता है।

6156 GI/2018 (1)

- (ङ) "समतुल्य समदैशिक विकिरित शक्ति" या "स. स. वि. शा." से अभिप्रेत है, कुल शक्ति जिसे एंटिना की सबसे मजबूती की दिशा में वास्तविक स्त्रोत के बराबर समान संकेत सामर्थ्य देने के लिए प्राक्कल्पनात्मक समदैशिक एंटिना द्वारा विकिरित किया जाना अपेक्षित है;
- (च) "उत्सर्जन बैंडविड्थ" से अभिप्रेत मॉड्यूलेटेड संकेत के 26 डीबी बैंडविड्थ है जिसे मॉड्यूलेटेड कैरियर की अधिकतम सीमा के सापेक्ष मापा जाता है;
- (छ) "अधिकतम शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता" से अभिप्रेत, डिवाईस ओपरेटिंग बैंड के भीतर विनिर्दिष्ट माप बैंडविड्थ की सीमा के अन्दर का अधिकतम शक्ति है। 5 725-5 875 मेगाहर्ट्ज बैंड में माप 500 किलोहर्ट्ज के बैंडविड्थ पर किया जाता है। 5 150-5 250 मेगाहर्ट्ज, 5 250-5 350 मेगाहर्ट्ज तथा 5 470-5 725 मेगाहर्ट्ज बैंडों में माप 1 मेगाहर्ट्ज के बैंडविड्थ या उपकरण के 26 डीबी उर्त्सजन बैंडविड्थ, जो भी कम हो, पर किया जाता है;
- (ज) "अधिकतम कंडक्टेड निर्गम शक्ति" से अभिप्रेत है सभी ऐंटिनाओं तथा ऐंटिना अवयवों को आपूर्ति की गई ट्रांसमिट शक्ति का योग जो सिग्नलिंग अल्फाबेट के सभी चिन्हों का औसत है जब ट्रांसमीटर अपने अधिकतम शक्ति स्तर पर प्रचालन कर रहा हो। यदि प्रचालन के कई मोड संभव हो (उदाहरण स्वरूप ऑल्टर्नेटिव मोड्युलेशन पद्धतियां), अधिकतम कंडक्टेड आऊटपुट शक्ति किसी मोड में घटने वाली उच्चतम कुल ट्रांसमिट शक्ति होगी;
- (झ) "शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता (पीएसडी)" से अभिप्रेत है पल्स या पल्सों के क्रम से निकलने वाली प्रति यूनिट बैंडविड्थ की कुल शक्ति आऊटपुट जिसके लिए ट्रांसमिट शक्ति अधिकतम स्तर पर हो तथा जिसकी गणना पल्सों की कुल अवधि द्वारा विभाजित करने के पश्चात की जाती है। इस कुल अवधि में पल्सों के बीच का वह समय सम्मिलित नहीं हैं जिसके दौरान ट्रांसमिट शक्ति बंद हो या यह अपने अधिकतम स्तर से कम हो;
- (ञ) "पारेषित शक्ति नियंत्रण (टीपीसी)" से अभिप्रेत, एक विशेषता है, जो किसी युक्ति को आंकड़ा पारेषण प्रक्रिया में विभिन्न पारेषण शक्ति स्तरों के बीच गतिक स्विच करने में समर्थ बनाती है;
- (ट) "युक्ति" से अभिप्रेत है 5 150-5 250 मेगाहर्ट्ज, 5 250-5 350 मेगाहर्ट्ज, 5 470-5 725 मेगाहर्ट्ज तथा 5 725-5 875 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंडों में प्रचालन करने वाले इन्टेंशनल रेडियेटेर्स जो वाईडबैंड डिजिटल मोड्यूलेशन तकनीकों का प्रयोग करते हैं तथा ये व्यक्तियों, कारोबारों तथा संस्थाओं के लिए मोबाइल तथा फिक्स्ड संचार में उच्च डाटा दर की एक विस्तृत श्रेणी प्रदान करते हैं;
- (ठ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु "अधिनियम" और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनके अनुक्रमिक रूप से उन अधिनियमों में दिए गए हैं।
- 3. छूट.— 5 150-5 250 मेगाहर्ट्ज, 5 250-5 350 मेगाहर्ट्ज, 5 470-5 725 मेगाहर्ट्ज तथा 5 725-5 875 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंडों में प्रचालन कर रहे रेडियो लोकल एरिया नेटवर्क्स (डब्ल्यूएएस/आरएलएएन) सहित निम्नशक्ति वाली बेतार अभिगम प्रणाली के प्रयोजन के लिए किसी बेतार उपस्कर को आंतरिक और बाह्य वातावरण में स्थापित करने, अनुरक्षित करने, कार्य करने, रखने या किसी बेतार उपस्कारों से व्यवहार करने के लिए किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है परंतु इसके लिए निम्नलिखित तकनीकी मापदंडों का अनुपालन करना अपेक्षित है; अर्थात्:-
- (i) 5 150-5 250 मेगाहर्ट्ज बैंड में, 6 डीबीआई तथा उससे कम के ऐंटिना गेन के ट्रांसिमिटिंग ऐंटिना के साथ प्रचालन करने वाले अभिगम बिंदुओं के लिए प्रचालन के आवृत्ति बैंड पर अधिकतम कंडक्टेड निर्गम शक्ति 30 डीबीएम (1 वाट) से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा किसी 1 मेगाहर्ट्ज बैंड में अधिकतम शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता 17 डीबीएम (50 मिलीवाट) से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 6 डीबीआई से अधिक डायरेक्शनल गेन वाले ट्रांसिमिटिंग ऐंटिना का प्रयोग किया जाता है तो अधिकतम कन्डक्टेड निर्गम शक्ति तथा अधिकतम शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता को डीबी की मात्रा से घटाया जाएगा जिससे ऐंटिना गेन 6 डीबीआई से अधिक हो। बाह्य अभिगम बिन्दु ऐप्लीकेशन्स के लिए प्रयोग किए जाने पर क्षैतिज से मापे गए 30 डिग्री से अधिक के किसी ऐलिवेशन कोण पर अधिकतम ई.आई.आर.पी. को 21 डीबीएम (125 मिलीवाट) से अधिक नहीं होना चाहिए;
- 5 150-5 250 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में प्रचालन कर रहे फिक्स्ड बिंदु-से-बिंदु अभिगम बिंदुओं में 23 डीबीआई तक के डायरेक्शनल गेन वाले ऐंटिना लगाए जा सकते हैं तथा इसमें उप- पैरा (i) में दिए गए निर्देश के अनुसार अधिकतम कंडक्टेड निर्गम शक्ति तथा अधिकतम शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता का प्रयोग किया जा सकता है। 23 डीबीआई से अधिक डायरेक्शनल

ऐंटिना गेन वाले अभिगम बिंदु/युक्तियाँ में अधिकतम कन्डक्टेड निर्गम शक्ति तथा अधिकतम शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता को डीबी की मात्रा से घटाया जाएगा जिससे ऐंटिना गेन 23 डीबीआई से अधिक हो। पोइंट-टू-मल्टीपाँइंट प्रणाली, सर्वदिशात्मक ऐप्लीकेशन्स तथा मल्टी कोलेटेड ट्रांसमिटर्स जो समान सूचना पारेषित कर रहे हैं उनको इन नियमों के उद्देश्य के लिए पाँइंट-टू-पाँइंट प्रणाली नहीं माना जाएगा;

- (ii) 5 150-5 250 मेगाहर्ट्ज बैंड में मोबाइल तथा पोर्टबल क्लाइंट युक्तियों के लिए, प्रचालन के आवृत्ति बैंड पर अधिकतम कन्डक्टेड निर्गम शक्ति 250 मिलीवाट से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि अधिकतम ऐंटिना गेन 6 डीबीआई से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, किसी भी 1 मेगाहर्ट्ज बैंड में अधिकतम शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता 11 डीबीएम से अधिक नहीं होगा। यदि 6 डीबीआई से अधिक डायरेक्शनल गेन वाले ट्रांसमिटिंग ऐंटिना का प्रयोग किया जाता है तो दोनों यानि अधिकतम कन्डक्टेड निर्गम शक्ति तथा अधिकतम शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता को डीबी की मात्रा से घटाया जाएगा जिससे ऐंटिना गेन 6 डीबीआई से अधिक हो;
- (iii) 5 250-5 350 मेगाहर्ट्ज तथा 5 470-5 725 मेगाहर्ट्ज बैंडों में 6 डीबीआई तथा उससे कम के ऐंटिना गेन के ट्रांसमिटिंग ऐंटिना के साथ प्रचालन करने वाले अभिगम बिदुंओं के लिए प्रचालन के आवृत्ति बैंड पर अधिकतम कंडक्टेड निर्गम शक्ति 24 डीबीएम (250 मिलीवाट) या 11 डीबीएम+10 log B, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी, जहां 'B' का अर्थ मेगाहर्ट्ज में उत्सर्जन बैंडविड्थ है। इसके अतिरिक्त, किसी 1 मेगाहर्ट्ज बैंड में अधिकतम शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता 11 डीबीएम से अधिक नहीं होनी चाहिए;

यदि 6 डीबीआई से अधिक डायरेक्शनल गेन वाले ट्रांसिमिटिंग ऐंटिना का प्रयोग किया जाता है तो अधिकतम कंडक्टेड निर्गम शक्ति तथा अधिकतम शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता को डीबी की मात्रा से घटाया जाएगा जिससे ऐंटिना का डायरेक्शनल गेन 6 डीबीआई से अधिक हो।

उचित अंतरावरोधन मिटिगेशन तकनीक गतिशील आवृत्ति चयन (डीएफएस) और/या ट्रांसमिट शक्ति नियंत्रण (टीपीसी) का उपयोग करना अनिवार्य होगा। तथापि, 500 मिलीवाट से कम ई.आई.आर.पी. वाली प्रणालियों के लिए टीपीसी तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है:

- (iv) 5 725-5 875 मेगाहर्ट्ज बैंड में, युक्तियों की न्यूनतम 6 डीबी बैंडविड्थ कम से कम 500 किलोहर्ट्ज पर होगी। 6 डीबीआई तथा उससे कम के ऐंटिना गेन के ट्रांसमिटिंग ऐंटिना पर, प्रचालन के आवृत्ति बैंड पर अधिकतम कन्डक्टेड निर्गम शक्ति 30 डीबीएम (1वाट) से अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, किसी 500 किलोहर्ट्ज बैंड में अधिकतम शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता 30 डीबीएम से अधिक नहीं होगी। यदि 6 डीबीआई से अधिक डायरेक्शनल गेन वाले ट्रांसमिटिंग ऐंटिना का प्रयोग किया जाता है तो दोनों यानि अधिकतम कन्डक्टेड निर्गम शक्ति तथा अधिकतम शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता को डीबी की मात्रा से घटाया जाएगा जिससे ऐंटिना का डायरेक्शनल गेन 6 डीबीआई से अधिक हो।
- (v) 5 725-5 875 मेगाहर्ट्ज बैंड में प्रचालन कर रहे फिक्स्ड बिंदु-से-बिंदु अभिगम बिंदुओं में 23 डीबीआई तक के डायरेक्शनल गेन वाले ऐंटिना लगाए जा सकते हैं तथा इसमें उप-पैरा (iv) में दिए गए निर्देश के अनुसार अधिकतम कंडक्टेड निर्गम शक्ति तथा अधिकतम शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता का प्रयोग किया जा सकता है। 23 डीबीआई से अधिक डायरेक्शन ऐंटिना गेन वाले अभिगम बिंदु/उपकरण में अधिकतम कन्डक्टेड निर्गम शक्ति तथा अधिकतम शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता की मात्रा को डीबी की मात्रा से घटाया जाएगा जिससे ऐंटिना गेन 23 डीबीआई से अधिक हो।

पॉइंट-टू-मल्टीपॉइंट प्रणाली, सर्वदिशात्मक ऐप्लीकेशन्स तथा मल्टी कोलेटेड ट्रांसमिटर्स जो समान सूचना पारेषित कर रहे हैं उनको इन नियमों के उद्देश्य के लिए पॉइंट-टू-पॉइंट प्रणाली नहीं माना जाएगा।

4. **आऊट ऑफ बैंड उत्सर्जन सीमा**.— किसी भी आवृत्ति बैंडों यानि 5 150-5 250 मेगाहर्ट्ज, 5 250-5 350 मेगाहर्ट्ज, 5 470-5 725 मेगाहर्ट्ज में प्रचालन करने वाले ट्रांसमीटरों के लिए बैंड के बाहर के सभी उत्सर्जनों को –27 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज की ई.आई.आर.पी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 725-5 875 मेगाहर्ट्ज में प्रचालन करने वाले ट्रांसमीटरों के लिए, आवृत्ति के भीतर सभी उर्त्सजन बैंड ऐज से 1 बैंड ऐज़ से 10 मेगाहर्ट्ज ऊपर या नीचे को –17 डीबीएम/ मेगाहर्ट्ज की ई.आई.आर.पी. से अधिक नहीं होना चाहिए; 10 मेगाहर्ट्ज या उससे अधिक अथवा बैंड ऐज से ऊपर या नीचे के लिए उर्त्सजन को –27 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज की ई.आई.आर.पी. से अधिक नहीं होना चाहिए।

- 5. प्रचालकों के लिए अपेक्षा.— 5 150-5 250 मेगाहर्ट्ज बैंड में कुल एक हजार से अधिक बाह्य अभिगम बिंदुओं की तैनाती करने से पहले, प्रचालकों को बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध (डब्ल्यूपीसी विंग) को एक वचनबद्ध प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस बैंड में लाइसेंस प्राप्त सेवाओं में हानिकारक व्यतिक्रम आने की स्थिति में वे सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे जिसमें शक्ति को कम करना, युक्तियों को बंद करना, आवृत्ति बैंडों को बदलना, और/अथवा वर्टिकल दिशा में विकिरित की जा रही शक्ति को और कम करना, सम्मिलित हो सकता है।
- 6. व्यतिकरण.— (1) अवांछित शक्ति के किसी प्रभाव या उत्सर्जन के किसी संयोजन, किसी रेडियो संचार प्रणाली में किसी उत्सर्जन विकरण या अभिग्रहण पर उत्प्रेरण के सहयोजन, किसी आकर्षण, उपनिर्वचन या सूचनाओं की हानि से प्रकट ऐसी अवांछित शक्ति की अनुपस्थिति में उद्धरण किया जा सकेगा, जहां कोई व्यक्ति, जिसे अधिनियम, की धारा 4 और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है, प्राधिकारी को यह सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रणाली को इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से हानिकर व्यतिक्रम प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा प्राधिकारी उपस्कर का स्थान परिवर्तन करके, उसकी शक्ति को कम करके, विशेष प्रकार के एंटेना के उपयोग द्वारा व्यतिक्रम से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए ऐसे गैर-अनुज्ञप्ति प्राप्त बेतार उपस्कर के उपयोक्ता को अवसर देगा, जिसमें असफल रहने पर ऐसे प्राधिकारी ऐसे बेतार के उपयोग को रोकने की सिफारिश करेंगे;
- (2) उपनियम (1) के अधीन बेतार प्रयोग के रोके जाने की सिफारिश करने के पूर्व प्राधिकारी बेतार उपस्कर के उपयोक्ता को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।
- 7. **उपस्कर**.— (1) बेतार उपस्कर का टाइप अनुमोदित होगा और ऐसी रीति में डिजाइन और निर्मित होगा जिससे कि उत्सर्जन की बैंड चौड़ाई तथा अन्य पैरामीटर नियम 3 और 4 में निदिष्ट सीमाओं के अनुरूप हो और उपस्कर टाइप अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन केन्द्रीय सरकार को उपाबन्ध प्रारुप में हो ।
- (2) अपने अपने युक्तियों और आवृत्ति बैंड के लिए सुरक्षा से संबंधित अपेक्षाएं अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानकों के जैसे आई टी यू/ ई टी एस आई /ए एन एस आई /बी आई एस/ आई सी एन आई आर पी के अनुसार होगी।

[सं. आर-11014**/**03/2018**-**एनटी] एल. डी. मेघवाल, उप बेतार सलाहकार

उपाबंध

उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन [नियम (7) का उपनियम (1) का संदर्भ]

भाग-क-आवेदक

- उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम
- 2. विनिर्माता का डाक पता
- 3. प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले भारतीय अभिकरण का नाम और पता
- 4. उत्पाद का नाम और उत्पाद पहचान (माडल सं. आदि)

भाग-ख-पारेषक का वर्णन

- 1. आवृत्ति रेंज :
- 2 प्रीसेट स्विचेबल चैनलों की सं
- वायस/डाटा/टीवी चैनलों की सं:
 (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)

```
4. टीएक्स-आरएक्स चैनल पृथ्क्करण
  (डुप्लैक्स/मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
5. समीपवर्ती चैनल पृथ्क्करण :
  (मल्टीचैनर उपस्कर की दशा में)
6. अवृति स्थायित्व
7. कूट/सन्नादी विकिरण
  i. कैरियर सप्रेशन :
  (कैरियर सप्रैस्ड तंत्र की दशा में)
  ii. अवांछित साइड बैंड सप्रैशन :
     (एसएसबी तंत्र की दशा में)
  iii. द्वितीय सन्नादी विकिरण :
  iv तृतीय सन्नादी विकिरण :
8. अधिकतम आवृत्ति विचलन :
9. उत्सर्जन की रीति
10. उत्सर्जन की बैंडविड्थ
11. परीक्षण टोन विचलन :
12. आधार बैंड आवृत्ति
  (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
13. अपेक्षित माडयूलेशन का प्रकार :
14. पर्व जोर
15. विद्युत आउटपुट
   (एंटेना के इनपुट पर)
16. कोई अन्य जानकारी :
भाग-ग-प्रापकों के विवरण
1. आवृत्ति रेंज
2. प्राप्ति की रीति :
3. प्राप्ति की कूट प्रतिक्रिया :
4. संवेदनशीलता
5. आवृत्ति स्थायित्व
6. (क) प्रभावी ध्वनि तापमान :
```

(ख) अवसीमा इनपुट स्तर :

7. मध्यवर्ती आवृत्ति :

स्थान : तारीख :	आवेदक के हस्ताक्षर
10. कोई अन्य विशिष्टियां :	
9. चयनशीलता :	
8. जोर मुक्ति :	

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Wireless Planning and Coordination Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2018

- **G.S.R. 1048(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) and in supersession of notification under G.S.R. 46(E), dated the 28^{th} January, 2005 and notification under G.S.R. 36(E), dated the 10^{th} January, 2007 and notification under G.S.R. 38(E), dated the 19^{th} January, 2007, the Central Government hereby makes the following rules, namely:
- **1. Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Use of Wireless Access System including Radio Local Area Network in 5 GHz band (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.** In these rules, unless the context otherwise requires, —
- (a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
- (b) "Authority" means the authority notified by the Central Government under sub-section (2) of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
- (c) "access point" means a transceiver that operates either as a bridge in a peer-to-peer connection or as a connector between the wired and wireless segments of the network;
- (d) "dynamic frequency selection" means a mechanism that dynamically detects signals from other systems and avoids co-channel operation with these systems, notably radar systems;
- (e) "equivalent isotropic radiated power" or "e.i.r.p" means the total power that would have to be radiated by a hypothetical <u>isotropic antenna</u> to give the same signal strength as the actual source in the direction of the antennas strongest beam;
- (f) "emission bandwidth" means the 26 dB bandwidth of the modulated signal measured relative to the maximum level of the modulated carrier;
- (g) "maximum power spectral density" means the maximum power within the specified measurement bandwidth, within the device operating band; measurements in the 5 725-5 875 MHz band are made over a bandwidth of 500 kHz; measurements in the 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz, and 5 470-5 725 MHz bands are made over a bandwidth of 1 MHz or 26 dB emission bandwidth of the device, whichever is less;
- (h) "maximum conducted output power" means the sum of the transmit power delivered to all antennas and antenna elements averaged across all symbols in the signaling alphabet when the transmitter is operating at its maximum power level; if multiple modes of operation are possible (e.g., alternative modulation methods), the maximum conducted output power is the highest total transmit power occurring in any mode;
- (i) "power spectral density" means the power spectral density is the total energy output per unit bandwidth from a pulse or sequence of pulses for which the transmit power is at its maximum level, divided by the total duration of the pulses and the total time does not include the time between pulses during which the transmit power is off or below its maximum level;
- (j) "transmit power control" means a feature that enables a device to dynamically switch between several transmission power levels in the data transmission process;

- (k) "device" means the intentional radiators operating in the frequency bands 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz, 5 470-5 725 MHz and 5 725-5 875 MHz that use wideband digital modulation techniques and provide a wide array of high data rate in mobile and fixed communications for individuals, businesses, and institutions;
- (1) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the "Act" and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), shall have the same meanings respectively as assigned to them in those Acts.
- **3. Exemption.** No licence shall be required under indoor and outdoor environment to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of low power wireless access systems, including radio local area networks operating in the frequency band 5 150-5 250 MHz; 5 250-5 350 MHz; 5 470-5 725 MHz; and 5 725-5 875 MHz and complying with the following technical parameters; namely:-
 - (i) in the band 5 150-5 250 MHz, for access points operating with transmitting antennas of antenna gain of 6 dBi and less, the maximum conducted output power over the frequency band of operation shall not exceed 30 dBm (1 Watt) and; the maximum power spectral density shall not exceed 17 dBm (50 mW) in any 1 MHz band. If transmitting antennas of directional gain greater than 6 dBi are used, the maximum conducted output power and the maximum power spectral density shall be reduced by the amount in dB that the antenna gain exceeds 6 dBi. When used for outdoor access point applications, the maximum e.i.r.p. at any elevation angle above 30 degrees as measured from the horizontal direction shall not exceed 21 dBm (125 mW);
 - (ii) fixed point-to-point access points operating in the frequency band 5 150-5 250 MHz may employ antennas with directional gain up to 23 dBi and use the maximum conducted output power and maximum power spectral density as indicated at sub-paragraph (i) above. With access points'/ devices' directional antenna gain higher than of 23 dBi, maximum conducted output power and maximum power spectral density shall be reduced by the amount in dB that the antenna gain exceeds 23 dBi; point-to-multipoint systems, omni directional applications, and multiple collocated transmitters transmitting the same information shall not be considered as point-to-point systems for the purpose of these rules;
 - (iii) for mobile and portable client devices in the 5 150-5 250 MHz band, the maximum conducted output power over the frequency band of operation shall not exceed 250 mW provided the maximum antenna gain does not exceed 6 dBi and in addition, the maximum power spectral density shall not exceed 11 dBm in any 1 MHz band; if transmitting antennas of directional gain greater than 6 dBi are used, both the maximum conducted output power and the maximum power spectral density shall be reduced by the amount in dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dBi;
 - (iv) in the frequency bands $5\,250 5\,350$ MHz and $5\,470$ $5\,725$ MHz for access points operating with transmitting antennas of antenna gain 6 dBi and less, the maximum conducted output power over the frequency band of operation shall not exceed 24 dBm (250 mW) or 11dBm + 10 log B, whichever is less, where 'B' is the emission bandwidth in MHz. In addition, the maximum power spectral density shall not exceed 11dBm in any $1\,MHz$ band.

If transmitting antennas of directional gain greater than 6 dBi are used, the maximum conducted output power and the maximum power spectral density shall be reduced by the amount in dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dBi.

The use of appropriate interference mitigation technique dynamic frequency selection and or transmit power control shall be mandatory. Transmit power control mechanism may not be required for systems with an e.i.r.p. of less than 500 mW.

(v) in the band 5 725-5 875 MHz, the minimum 6 dB bandwidth of the devices shall be at least 500 kHz and with transmitting antennas of antenna gain 6 dBi and less, the maximum conducted output power over the frequency band of operation shall not exceed 30 dBm (1 W).

In addition, the maximum power spectral density shall not exceed 30 dBm in any 500 kHz band. If the transmitting antennas of directional gain greater than 6 dBi are used, both the maximum conducted output power and the maximum power spectral density shall be reduced by the amount in dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dBi;

(vi) Fixed point-to-point access points operating in the 5 725-5 875 MHz band may employ antennas with directional gain up to 23 dBi and use the maximum conducted output power and maximum power spectral density as indicated at sub-paragraph (iv) above. With access point devices directional antenna gain higher than of 23 dBi, maximum conducted output power and maximum power spectral density shall be reduced by the amount in dB that the antenna gain exceeds 23 dBi.

Point-to-multipoint systems, omni directional applications, and multiple collocated transmitters transmitting the same information shall not be considered as point-to-point systems for the purpose of these rules.

- **4. Out of band emission Limits.—** For transmitters operating in the frequency bands 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz and 5 470-5 725 MHz, all emissions outside of the bands shall not exceed an e.i.r.p. of -27 dBm/MHz and for transmitters operating in 5 725-5 875 MHz, all emissions within the frequency range from the band edge to 10 MHz above or below the band edge shall not exceed an e.i.r.p. of -17 dBm/MHz; for frequencies 10 MHz or greater above or below the band edge, emission shall not exceed an e.i.r.p. of -27 dBm/MHz.
- **5. Requirement for operators.** Before deploying an aggregate total of more than one thousand outdoor access points in the 5 150-5 250 MHz band, operators shall submit a undertaking to WPC Wing acknowledging that, in case of occurrence of harmful interference to licensed services in this band, they will take corrective action, which may include reducing power, turning off devices, changing frequency bands, and further reducing power radiated in the vertical direction.
- **6. Interference.** (1) The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a license has been issued under the provisions of section 4 of the Act; and section 4 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 informs the Authority that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, then such authority shall call upon the user of such unlicensed wireless equipment to take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power and using special type of antennae, failing which such Authority shall recommend discontinuation of such wireless use.
- (2) The Authority shall give a reasonable opportunity to the user of wireless equipment before making recommendation of discontinuation of wireless use under sub-rule (1) above.
- **7. Equipment.—** (1) The wireless equipment shall be type approved and designed and constructed in such a manner that the bandwidth of emission and other parameters shall conform to the limits specified in rule 3 and 4 and the application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in the format given in Annexure.
- (2) The safety related requirements shall be as per the International or National standards such as ITU/ETSI/ANSI/BIS/ICNIRP for the respective devices and frequency bands.

[No. R-11014/03/2018-NT]

L. D. MEGHWAL, Dy. Wireless Adviser

ANNEXURE

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

[Refer sub-rule (1) of rule 7]

Section-A- Applicant

1. Name of manufacturing agency applying for equipment type approval

2. Postal Address of manufacturing Agency

3. Name and address of Indian agency applying for the type approval.

4. Name of product and the product Identification (model number etc.,)

Section- B- Details of Transmitter

Frequency range
 No. of preset switchable channels
 No. of voice /Data/ TV Channels
 (In case of multi- channel equipment)
 Tx-Rx channel separation
 (In case of Duplex/multi-channel equipment)
 Adjacent channel separation
 (In case of multi-channel equipment)

6. Frequency stability : 7. Spurious/ Harmonic radiations i. Carrier suppression (In case of carrier suppressed systems) ii. Unwanted side band suppression: (In case of SSB systems) iii. 2nd Harmonic radiations iv. 3rd Harmonic radiations 8. Max. Frequency Deviation 9. Mode of emission 10. Bandwidth of emission 11. Test Tone deviation 12. Base band frequency (In case of multi-channel equipment) 13. Type of modulation to be required 14. Pre-emphasis 15. Power output (At the input of antenna) 16. Any other information **Section-C- Details of Receivers** 1. Frequency range 2. Mode of reception 3. Spurious response of receiver 4. Sensitivity 5. Frequency stability 6. Effective noise temperature (b) Threshold input level 7. Intermediate frequency 8. De-emphasis 9. Selectivity 10. Any other particulars Signature of the applicant **Place Date**

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

5. Frequency stability

6. (a) Effective noise temperature :

(b) Threshold input level

7. Intermediate frequency :

8. De-emphasis :

9. Selectivity :

10. Any other particulars : Signature of the applicant

Place:

Date :

(**Note** : Separate application should be submitted for each type of equipment.)

अधिसूचना

नई दिल्ली 16 सितम्बर, 2015

सा.का.िन. 699(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लघु रेंज रडार प्रणाली के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2015 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **लागू होना**.—ये नियम 76 से 77 गीगाहर्टज आवृत्ति बैंड में लागू होंगे।
- 3. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, -
- (क) "प्राधिकारी" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ख) "प्रभावी विकिरण शक्ति" के अंतर्गत एंटिना का गेन, यदि कोई हो, है;
- (ग) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके आनुक्रमिक रूप से उन अधिनियमों में दिए गए हैं।
- 4. **खूट**.—नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अधिकतम प्रभावी विकिरण शक्ति के साथ, अहस्तक्षेप, असंरक्षित और साझा (गैर विशेष) आधार पर, 76 से 77 गीगाहर्टज के आवृत्ति बैंड में लघु रेंज रडार प्रणाली के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति की युक्तियों या उपस्करों के उपयोग के प्रयोजन के लिए किसी बेतार उपस्कर को स्थापित करने, अनुरक्षित करने, कार्य करने, रखने या किसी बेतार उपस्करों से व्यवहार करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात् :--

सारणी

तकनीकी लक्षण

आवृत्ति बैंड	अधिकतम प्रभावी विकिरण शक्ति सीमाएं
(1)	(2)
76 से 77 गीगाहर्टज	5 वाट (37 डीबीएम)

परंतु यह और क जहां विमानवाहित युितओं या अनुप्रयोग के लिए इस बैंड का उपयोग अपेित है, वहां ये नियम लागू नह हंगे।

5. **शर्ते** - इस नियम के अधीन अनुद छूट नि लिखित शर्तों के अधीन ह गी, अर्थात् :--

(क) अवांछित ऊजा के कसी भाव या उत्सजन के कसी संयोजन, कसी रेडियो संचार णाली म कसी उत्सर्जन विकरण या अभिग्रहण पर उरण के सहयोजन, कसी आकर्षण, अपनिवचन या सूचनाओं क हानि से कट ऐसी अवांछित ऊजा क अनुपस्थिति म उद्धरण कया जा सकेगा, जहां कोई व्यि , जिसे भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) क धारा 4 और भारतीय बेतार तार यंि क अधिनियम, 1933 (1933 का 17) क धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञि जारी क गई है, ाधिकारी को यह सूचित करता है क उसक अनुज्ञि । णाली को इन नियम के अधीन छूट । कसी अय रेडिय संचार णाली से हानिकर व्यतिक्रम । हो रहा है, तो ऐसा ।धिकारी उपस्कर का स्थान प रवतन करके, उसक शि को कम करके, विशेष कार के एंटेना के उपयोग ।रा व्यतिक्रम से बचने के लिए आव यक कदम उठाने के लिए ऐसे गैर-अनुज्ञि । बेतार उपस्कर के उपयो । को अवसर देगा, जिसम असफल रहने पर ऐसे ।धिकारी ऐसे बेतार के उपयोग को रोकने क सिफा रश करगे :

परंतु यह क ऐसे रोके जाने से पूव, ऐसे ाधिकारी ारा बेतार उपस्कर के ऐसे गैर-अनुज्ञि ा उपयो ा को प रस्थितिय को स्प करने का युियु अवसर दान कया जाएगा ।

(ख) लघु रज रडार णाली के लिए ये अति नि शि रेडियो आवृि युियां या उपस्कर, उपस्कर के कस्म के रूप म ऐसी रीति से अनुमो दत और अभिकल्पित तथा संनिर्मित ह गे जो तकनीक ाचल नियम 4 म नि द सारणी म विनि द सीमाओं के अनुरूप ह:

परंतु यह क उपस्कर के कस्म का अनुमोदन । करने के लिए के ीय सरकार को इन नियम के उपाबंध म दए गए आवेदन के रूप म आवेदन कया जाएगा।

[सं. आर – 11014/17/2014-एनटी]

वीरेश गोयल, उप बेतार सलाहकार

उपाबंध

उपस्कर कार अनुमोदन के लिए आवेदन

भाग-क-आवेदक

- उपस्कर कार अनुमोदन के लिए आवेदन करने : वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम
- 2. विनिमाता का डाक पता :
- उत्पाद का नाम और उत्पाद पहचान (मॉडल सं. : आ द)

भाग-ख-पारेषक का वर्णन

- 1. आवृिरज :
- 2. सिट स्विचेबल चैनल क सं.
- वॉयस/डाटा/टीवी चैनल क सं.
 (मल्टीचैनल उपस्कर क दशा म)
- टीए स-आरए स चैनल पृथककरण
 (ड्प्लैक्स/मल्टीचैनल उपस्कर क दशा म)

5.	समीपवर्ती चैनल पृथककरण	:	
	(मल्टीचैनल उपस्कर क दशा म)		
6.	आवृि स्थायित्व	:	
7.	कूट/सन्नादी विकरण		
	i. कै रयर स [े] शन		
	(कै रयर स [ै] स्ड तंत्र क दशा म)		
	ii. आवांछित साइड बैंड स [ै] शन		
	(एसएसबी तंत्र क दशा म)		
	iii. ितीय सन्नादी विकरण	;	
	iv. तृतीय सन्नादी विकरण	;	
8.	अधिकतम आवृि विचलन		
9.	उत्सजन क रीति	:	
10.	उत्सजन क बैंडविड्थ	:	
11.	परी ण टोन विचलन	:	
12.	आधार बैंड आवृि		
	(मल्टीचैनल उपस्कर क दशा म)		
13.	अपेित मॉडयूलेशन का कार		
14.	पूव जोर	:	
15.	विद्युत आउटपुट	:	
	(एंटेना के इनपुट पर)		
16.	कोई अय जानकारी	:	
भाग-ग-	ापकों के विवरण		
1.	आवृि रज	:	
2.	ािक रीति		
3.	ािक कूट तिक्रया		
4.	संवेदनशीलता	:	
5.	आवृि स्थायित्व	:	
6.	(क) भावी ध्वनी तापमान		
	(ख) अवसीमा इनपुट स्तर		
7.	मध्यवर्ती आवृि	:	
8.	जोर मुि	:	
9.	चयनशीलता	:	
10.	कोई अ य विशिियां	:	
			आवेदक के हस्ता र
स्थान :			
तारीख	:		
(टप्पण	ः त्येक कार के उपस्कर के लिए पृथक आवेदन स्तुत	कए जाने चाहिए)	

(**टप्पणः** त्येक कार के उपस्कर के लिए पृथक आवेदन स्तुत कए जाने चाहिए)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2015

- **G.S.R. 699(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Short Range Radar Systems (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.**—These rules shall be applicable in the 76 to 77 GHz frequency band.
- **3. Definition.**—In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Authority" means the authority notified by the Central Government under sub-section (2) of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
 - (b) "Effective Radiated Power" includes the gain of the antenna, if any;
 - (c) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts;
- **Exemption.**—No licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of very low power Radio Frequency devices or equipments for short range radar systems in the 76 to 77 GHz frequency band on non-interference, non-protection and shared (non exclusive) basis, with the maximum Effective Radiated Power Limits as specified in the Table below, namely:—

TABLE
Technical characteristics

Frequency band	Maximum Effective Radiated Power Limits
(1)	(2)
76 to 77 GHz	5 W (37 dBm)

Provided that wherever specific service license is required from the Central Government, the provisions of these rules shall not apply.

Provided further that wherever the use of this band for airborne devices or applications is required, the provisions of these rules shall not apply.

- **5. Conditions.**—The exemptions granted under rule 4 shall be subject to the following conditions, namely:—
- (a) the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a license has been issued under the provisions of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and section 4 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) informs the authority that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, then such authority shall call upon the user of such unlicensed wireless equipment to take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power and using special type of antennae; failing which such authority shall recommend discontinuation of such wireless use:

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be given to such unlicensed user of wireless equipment by such authority.

(b) these very low power Radio Frequency devices or equipments for short range radar systems shall be of Equipment type approved and designed and constructed in such a manner so that the technical parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 4:

Provided that the application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in the application format given in Annexure to these rules.

[No. R-11014/17/2014-NT]

VIRESH GOEL, Dy. Wireless Adviser

Annexure

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

Section-A- Applicant 1. Name of manufacturing agency applying for equipment type approval 2. Postal Address of manufacturing Agency 3. Name of Product and the Product Identification (model number etc.) **Section- B- Details of Transmitter** 1. Frequency range 2. No. of preset switchable channels 3. No. of voice /Data/ TV Channels (In case of multi- channel equipment) 4. Tx-Rx channel separation (In case of Duplex/multi-channel equipment) Adjacent channel separation 5. (In case of multi-channel equipment) 6. Frequency stability 7. Spurious/ Harmonic radiations (i) Carrier suppression (In case of carrier suppressed systems) (ii) Unwanted side band suppression (In case of SSB systems) (iii) 2nd Harmonic radiations (iv) 3rd Harmonic radiations 8. Max. Frequency Deviation 9. Mode of Emission 10. Bandwidth of Emission 11. **Test Tone Deviation** 12. Base band frequency (In case of multi channel equipment) 13. Type of modulation to be required

14.

Pre-emphasis

15. Power output (At the input of antenna) 16. Any other information **Section-C- Details of Receivers** 1. Frequency range 2. Mode of reception 3. Spurious response of receiver 4. Sensitivity 5. Frequency stability 6. (a) Effective noise temperature (b) Threshold input level 7. Intermediate frequency 8. De-emphasis 9. Selectivity 10. Any other particulars

Signature of the applicant

Place : Date :

(Note: Separate application should be submitted for each type of equipment.)



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 752] No. 752] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 18, 2018/आश्विन 26, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 2018/ASVINA 26, 1940

संचार मंत्रालय

(बेतार योजना एवं समन्वय स्कन्ध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि.1046(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निम्न शक्ति और अति निम्न शक्ति अल्ट्रा-वाइडबैंड युक्तियां रेडियो आवृति युक्तियों का उपयोग (अनुज्ञापन की अपेक्षा से छूट) नियम, 2018 है ।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अपेक्षित न हो, --
- (क) "अधिनियम" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकारी" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ग) "अल्ट्रा-वाइडबैंड युक्तियां या उपस्कर" से अभिप्रेत कम से कम 50 मेगाहेर्टज़ की वैंड्विड्थ वाले कम रेंज के उपकरण हैं ;

6152 GI/2018 (1)

- (घ) "ईएन": ईएन यूरोपियन दूरसंचार मानक संस्था (ईटीएसआई) द्वारा यथा प्रस्तुत सामंजस्यपूर्ण यूरोपियन मानक के लिए एक संख्या और संक्षेपाक्षर है ;
- (ड.) "प्रभावी विकिरण शक्ति (दी गई दिशा में) या ईरपी" से अभिप्रेत है, दी गई दिशा में एंटीना को भेजी गई शक्ति और 'हाफ-वेब ध्रुव एंटेना' के सापेक्ष इसके सिग्नल में बढ़ोतरी का गुणांक ;
- (च) "समतुल्य समस्थानिक विकिरण शक्ति" या ईआईआरपी से अभिप्रेत है, एंटीना के सबसे मजबूत किरणपुंज की दिशा में वास्तविक स्त्रोत के रूप में वही सिग्नल सामर्थ्य देने की कुल शक्ति जिसे एक कल्पित समस्थानिक एंटीना द्वारा विकिरणत किया जाना है ;
- (छ) 'शक्ति सघनता' से अभिप्रेत है, स्पंद या स्पंदों के अनुक्रम से प्रति इकाई वैंड्विड्थ निर्गम की कुल उर्जा, जिसके लिए संप्रेषित शक्ति अपने अधिकतम स्तर पर है, स्पंदों की कुल अवधि से विभाजित है ;
- (ज) "अधिकतम औसत शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता" अधिकतम स्तर की दिशा में प्रसारित आवृति पर केंद्रित प्रति यूनिट वैंड्विड्थ पर औसत शक्ति सहित किसी विशेष आवृति पर परीक्षणाधीन किसी रेडियो युक्ति की अधिकतम औसत ईआईआरपी से है ;
- (झ) "कुल प्रसारित शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता" से अभिप्रेत है, प्रत्येक मापन बिंदु के बीच कम से कम 15 डिग्री के अनुनाद के साथ सुसंगत मानक 302 435-1 (8) के भीतर समाहित मापन परिद्श्य के आसपास किसी स्फीयर पर मापित औसत शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता से है ;
- (झ-1) "अधिकतम शक्ति आवृति" से अभिप्रेत है, जिस पर उच्चतम औसत प्रसारण शक्ति उत्पन्न होती है और जो 50 मेगाहर्ट्ज वैंड्विड्थ के भीतर निहित अधिकतम स्तर की दिशा में प्रसारित अधिकतम ईआईआरपी होती है ;
- (ट) "ड्यूटी चक्र" से एक संप्रेक्षक अंतराल Tobs के भीतर संप्रेक्षण Ton_cum की संचयी अवधि के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त अनुपात अभिप्रेत है;

ड्यूटी चक्र DC =(<u>Ton cum)</u> संप्रेक्षण वैंड्विड्थ Fobs पर;

Tobs

- (ठ) "इंडोर" से अभिप्रेत है, भवन या स्थान के अंदर जहां का परिरक्षण वायरलेस टेलीग्राफी को सुरक्षित करने के लिए अनुचित अंतरावरोधन को अनिवार्य रूप से कम कर देगा ;
- (ड) "बाहय सीमा" क्षैतिज स्तर पर अधिक कोण पर किसी वाहन के बाहर उत्सर्जन के मापन के लिए अधिकतम औसत शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता है ;
- (ढ) "क्षैतिज स्तह" से अभिप्रेत है -20डिग्री से 30 डिग्री के उन्नयन के सहभात्रा वाले क्षैतिज स्तह है

- (ण) "व्यतिकरण" से किसी निष्पादन अवक्रमण, अनिर्वचन या सूचना की क्षिति जो अवांछित उर्जा की अनुपस्थिति में प्राप्त किया जा सकता है द्वारा प्रदर्शित किसी रेडियो संचार प्रणाली में प्राप्त एक या एक से अधिक उत्सर्जन, प्रसारण या प्रवर्तन के सहयोग के कारण अवांछित उर्जा के प्रभाव के अभिप्रेत है ;
- (त) "जेनेरिक अल्ट्रा-वाइडबैंड युक्ति" से निजी कंपयूटरों, हैंडहैल्ड टर्मिनलों, केबल मॉडमों, सेट टाप बाक्सों, इंडोर अभिगम प्वाइंटों आदि जैसे संचार अनुप्रयोगों के लिए अल्ट्रा-वाइडबैंड प्रोद्योगिकी का उपयोग करने वाले उपकरण हैं ;
- (थ) "लोकेशन ट्रैकिंग प्रणाली" से लोगों या वस्तुओं की अवस्थिति बताने के लिए बनी प्रणाली अभिप्रेत है;
- (द) "सामग्री संवेदी युक्ति" से किसी सरंचना के भीतर की वस्तुओं की अवस्थिति का पता लगाने या किसी सामग्री के भौतिक गुणों का निर्धारण करने के लिए अभिकल्पित रेडियो निर्धारण उपकरण अभिप्रेत है ;
- (ध) "भवन सामग्री विशलेषण युक्ति" से किसी भवन सरंचना के भीतर वस्तुओं की लोकेशन का पता लगाने या किसी भवन सामग्री के भौतिक गुणों का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त सामग्री संवेदी युक्ति अभिप्रेत है;
- (न) "समतुल्य पारेषण स्तर" से आवृति पर केंद्रित 50 मेगाहर्ट्ज के अलावा किसी वैंड्विड्थ के भीतर निहित पारेषण के अधिकतम स्तर से है जिस पर उच्चतम औसत प्रसारण शक्ति उत्पन्न होती है और जो 20 लॉग (50/x) डीबी के गुणांक द्वारा मापित संगत अधिकतम शीर्ष ईआईआरपी है जहां x मेगाहर्ट्ज में व्यक्त वैंड्विड्थ अभिप्रेत है;
- (प) "कुल शक्ति नियंत्रण" से सफल संचार के लिए आवश्यक शक्ति की मात्रा को कम करने के तंत्र अभिप्रेत है ;
- (फ) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु भारतीय बेतार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है ।
- 3. **छूट.** किसी व्यक्ति को बहुत कम शक्ति की "शक्ति अल्ट्रा वाइडबैंड युक्तियां या बेतार उपस्कर" का आवर्ती बैंड में, गैर-हस्तक्षेप, गैर-संरक्षण और शेयर्ड और गैर-विशिष्ट आधार पर समतुल्य आइसोट्रोपिक रेडियेटेड शक्ति या प्रभावी रेडियेटेड शक्ति, 50 मेगाहर्ट्ज में परिभाषित अधिकतम अधिकतम औसत शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता, अधिकतम शीर्ष शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता, अधिकतम शीर्ष शक्ति, जो सारणी 1 से 5 में अंतर्विष्ट तकनीकी विशिष्टि का अनुपालन करती है, के प्रयोजन के लिए किसी बेतार उपस्कर की स्थापना करने, अनुरक्षण करने, कार्य करने, कब्जे में लेने या उससे व्यवहार करने के लिए किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी, अर्थातु :--

टिप्पण: सारणी 1 से सारणी 5 में दर्शित उत्सर्जन आवरण तारीख 7 अक्तूबर, 2014 के यूरोपीयन यूनियन विनिश्चय 2014/702/ईयू पर आधारित है।

सारणी – 1 जेनेरिक अल्ट्रा-वाइडबैंड युक्ति उपयोग

	जगारम जर्द्रा-चाइंडवंड द्वारा उनवाग					
क्रम सं.	आवर्ती रेंज	अधिकतम औसत शक्ति	अधिकतम शीर्ष शक्ति			
	(गीगाहर्ट्ज में)	(ईआईआरपी) स्पेक्ट्रल सघनता	(ईआईआरपी)			
			(50 मेगाहर्ट्ज में परिभाषित)			
(1)	(2)	(3)	(4)			
1.	f≤1.6	-90 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-50 डीबीएम			
2.	1.6 <f≤2.7< th=""><th>-85 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</th><th>-45 डीबीएम</th></f≤2.7<>	-85 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-45 डीबीएम			
3.	2.7 <f≤3.1< th=""><th>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</th><th>-36 डीबीएम</th></f≤3.1<>	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-36 डीबीएम			
4.	3.1 <f≤3.4< th=""><th>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</th><th>-36 डीबीएम</th></f≤3.4<>	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-36 डीबीएम			
		या	या			
		-41.3 डीबीएम/मेगाहट्र्ज	0 डीबीएम			
		(एलडीसी ⁽¹⁾ या डीएए ⁽²⁾ में प्रयुक्त)				
5.	3.4 <f≤3.8< th=""><th>-80 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</th><th>-40 डीबीएम</th></f≤3.8<>	-80 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-40 डीबीएम			
		या	या			
		-41.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	0 डीबीएम			
		(एलडीसी ⁽¹⁾ या डीएए ⁽²⁾ में प्रयुक्त)				
6.	3.8 <f≤4.8< th=""><th>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</th><th>-30 डीबीएम</th></f≤4.8<>	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-30 डीबीएम			
		या	या			
		-41.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	0 डीबीएम			
		(एलडीसी(¹) या डीएए(²) में प्रयुक्त)				
7.	4.8 <f≤6< th=""><th>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</th><th>-30 डीबीएम</th></f≤6<>	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-30 डीबीएम			
8.	6 <f≤8.5< th=""><th>-41.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</th><th>0 डीबीएम</th></f≤8.5<>	-41.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	0 डीबीएम			
9.	8.5 <f≤9< th=""><th>-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</th><th>-25 डीबीएम</th></f≤9<>	-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-25 डीबीएम			
		या	या			
		-41.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	0 डीबीएम			
		(डीएए ⁽²⁾ में प्रयुक्त)				
10.	9 <f≤10.6< th=""><th>-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</th><th>-25 डीबीएम</th></f≤10.6<>	-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-25 डीबीएम			
11.	f>10.6	-85 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-45 डीबीएम			

⁽¹) 3.1 गीगाहर्ट्ज से 4.8 गीगाहर्ट्ज के भीतर। ईटीएसआई मानक ईएन 302 065-1 में कम ड्यूटि चक्र के न्यूनीकरण की तकनीक और इसकी सीमा को परिभाषित किया गया है।

⁽²) 3.1 गीगाहर्ट्ज से 4.8 गीगाहर्ट्ज और 8.5 गीगाहर्ट्ज से 9 गीगाहर्ट्ज वैंड के भीतर। ईटीएसआई मानक ईएन 302 065-1 में पता लगाने और छोड़ देने की न्यूनीकरण की तकनीक और इसकी सीमा को परिभाषित किया गया है।

सारणी – 2 लोकशन ट्रैकिंग प्रणाली

क्रम सं.	आवर्ती रेंज	अधिकतम औसत शक्ति	अधिकतम शीर्ष शक्ति
	(गीगाहर्ज में)	(ईआईआरपी) स्पेक्ट्रल सघनता	(ईआईआरपी)
			(50 मेगाहर्ट्ज में परिभाषित)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	f≤1.6	-90 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-50 डीबीएम
2.	1.6 <f≤2.7< td=""><td>-85 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-45 डीबीएम</td></f≤2.7<>	-85 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-45 डीबीएम
3.	2.7 <f≤3.4< td=""><td>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-36 डीबीएम</td></f≤3.4<>	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-36 डीबीएम
4.	3.4 <f≤3.8< td=""><td>-80 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-40 डीबीएम</td></f≤3.8<>	-80 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-40 डीबीएम
5.	3.8 <f≤6.0< td=""><td>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-30 डीबीएम</td></f≤6.0<>	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-30 डीबीएम
6.	6 <f≤8.5< td=""><td>-41.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>0 डीबीएम</td></f≤8.5<>	-41.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	0 डीबीएम
7.	8.5 <f≤9< td=""><td>-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-25 डीबीएम</td></f≤9<>	-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-25 डीबीएम
		या	या
		-41.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	0 डीबीएम
		(डीएए ⁽¹⁾ में प्रयुक्त)	
8.	9 <f≤10.6< td=""><td>-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-25 डीबीएम</td></f≤10.6<>	-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-25 डीबीएम
9.	f>10.6	-85 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-45 डीबीएम

⁽¹) ईटीएसआई मानक ईएन 302 065-2 में पता लगाने और छोड़ देने की न्यूनीकरण की तकनीक और इसकी सीमा को परिभाषित किया गया है।

सारणी – 3 सड़कों और रेल वाहनों पर संस्थापित अल्ट्रा-वाइडबैंड युक्ति

क्रम सं.	आवर्ती रेंज	अधिकतम औसत शक्ति	अधिकतम शीर्ष शक्ति
	(गीगाहर्ज में)	(ईआईआरपी) स्पेक्ट्रल सघनता	(ईआईआरपी)
			(50 मेगाहर्ट्ज में परिभाषित)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	f≤1.6	-90 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-50 डीबीएम
2.	1.6 <f≤2.7< th=""><th>-85 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</th><th>-45 डीबीएम</th></f≤2.7<>	-85 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-45 डीबीएम
3.	2.7 <f≤3.1< th=""><th>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</th><th>-36 डीबीएम</th></f≤3.1<>	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-36 डीबीएम
4.	3.1 <f≤3.4< th=""><th>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</th><th>-36 डीबीएम</th></f≤3.4<>	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-36 डीबीएम
		या	या
		-41.3 डीबीएम/म ाहर्ट्ज	≤ 0 डीबीएम
		(एलडीसी ⁽¹⁾ +ई.एल ⁽⁴⁾ में प्रयुक्त)	
		या	
		-41.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	या
		(टीपीसी ⁽³⁾ + डीएए ⁽²⁾ + ई.एल ⁽⁴⁾ में	≤ 0 डीबीएम

	1	\	
		प्रयुक्त)	
5.	3.4 <f≤3.8< th=""><th>-80 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</th><th>-40 डीबीएम</th></f≤3.8<>	-80 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-40 डीबीएम
		या	या
		-41.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	≤ 0 डीबीएम
		(एलडीसी(1) +ई.एल(4) में प्रयुक्त)	
		या	
		-41.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	 या
		(टीपीसी $^{(3)}$ + डीएए $^{(2)}$ + ई.एल $^{(4)}$ में	, ≤ 0 डीबीएम
		प्रयुक्त)	
6.	3.8 <f≤4.8< th=""><th>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</th><th>-30 डीबीएम</th></f≤4.8<>	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-30 डीबीएम
		या	या
		-41.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	≤ 0 डीबीएम
		(एलडीसी ⁽¹⁾ +ई.एल ⁽⁴⁾ में प्रयुक्त)	
		या	
		-41.3 डीबीएएम/मेगाहर्ट्ज	 या
		(टीपीसी ⁽³⁾ + डीएए ⁽²⁾ + ई.एल ⁽⁴⁾ में	वा ≤ 0 डीबीएम
		प्रयुक्त)	। <u>५ ७ अप</u> न्त
7.	4.8 <f≤6< th=""><th>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</th><th>-30 डीबीएम</th></f≤6<>	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-30 डीबीएम
8.	6 <f≤8.5< th=""><th>-53.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</th><th>-13.3 डीबीएम</th></f≤8.5<>	-53.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-13.3 डीबीएम
0.	0 120.0	या	<i>,</i> या
		-41.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	≤ 0 डीबीएम
		(एलडीसी ⁽¹⁾ +ई एल ⁽⁴⁾ में प्रयुक्त)	,
		्या या	
		-41.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	या
		(टीपीसी ⁽³⁾ + ई.एल ⁽⁴⁾ में प्रयुक्त)	व। ≤ 0 डीबीएम
9.	0.5.450	-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-25 डीबीएम
9.	8.5 <f≤9< th=""><th>या</th><th> या</th></f≤9<>	या	या
		्या -41.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	। प । 0 डीबीएम
		(टीपीसी ⁽³⁾ + डीएए ⁽²⁾ + ई.एल ⁽⁴⁾ में	0 3141311
		प्रयुक्त)	
40	0.4540.0	-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	 -25 डीबीएम
10.	9 <f≤10.6< th=""><th>, , ,</th><th>,</th></f≤10.6<>	, , ,	,
11.	f>10.6	-85 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-45 डीबीएम

- (¹) ईटीएसआई मानक ईएन 302 065-3 में कम ड्यूटि चक्र के न्यूनीकरण की तकनीक और इसकी सीमा को परिभाषित किया गया है ।
- (²) ईटीएसआई मानक ईएन 302 065-3 में पता लगाने और छोड़ देने की न्यूनीकरण की तकनीक और इसकी सीमा को परिभाषित किया गया है ।
- (³) ईटीएसआई मानक ईएन 302 065-3 में पारेषण उर्जा नियंत्रण (टीपीसी) की न्यूनीकरण की तकनीक और इसकी सीमा को परिभाषित किया गया है।
- (⁴) ईटीएसआई मानक ईएन 302 065-3 में बाहय सीमा (ई.एल) ≤ -53.3 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज को परिभाषित किया गया है ।

सारणी - 4 अल्ट्रा-वाइडबैंड प्रौद्योगिकी आधारित सामग्री संवेदी उपकरण

क्र. स.	आवर्ती रेंज	संस्थापित उपकरण(अनुप्रयोग	संस्थापित उपकरण(अनुप्रयोग क)	
	(गीगाहर्ट्ज में)	अधिकतम औसत शक्ति (ईआईआरपी) स्पेक्ट्रल सघनता	(-20 डिग्री से 30 डिग्री क्षैतिज सतह) अधिकतम औसत शक्ति (ईआईआरपी) स्पेक्ट्रल सघनता	- उपकरण(अनुप्रयोग ख) (ईआईआरपी)
1.	f≤1.73	-85 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज		-85 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज
2.	1.73 <f≤ 2.2<="" td=""><td>-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td></f≤>	-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज
3.	2.2 <f≤ 2.5<="" td=""><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td></td><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td></f≤>	-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज		-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज
4.	2.5 <f≤ 2.69<="" td=""><td>-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-65डीबीएम/मेगाहर्ट्ज^{(1) (2)}</td></f≤>	-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-65डीबीएम/मेगाहर्ट्ज ^{(1) (2)}
5.	2.69 <f≤ 2.7<="" td=""><td>-55 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-75 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज⁽³⁾</td></f≤>	-55 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-75 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज ⁽³⁾
6.	2.7 <f≤ 2.9<="" td=""><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td></f≤>	-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज
7.	2.9 <f≤ 3.4<="" td=""><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज⁽¹⁾</td></f≤>	-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज ⁽¹⁾
8.	3.4 <f≤ 3.8<="" td=""><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज⁽²⁾⁽³⁾</td></f≤>	-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज ⁽²⁾⁽³⁾
9.	3.8 <f≤ 4.8<="" td=""><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td></td><td>-50डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td></f≤>	-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज		-50डीबीएम/मेगाहर्ट्ज
10.	4.8 <f≤ 5<="" td=""><td>-55 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-75 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-55 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज⁽²⁾⁽³⁾</td></f≤>	-55 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-75 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-55 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज ⁽²⁾⁽³⁾
11.	5 <f≤ 5.25<="" td=""><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td></td><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td></f≤>	-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज		-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज
12.	5.25 <f≤ 5.35<="" td=""><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-60 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-60 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td></f≤>	-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-60 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-60 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज
13.	5.35 <f≤ 5.6<="" td=""><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>I</td><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td></f≤>	-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	I	-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज
14.	5.6 <f≤ 5.65<="" td=""><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td></f≤>	-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज
15.	5.65 <f≤5.725< td=""><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-60 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-60 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td></f≤5.725<>	-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-60 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-60 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज
16.	5.725 <f≤8.5< td=""><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>1</td><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td></f≤8.5<>	-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	1	-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज
17.	8.5 <f≤ 10.6<="" td=""><td>-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td></td><td>-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td></f≤>	-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज		-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज
18.	f>10.6	-85 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज		-85 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज

⁵⁰ मेगाहर्ट्ज बैडविडथ में मापी गई पीक पावर (डीबीएम) में 'अधिकतम औसत शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता (डीबीएम/मेगाहर्ट्ज में) सीमा परिवर्तन गुणांक (25 डीबी) जोड़कर प्राप्त सीमा से कम होगी।

⁽¹⁾ सुसंगत मानक ईएन 302 498-2 में यथा-वर्णित लिसन बिफोर टॉक (एलबीटी) यांत्रिकी पर आधारित उपकरण -50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज वाले अधिकतम औसत पावर स्पेक्ट्रल घनत्व के साथ 2.5 से 2.69 गीगाहर्ट्ज और 2.9 से 3.4 गीगाहर्ट्ज

आवृति रेंज में संचालन हेतु अनुज्ञेय है।

- (2) रेडियो सेवाओं को संरक्षित रखने के लिए गैर-संस्थापित उपकरणों (अनुप्रयोग ख) से निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति आवश्यक है।
- (क) आवर्ती रेंज 2.5 से 2.69 गीगाहर्ट्ज और 4.8 से 5 गीगाहर्ट्ज में कुल विकिरणित पावर स्पेक्ट्रल घनत्व अधिकतम औसत पावर स्पेक्ट्रल घनत्व 10 डेसीबल कम होना चाहिए;
- (ख) आवर्ती रेंज 3.4 से 3.8 गीगाहर्ट्ज में कुल विकिरणित पावर स्पेक्ट्रल घनत्व अधिकतम औसत पावर स्पेक्ट्रल घनत्व से 5 डेसीबल कम होना चाहिए।
- ⁽³⁾ डयूटी साइिकल की सीमा 10% प्रति सैकेंड।

टिप्पण : इस सारणी के प्रयोजन के लिए इस श्रेणी के अंतर्गत अनुमत सामग्री संवेदी उपकरणों से निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति होगी, अर्थात :-

- स्थायी अधिष्ठापन (अनुप्रयोग-क)

- यदि मशीन कार्य नहीं कर रही है तो 'रिनंग सैंसर' से ट्रांसमीटर स्विच ऑफ होना है;
- लक्ष्य/वस्तु का विभेदन एवं विशेषीकरण {आबजेक्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड क्रेकट्राइजेशन (ओडीसी)} के प्रयोगों के लिए सामंजस्यकृत मानक ईएन 302 498-2 में यथा-वर्णित ट्रांसमीटर 10 डीबी डायनिमक रेंज के साथ टीपीसी को कार्यान्वित करेगा;
- ट्रांसमीटर को स्थायी अधिष्ठापन के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

- गैर-स्थायी अधिष्ठापन (अनुप्रयोग ख)

- नान-लॉकिंग स्विच के साथ केवल स्वंय संचालित करने पर ही ट्रांसमीटर ऑन होगा, जोकि चालक की हाथ की उपिस्थित को दर्शाने के लिए सेंसर हो सकता है, के साथ जांची गई सामग्री के संपर्क में या बहुत नजदीक होगा तथा उत्सर्जन वस्त् की दिशा में रहा होगा। (यथा-नजदीक के सेंसर द्वारा मापित या मशीनी डिजाइन द्वारा लगाना);
- के साथ जांची गई सामग्री के संपर्क में या बहुत नजदीक होगा तथा उत्सर्जन वस्तु की दिशा में रहा होगा;
- यदि मशीन कार्य नहीं कर रही है तो 'रिनंग सैंसर' से ट्रांसमीटर स्विच ऑफ होना है;
- इस श्रेणी के अंतर्गत अनुमत सामग्री संवेदी उपकरणों से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को न्यूनतम रखा जाएगा और नीचे दी गई सारणी में दी गई ईआरआरपी सघनता सीमा से किसी भी कीमत पर अधिक नहीं होगा। गैर-स्थायी अधिष्ठापन (अनुप्रयोग ख) के लिए निम्नलिखित सारणी में दी गई सीमाओं का अनुपालन जांची गई सामग्री के प्रतिरूप सरंचना संबंधी उपकरण के साथ सुनिश्चित किया जाए (यथा ईटीएसआई ईएन 302 435-1 या ईटीएसआई ईएन 302 498-1 में परिभाषित प्रदर्शक वॉल)।

सारणी – 5 निर्माण सामग्री विशलेषण संबंधी उपकरण

क्र. स.	आवर्ती रेंज (गीगाहर्ट्ज में)	अधिकतम औसत शक्ति (ईआईआरपी) स्पेक्ट्रल सघनता	अधिकतम शीर्ष शक्ति(ईआईआरपी) (50
	((2)		मेगाहर्ट्ज में परिभाषित)
1.	f≤1.73	-85 डीबीएम/मेगाहर्र्ज ⁽¹⁾	-45 डीबीएम
2.	1.73 <f≤2.2< td=""><td>-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-25 डीबीएम</td></f≤2.2<>	-65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-25 डीबीएम
3.	2.2 <f≤ 2.5<="" td=""><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-10 डीबीएम</td></f≤>	-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-10 डीबीएम
4.	2.5 <f≤2.69< td=""><td>-65 डीबीएम/मेगाहर्ज्⁽¹⁾</td><td>-25 डीबीएम</td></f≤2.69<>	-65 डीबीएम/मेगाहर्ज् ⁽¹⁾	-25 डीबीएम
5.	2.69 <f≤2.7< td=""><td>-55 डीबीएम/मेगाहर्र्ज⁽²⁾</td><td>-15 डीबीएम</td></f≤2.7<>	-55 डीबीएम/मेगाहर्र्ज ⁽²⁾	-15 डीबीएम
6.	2.7 <f≤3.4< td=""><td>-70 डीबीएम/मेगाहर्र्ज⁽¹⁾</td><td>-30 डीबीएम</td></f≤3.4<>	-70 डीबीएम/मेगाहर्र्ज ⁽¹⁾	-30 डीबीएम
7.	3.4 <f≤ 4.8<="" td=""><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-10 डीबीएम</td></f≤>	-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-10 डीबीएम
8.	4.8 <f≤ 5<="" td=""><td>-55 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज⁽²⁾</td><td>-15 डीबीएम</td></f≤>	-55 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज ⁽²⁾	-15 डीबीएम
9.	5 <f≤8.5< td=""><td>-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज</td><td>-10 डीबीएम</td></f≤8.5<>	-50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-10 डीबीएम
10.	f>8.5	-85 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज	-45 डीबीएम

(¹) सामंजस्यकृत मानक ईएन 302 435-1 में यथा-वर्णित लिसन बिफोर टॉक (एलबीटी) यंत्र आधारित उपकरण -50 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज वाले अधिकतम औसत शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता के साथ 2.5 से 2.69 गीगाहर्ट्ज और 2.9 से 3.4 गीगाहर्ट्ज आवृति रेंज में -70 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज के अधिकतम औसत शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता के साथ 1.215 से 1.73 गीगाहर्ट्ज आवृति रेंज में संचालन हेतु अनुमत है।

(2) रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेवा (आर ए एस) बैंड 2.69 से 2.7 गीगाहर्ट्ज और 4.8 से 5 गीगाहर्ट्ज को सरंक्षित रखने के लिए कुल विकिरणित शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता -65 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज से कम होना चाहिए।

टिप्पण 1: इस सारणी के प्रयोजन के लिए इस श्रेणी के अंतर्गत निर्माण सामग्री विशलेषण युक्ति हेतु निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति होगी।

- (क) ट्रांसमीटर ऑन तब ही ही होगा, जब नान-लॉकिंग स्विच को संचालित करने के साथ जांची गई सामग्री के संपर्क में या बहुत नजदीक होगा तथा उत्सर्जन वस्तु की दिशा में रहा होगा;
- (ख) बीएमए ट्रांसमीटर अधिकतम 10 सेकेंड के बाद बिना किसी हलचल के स्विच ऑफ होगा;
- (ग) कुल विकिरणित शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता नीचे दी गई सारणी के अनुसार अधिकतम औसत शक्ति स्पेक्ट्रल सघनता सीमा से 5 डीबी कम होना चाहिए।

- टिप्पण 2: बीएमए उपकरणों से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को न्यूनतम रखा जाएगा और किसी भी हाल में ईटीएसआई मानक ईएन 302 435-1 एवं ईएन 302 498-2 के तहत परिभाषित प्रतिरूप वॉल पर बीएमए उपकरण के साथ सारणी में दी गई अधिकतम सीमाओं से अधिक नहीं जाने दिया जाएगा।
- 4. व्यतिकरण.— (1) अवांछित ऊर्जा के किसी प्रभाव या उत्सर्जन के किसी संयोजन, किसी रेडियो संचार प्रणाली में किसी उत्सर्जन विकरण या अभिग्रहण पर उत्प्रेरण के सहयोजन, किसी आकर्षण, उपनिर्वचन या सूचनाओं की हानि से प्रकट ऐसी अवांछित ऊर्जा की अनुपस्थिति में उद्धरण किया जा सकेगा, जहां कोई व्यक्ति, जिसे अधिनियम, की धारा 4 और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है, प्राधिकारी को यह सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रणाली को इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियों संचार प्रणाली से हानिकर व्यतिक्रम प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा प्राधिकारी उपस्कर का स्थान परिवर्तन करके, उसकी शक्ति को कम करके, विशेष प्रकार के एंटेना के उपयोग द्वारा व्यतिक्रम से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए ऐसे गैर-अनुज्ञप्ति प्राप्त बेतार उपस्कर के उपयोक्ता को अवसर देगा, जिसमें असफल रहने पर ऐसे प्राधिकारी ऐसे बेतार के उपयोग को रोकने की सिफारिश करेंगे
- (2) उपनियम (1) के अधीन बेतार प्रयोग के रोके जाने की सिफारिश करने के पूर्व प्राधिकारी बेतार उपस्कर के उपयोक्ता को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।
- **5. उपस्कर.** (1) उपस्कर को स्पेक्ट्रम के प्रभावी उपयोग के लिए और हानिकर व्यतिक्रमसे बचने के लिए अपने पने ई एन संख्या का अनुपालन करना होगा ।
- (2) बेतार उपस्कर का टाइप अनुमोदित होगा और ऐसी रीति में डिजाइन और निर्मित होगा जिससे कि उत्सर्जन की बैंड चौड़ाई तथा अन्य पैरामीटर नियम 3 में निदिर्ष्ट सीमाओं के अनुरूप हो और उपस्कर टाइप अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन केन्द्रीय सरकार को उपाबद्ध प्रारुप में हो।
- (3) अपने अपने युक्तियों और आवृत्ति बैंड के लिए सुरक्षा से संबंधित अपेक्षाएं अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानकों के जैसे आई टी यू/ ई टी एस आई /ए एन एस आई /बी आई एस/ आई सी एन आई आर पी के अनुसार होगी।

[सं. आर-11017/05/2018-पीपी] भागीरथ, वरिष्ठ उप बेतार सलाहकार

उपाबंध

उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन (नियम 5 का उपनियम (2) का संदर्भ)

भाग-क-आवेदक

- उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम
- 2. विनिर्माता का डाक पता
- 3. प्रकार अनुमोदन के लिएआवेदन करने वाले भारतीय अभिकरण का नाम और पता
- 4. उत्पाद का नाम और उत्पाद पहचान (माडल सं.: आदि)

भाग-ख-पारेषक का वर्णन

- 1. आवत्ति रेंज:
- 2. प्रीसेट स्विचेबल चैनलों की सं.:
- वायस/डाटा/टीवी चैनलों की सं.: (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
- टीएक्स-आरएक्स चैनल पृथ्क्करण : (डुप्लैक्स/मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
- समीपवर्ती चैनल पृथ्क्करण : (मल्टीचैनर उपस्कर की दशा में)
- 6. अवृति स्थायित्व :
- 7. कूट/सन्नादी विकिरण
 - i. कैरियर सप्रेशन:

(कैरियर सप्रैस्ड तंत्र की दशा में)

- ii. अवांछित साइड बैंड सप्रैशन : (एसएसबी तंत्र की दशा में)
- iii. द्वितीय सन्नादी विकिरण:
- iv तृतीय सन्नादी विकिरण:
- 8. अधिकतम आवृत्ति विचलन :
- 9. उत्सर्जन की रीति:
- 10. उत्सर्जन की बैंडविड्थ :
- 11. परीक्षण टोन विचलन:
- आधार बैंड आवृत्ति : (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
- 13. अपेक्षित माडयूलेशन का प्रकार:
- 14. पूर्व जोर
- 15. विद्युत आउटपुट : (एंटेना के इनपुट पर)
- 16. कोई अन्य जानकारी :

भाग-ग-प्रापकों के विवरण

1.	आवृत्ति रेंज	:
----	--------------	---

- 2. प्राप्ति की रीति :
- 3. प्राप्ति की कूट प्रतिक्रिया :
- 4 संवेदनशीलता :
- आवृत्ति स्थायित्व :
- 6 (क) प्रभावी ध्वनि तापमान :
 - (ख) अवसीमा इनपुट स्तर :
- 7. मध्यवर्ती आवृत्ति :
- 8. जोर मुक्ति
- 9. चयनशीलता
- 10. कोई अन्य विशिष्टियां :

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Wireless Planning and Coordination Wing) NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2018

- **G.S.R. 1046(E).** In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:
- **1. Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Use of Very Low Power Ultra-wideband Devices (Exemption from Licensing Requirements) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.** In these rules, unless the context otherwise requires, —
- (a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
- (b) "Authority" means the authority notified by the Central Government under sub-section (2) of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
- (c) "ultra-wideband device or equipment" means a short-range device having a bandwidth of at least 50 MHz;
- (d) "EN" is a number and acronym used for Harmonized European Standard as produced by European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

- (e) "effective radiated power (in a given direction)" or e.r.p. means the product of the power supplied to the antenna and its *gain relative to a half-wave dipole* in a given direction;
- (f) "equivalent isotropic radiated power or e.i.r.p." means the total power that would have to be radiated by a hypothetical isotropic antenna to give the same signal strength as the actual source in the direction of the antennas strongest beam;
- (g) "power density" means the total energy output per unit bandwidth from a pulse or sequence of pulses for which transmit power is at its maximum level, divided by the total duration of the pulses;
- (h) "maximum mean power spectral density" means the maximum mean e.i.r.p. of a radio device under test at a particular frequency with the average power per unit bandwidth centered on that frequency, radiated in the direction of the maximum level:
- (i) "total radiated power spectral density" means the average of the mean power spectral density values measured over a sphere around the measurement scenario contained within harmonized standard EN302 435-1(8) with a resolution of at least 15 degrees between each measurement point;
- (j) "peak power" means the peak e.i.r.p. contained within a 50 MHz bandwidth at the frequency at which the highest mean radiated power occurs, radiated in the direction of the maximum level;
- (k) "duty cycle" means ratio expressed as a percentage of the cumulative duration of transmission T_{on_cum} within an observation interval T_{obs} .

duty cycle
$$DC = \left(\frac{T_{on \ enm}}{T_{obs}}\right)_{F_{obs}}$$
 on an observation bandwidth F_{obs}

- (1) "indoors" means inside buildings or places in which the shielding will typically provide the necessary attenuation to protect wireless telegraphy against undue interference;
- (m) "exterior limit" is the maximum mean power spectral density for emissions measured outside a vehicle at elevation angles above horizontal plane;
- (n) "horizontal plane" means a horizontal plane with a tolerance of -20 degrees to 30 degrees' elevation;
- (o) "interference" means the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy;
- (p) "Generic ultra-wideband device" means a device that is using ultra-wideband technology for communication applications such as personal computers, handheld terminals, cable modems, set-top boxes, indoor access points etc.
- (q) "Location tracking system" means a system intended for location tracking of people or objects;
- (r) "Material sensing device" means a radio determination device designed to detect the location of objects within a structure or to determine the physical properties of a material;
- (s) "Building material analysis device" means a material sensing device that is used to detect the location of objects within a building structure, or to determine the physical properties of building material;
- (t) "equivalent transmission level" means the peak level of transmission contained within a bandwidth which is other than 50 MHz, centered on the frequency at which the highest mean radiated power occurs and which is the relevant maximum peak e.i.r.p. scaled down by a factor of $20\log(50/x)$ dB, where "x" is the bandwidth expressed in MHz;
- (u) "Total power control" means a mechanism to reduce the amount of power to that necessary for successful communication;
- (v) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), shall have the same meanings respectively as assigned to them in those Acts.

3. Exemption.— No licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of very low power ultra-wideband devices or wireless equipment in the frequency bands on non-interference, non-protection and shared on non-exclusive basis, with the equivalent isotropic radiated power or effective radiated power, maximum mean power spectral density, maximum peak power defined in 50 MHz and complying with the technical specification contained in the Table-I to Table-V, namely: —

Note: The emission masks shown in the Table-I to Table-V are based on European Union's DECISION 2014/702/EU, dated 7 October 2014.

Table-I
Generic ultra-wideband device usage

S.No.	Frequency range in GHz	Maximum mean power (e.i.r.p.) spectral density	Maximum peak power (e.i.r.p.) (defined in 50 MHz)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	f ≤ 1.6	– 90 dBm/MHz	- 50 dBm
2	1.6< f ≤ 2.7	– 85 dBm/MHz	– 45 dBm
3	2.7< f ≤ 3.1	– 70 dBm/MHz	- 36 dBm
4	3.1< f ≤ 3.4	- 70 dBm/MHz or - 41.3 dBm/MHz using LDC ⁽¹⁾ or DAA ⁽²⁾	- 36 dBm or 0 dBm
5	$3.4 < f \le 3.8$	– 80 dBm/MHz or – 41.3 dBm/MHz using LDC ⁽¹⁾ or DAA ⁽²⁾	- 40 dBm or 0 dBm
6	$3.8 < f \le 4.8$	- 70 dBm/MHz or - 41.3 dBm/MHz using LDC ⁽¹⁾ or DAA ⁽²⁾	- 30 dBm or 0 dBm
7	4.8< f ≤ 6	– 70 dBm/MHz	- 30 dBm
8	6 < f ≤ 8.5	- 41.3 dBm/MHz	0 dBm
9	8.5< f ≤ 9	– 65 dBm/MHz or – 41.3 dBm/MHz using DAA ⁽²⁾	- 25 dBm or 0 dBm
10	9 < f ≤ 10.6	– 65 dBm/MHz	– 25 dBm
11	f > 10.6	– 85 dBm/MHz	– 45 dBm

⁽¹⁾ Within the band 3.1 GHz to 4.8 GHz. The Low duty cycle mitigation technique and its limits are defined in ETSI Standard EN 302 065-1.

Table -II

Location tracking system

S.No.	Frequency range in GHz	Maximum mean power (e.i.r.p.) spectral density	Maximum peak power (e.i.r.p.) (defined in 50 MHz)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	f ≤ 1.6	– 90 dBm/MHz	– 50 dBm
2	1.6< f ≤ 2.7	- 85 dBm/MHz	– 45 dBm

⁽²) Within the band 3.1 GHz to 4.8 GHz and 8.5 GHz to 9 GHz. The Detect and Avoid mitigation technique and its limits are defined in ETSI Standard EN 302 065-1.

3	2.7< f ≤ 3.4	– 70 dBm/MHz	- 36 dBm
4	$3.4 < f \le 3.8$	– 80 dBm/MHz	– 40 dBm
5	$3.8 < f \le 6.0$	– 70 dBm/MHz	– 30 dBm
6	6 < f ≤ 8.5	– 41.3 dBm/MHz	0 dBm
7	8.5< f ≤ 9	- 65 dBm/MHz or - 41.3 dBm/MHz using DAA ⁽¹⁾	- 25 dBm or 0 dBm
8	$9 < f \le 10.6$	– 65 dBm/MHz	– 25 dBm
9	f > 10.6	- 85 dBm/MHz	– 45 dBm

⁽¹⁾ The Detect and Avoid mitigation technique and its limits are defined in ETSI Standard EN 302 065-2

Table -III Ultra-wideband device installed in Road and Rail Vehicle

S.No.	Frequency range in GHz	Maximum mean power (e.i.r.p.) spectral density	Maximum peak power (e.i.r.p.) (defined in 50 MHz)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	f ≤ 1.6	– 90 dBm/MHz	- 50 dBm
2	1.6< f ≤ 2.7	– 85 dBm/MHz	– 45 dBm
3	$2.7 < f \le 3.1$	– 70 dBm/MHz	- 36 dBm
4	3.1< f ≤ 3.4	-70 dBm/MHz or -41.3 dBm/MHz using $\text{LDC}^{(1)} + \text{e.l}^{(4)}$ or -41.3 dBm/MHz using $\text{TPC}^{(3)} + \text{DAA}^{(2)} + \text{e.l}^{(4)}$	- 36 dBm or ≤ 0 dBm or ≤ 0 dBm
5	3.4< f ≤ 3.8	-80 dBm/MHz or -41.3 dBm/MHz using $\text{LDC}^{(1)} + \text{e.l}^{(4)}$ or -41.3 dBm/MHz using $\text{TPC}^{(3)} + \text{DAA}^{(2)} + \text{e.l}^{(4)}$	- 40 dBm or ≤ 0 dBm or ≤ 0 dBm
6	3.8< f ≤ 4.8	-70 dBm/MHz or -41.3 dBm/MHz using $\text{LDC}^{(1)} + \text{e.l}^{(4)}$ or -41.3 dBm/MHz using $\text{TPC}^{(3)} + \text{DAA}^{(2)} + \text{e.l}^{(4)}$	- 30 dBm or ≤ 0 dBm or ≤ 0 dBm
7	$4.8 < f \le 6$	- 70 dBm/MHz	- 30 dBm
8	6 < f ≤ 8.5	- 53.3dBm/MHz or - 41.3 dBm/MHz using LDC ⁽¹⁾ + e.l ⁽⁴⁾ or - 41.3 dBm/MHz using TPC ⁽³⁾ + e.l ⁽⁴⁾	- 13.3 dBm or ≤ 0 dBm or ≤ 0 dBm
9	8.5< f ≤ 9	-65 dBm/MHz or -41.3 dBm/MHz using $TPC^{(3)} + DAA^{(2)} + e.l^{(4)}$	– 25 dBm or 0 dBm
10	9 < f ≤ 10.6	- 65 dBm/MHz	– 25 dBm
11	f > 10.6	- 85 dBm/MHz	– 45 dBm

⁽¹⁾ The Low duty cycle mitigation technique and its limits are defined in ETSI Standard EN 302 065-3.
(2) The Detect and Avoid mitigation technique and its limits are defined in ETSI Standard EN 302 065-3.
(3) The Transmit power control mitigation technique and its limits are defined in ETSI Standard EN 302 065-3.

⁽⁴⁾ The exterior limit (e.l.) \leq – 53.3 dBm/MHz is required. The exterior limit is defined in ETSI Standard EN 302 065-3

Table -IV

Material sensing device using ultra-wideband technology

S.No.	Frequency range in	Fixed installations (Application A)		Non-fixed installations
	GHz	Maximum mean power (e.i.r.p.) spectral density	Maximum mean power spectral density (e.i.r.p.) in the horizontal plane (-20° to 30° elevation)	(Application B) Maximum mean power spectral density (e.i.r.p.)
(1)	(2)	(3	3)	(4)
1	f ≤ 1.73	– 85 dB	m/MHz	- 85 dBm/MHz
2	$1.73 < f \le 2.2$	– 65 dBm/MHz	– 70 dBm/MHz	- 70 dBm/MHz
3	$2.2 < f \le 2.5$	- 50 dB	m/MHz	- 50 dBm/MHz
4	$2.5 < f \le 2.69$	- 65 dBm/MHz ⁽¹⁾	– 70 dBm/MHz	- 65 dBm/MHz ^{(1) (2)}
5	$2.69 < f \le 2.7$	– 55 dBm/MHz	– 75 dBm/MHz	- 70 dBm/MHz ⁽³⁾
6	$2.7 < f \le 2.9$	– 50 dBm/MHz	– 70 dBm/MHz	- 70 dBm/MHz
7	$2.9 < f \le 3.4$	– 50 dBm/MHz	– 70 dBm/MHz	- 70 dBm/MHz ⁽¹⁾
8	$3.4 < f \le 3.8$	– 50 dBm/MHz	– 70 dBm/MHz	- 50 dBm/MHz ^{(2) (3)}
9	$3.8 < f \le 4.8$	- 50 dB	m/MHz	- 50 dBm/MHz
10	$4.8 < f \le 5$	– 55 dBm/MHz	– 75 dBm/MHz	- 55 dBm/MHz ^{(2) (3)}
11	5 < f ≤ 5.25	- 50 dB	m/MHz	- 50 dBm/MHz
12	$5.25 < f \le 5.35$	– 50 dBm/MHz	- 60 dBm/MHz	- 60 dBm/MHz
13	$5.35 < f \le 5.6$	– 50 dB	m/MHz	- 50 dBm/MHz
14	$5.6 < f \le 5.65$	- 50 dBm/MHz	– 65 dBm/MHz	- 65 dBm/MHz
15	$5.65 < f \le 5.725$	- 50 dBm/MHz	- 60 dBm/MHz	- 60 dBm/MHz
16	$5.725 < f \le 8.5$	- 50 dBm/MHz		- 50 dBm/MHz
17	8.5 < f ≤ 10.6	– 65 dBm/MHz		- 65 dBm/MHz
18	f > 10.6	– 85 dBm/MHz		-85 dBm/MHz

The peak power in dBm measured in a bandwidth of 50 MHz shall be less than a limit that is obtained by adding a conversion factor 25 dB to the 'maximum mean power spectral density' in dBm/MHz limit.

- (a) In the frequency ranges 2.5 to 2.69 GHz and 4.8 to 5 GHz, the total radiated power spectral density has to be 10 dB below the maximum mean power spectral density;
- (b) In the frequency ranges 3.4 to 3.8 GHz, the total radiated power spectral density has to be 5dB below the maximum mean power spectral density.

 $^{^{(1)}}$ Devices using a Listen before talk mechanism, as described in the harmonized standard EN 302 498-2, are permitted to operate in frequency range 2.5 to 2.69 GHz and 2.9 to 3.4 GHz with a maximum mean power spectral density of -50 dBm/MHz,

⁽²⁾ To protect the radio services, non-fixed installations (application B) must fulfil the following requirement for total radiated power spectral density:

(3) Limitation of the duty cycle to 10 % per second.

Note: For the purpose of this Table, material sensing devices permitted under this category shall fulfil the following requirements; namely: —

—Fixed installation (application A)

- The transmitter has to switch off if the machine is not running, 'running sensor';
- —The transmitter shall implement a TPC with a dynamic range of 10 dB, as described in the harmonized standard EN 302 498-2 for ODC (Object Discrimination and Characterizations) applications;
- The transmitter shall be attached to a fixed installation.

—Non-fixed installation (application B)

- —Transmitter-on only if manually operated with a non-locking switch, which may be a sensor for the presence of the operators hand, plus being in contact or close proximity to the investigated material and the emissions being directed into the direction of the object (e.g. measured by a proximity sensor or imposed by the mechanical design);
- The transmitter has to switch off if the machine is not running, 'running sensor'

Emissions radiating from material sensing devices permitted under this category Shall be kept to a minimum and in any case not exceed the e.i.r.p. density limits within above Table. The compliance with the limits of the above Table for non-fixed installations (application B) has to be ensured with the device on a representative structure of the investigated material (e.g. representative wall as defined in ETSI EN 302 435-1 or ETSI EN 302 498-1).

Table -V
Building material analysis device

S.No.	Frequency range in GHz	Maximum mean power (e.i.r.p.) spectral density	Maximum peak power (e.i.r.p.) (defined in 50 MHz)
1	f ≤ 1.73	- 85 dBm/MHz ⁽¹⁾	– 45 dBm
2	$1.73 < f \le 2.2$	- 65 dBm/MHz	– 25 dBm
3	$2.2 < f \le 2.5$	- 50 dBm/MHz	– 10 dBm
4	$2.5 < f \le 2.69$	- 65 dBm/MHz ⁽¹⁾	– 25 dBm
5	2.69 < f ≤ 2.7	– 55 dBm/MHz ⁽²⁾	– 15 dBm
6	2.7 < f ≤ 3.4	– 70 dBm/MHz ⁽¹⁾	– 30 dBm
7	$3.4 < f \le 4.8$	- 50 dBm/MHz	– 10 dBm
8	4.8< f ≤ 5	– 55 dBm/MHz ⁽²⁾	– 15 dBm
9	5 < f ≤ 8.5	- 50 dBm/MHz	– 10 dBm
10	f > 8.5	- 85 dBm/MHz	– 45 dBm

⁽¹⁾ Devices using a Listen Before Talk (LBT) mechanism, as described in the harmonized standard EN 302 435-1, are permitted to operate in frequency range 1.215 to 1.73 GHz with a maximum mean power spectral density of – 70 dBm/MHz and in frequency range 2.5 to 2.69 GHz and 2.9 to 3.4 GHz with a maximum mean power spectral density of – 50 dBm/MHz.

⁽²⁾ To protect the Radio Astronomy Service (RAS) bands 2.69 to 2.7 GHz and 4.8 to 5 GHz, the total radiated power spectral density has to be below -65 dBm/MHz.

Note: 1 Building material analysis device permitted under this Category shall fulfil the following requirements:

- (a) Transmitter-On only if manually operated with a non-locking switch plus being in contact or close proximity to the investigated material and the emissions being directed into the direction of the object;
- (b) The BMA transmitter has to switch-off after max 10s without movement;
- (c) The total radiated power spectral density has to be 5 dB below the maximum mean power spectral density limits in the table below;
- **Note: 2** Emissions radiating from building material analysis device shall be kept to a minimum and in any case not exceed the maximum power limits within the table above with the building material analysis device on a representative wall as defined within ETSI Standards EN 302 435-1 and EN 302 498-2.
- **4. Interference.** (1) The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a license has been issued under the provisions of section 4 of the Act; and section 4 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 informs the Authority that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, then such authority shall call upon the user of such unlicensed wireless equipment to take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power and using special type of antennae, failing which such Authority shall recommend discontinuation of such wireless use.
- (2) The Authority shall give a reasonable opportunity to the user of wireless equipment before making recommendation of discontinuation of wireless use under sub-rule (1) above.
- **5. Equipment.** (1) The equipment shall comply with the respective EN number for effective use of spectrum and to avoid harmful interference.
- (2) The wireless equipment shall be type approved and designed and constructed in such a manner that the bandwidth of emission and other parameters shall conform to the limits specified in rule 3 and the application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in the format given in Annexure.
- (3) The safety related requirements shall be as per the International or National standards such as ITU/ETSI/ANSI/BIS/ICNIRP for the respective devices and frequency bands.

[No. R-11017/05/2018-PP] BHAGIRATH, Sr. Dy. Wireless Adviser

ANNEXURE

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

(Refer sub-rule (2) of rule 5)

Section-A- Applicant

1. Name of manufacturing agency applying for equipment type approval :

2. Postal Address of manufacturing Agency :

- 3. Name and address of Indian agency applying for the type approval.
- 4. Name of product and the product Identification (model number etc.,)

Section- B- Details of Transmitter

1. Frequency range

2.	No. of preset switchable channels	:	
3.	No. of voice /Data/ TV Channels (In case of multi- channel equipment)	:	
4.	Tx-Rx channel separation (In case of Duplex/multi-channel equipment)	:	
5.	Adjacent channel separation (In case of multi-channel equipment)	:	
6.	Frequency stability	:	
7.	Spurious/ Harmonic radiations :		
	i. Carrier suppression : (In case of carrier suppressed systems)ii. Unwanted side band suppression : (In case of SSB systems)		
	iii. 2 nd Harmonic radiations :		
	iv. 3 rd Harmonic radiations :		
8.	Max. Frequency Deviation :		
9.	Mode of emission :		
10.	Bandwidth of emission :		
11.	Test Tone deviation	:	
12.	Base band frequency (In case of multi-channel equipment)	:	
13.	Type of modulation to be required	:	
14.	Pre-emphasis	:	
	Power output (At the input of antenna)	:	
16.	Any other information	:	
Sec	tion-C- Details of Receivers		
1.	Frequency range	:	
2.	Mode of reception		:
3.	Spurious response of receiver		:
4.	Sensitivity		:
5.	Frequency stability		:
6.	(a) Effective noise temperature		:
	(b) Threshold input level		:

7. Intermediate frequency

8. De-emphasis :

9. Selectivity :

10. Any other particulars

Signature of the applicant

Place:

Date :